राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भारत
National Judicial Academy India

वार्षिक प्रतिवेदन | 2011-2012
Annual Report

















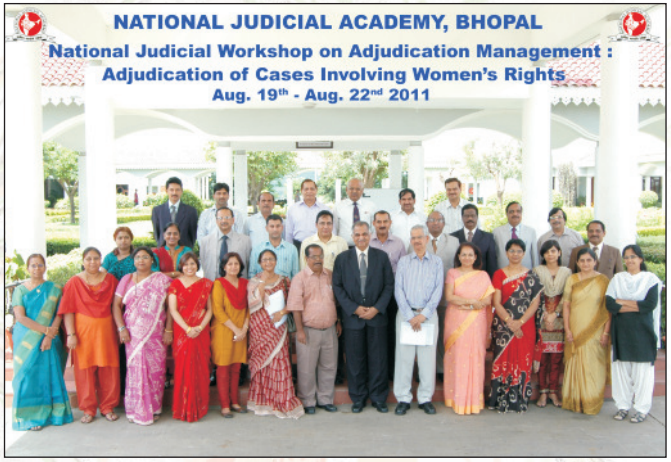




राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भारत
National Judicial Academy India
Suraj Nagar, Bhopal - 462044

Multiplex Printers : 9329291711

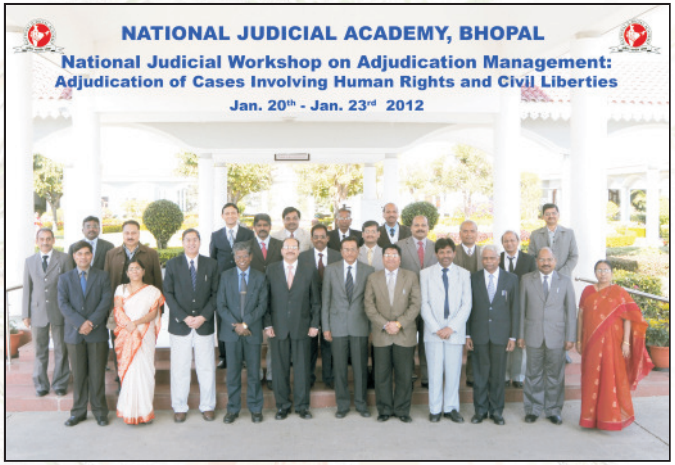

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
Academic Programme for Judges From Sri Lanka
Aug. 8th - Aug. 12th 2011

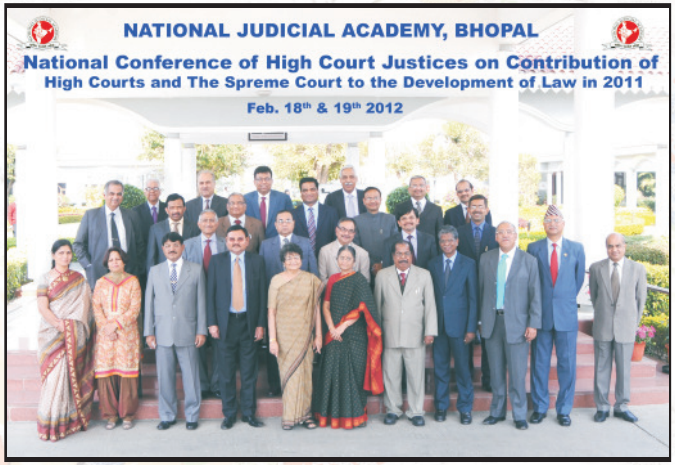

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Judicial Workshop on Adjudication Management :
Adjudication of Cases Involving Women's Rights
Aug. 19th - Aug. 22nd 2011


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Conference of Senior District Judges on
Court Management for Enhancing Quality, Responsiveness
and Timliness of Justice
Aug. 27th - Aug. 29th 2011


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Judicial Excellence Enhancement Programme
(JEEP) (Visit 1)
Sep. 8th - Sep. 13th 2011


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Court Excellence Enhancement Programme
(CEEP 1 to 10)
Nov. 18th - Nov. 20th 2011


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Judicial Workshop on Adjudication Management:
Adjudication of Cases Involving Human Rights and Civil Liberties
Jan. 20th - Jan. 23rd 2012


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Conference of High Court Justices on Contribution of
High Courts and The Spreme Court to the Development of Law in 2011
Feb. 18th & 19th 2012


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY, BHOPAL
National Conference of Newly Elevated High Court Judges
Mar. 16th - Mar. 18th 2012

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भारत

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY INDIA

ANNUAL REPORT

वार्षिक प्रतिवेदन

(2011-2012)


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
धर्मेण धार्यते लोकः

Contents: **Page No.**

1. An Introduction to NJA..... 05
2. National Judicial Education Strategy (July, 2011) – An Overview..... 06
3. Chairmen of NJA 07-08
4. Directors of NJA..... 09
5. Registrars..... 10
6. Member Secretaries..... 11
7. Academic Programmes held at NJA since 2003-04..... 12
8. Detailed layout of the Programmes held during the Academic Year 2011-12..... 13-20
9. Report of the Academic Programmes (2011-12)..... 21-29
10. Administration and Staff: 30-35
    i. Members of NJA Society..... 30
    ii. Governing Council..... 31
    iii. Academic Council..... 32
    iv. Executive Committee..... 33
    v. Officers of the Academy..... 34-35
11. Infrastructure and Support Systems..... 36-39
12. Governance of NJA..... 40-41
13. National Judicial Education Strategy (NJES) - A Progress Report..... 42-49
14. Audit Report..... 50-66
15. Report in Hindi..... 68


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
धर्मेण धार्यते लोकः

An Introduction to NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

The National Judicial Academy started its academic programmes in 1996. Since then there has been a steady increase in the number and types of programmes conducted in keeping with the objectives of the Academy of strengthening the administration of justice through judicial education, research and policy formulation academic the programmes began in 1996. Three programmes were held during the 2003-04 session with two hundred and eleven participants, the number of programmes and participants have gradually increased to one hundred and forty seven programmes with two thousand two hundred and thirty two participants during the 2011-12 session. Through the nine years NJA has conducted a total of five hundred and ninety five programmes covering eighteen thousand one hundred and eight participants.

With an avowed object of contributing to the efforts to make the Indian Judiciary a vibrant institution by 2020 it has been the conscious work of NJA to refine the existing programmes and to introduce new programmes at the level of the District Judiciary and the High Court as also programmes targeted at the officials of the State Judicial Academies. NJA has achieved much progress in giving a fillip to judicial education, research on court management and justice administration and policy formulation. The programmes aim at imparting efficiency enhancing techniques, highlighting access to justice, delay reduction strategies, enhanced accountability systems and appropriate development schemes.

The Academic Council of the National Judicial Academy (NJA), chaired by the Hon'ble Chief Justice of India (the Chairman of NJA), adopted in October, 2006, the National Judicial Education Strategy. This Strategy was developed in September, 2006 at a meeting of High Court Judges in charge of judicial education.

The National Judicial Education Strategy establishes, for the first time, a clear framework for National Judicial Education. The Strategy sets the goal of National Judicial Education as enhancing timely justice through delay and arrears reduction and enhancing the quality and responsiveness of justice. The Strategy aims to scale up National Judicial Education so as to provide every Judge an opportunity to participate in judicial education –at the state or national level-for at least one week each year. Under the Strategy, the calendar for National Judicial Education was developed for the first time on the basis of a systematic judicial education needs assessment carried out by all the High Courts.

NJA has been conducting its activities under the National Judicial Education Strategy since its adoption. Updates of the NJES were submitted to and endorsed by the Academic Council in 2009 and 2010. An overview of NJES in the following pages sets the strategic and operational framework of NJA activities.

National Judicial Education Strategy (July, 2011) – An Overview

I. Vision

Judicial education enhances timely justice – delay and arrears reduction and enhancing the quality and responsiveness of justice.

"Justice" means, in this context, conduct consistent with Constitutional values.

II. Mission

The central mission of judicial academies is to enhance the excellence of the judicial system through judicial education, research and policy development, so as to enhance timely justice.

To this end, judicial academies should, according to the 117th Law Commission of India on Judicial Officers Training, (a) equip judges with tools to execute their work; and (b) endow them with vision as to what is expected of the system they serve.

In the context of the changed Constitutional role of the judiciary, judicial education must also promote the application of Constitutional values in adjudication.

III. Strategy

A. Help evolve and disseminate a common national vision on six key issues:

1. Expectations of the judicial system;
2. "Excellence of the judicial system" based on the ROKMMA framework (see below);
3. "The Constitutional Vision of Justice" that should guide judging
4. A framework for measuring the "social impact" of Courts
5. Quality framework
6. Monitoring Indicators

B. Organize and deliver five types of academic programmes:

1. Strengthening institutional framework of the judicial **system;**
2. Enhancing the quality, efficiency and timeliness of the key **function** of the judicial system (adjudication), targeting the main categories of adjudication;
3. Enhancing **individual** capacity of judges (core judicial qualities, attitudes, skills and knowledge (QASK);
4. Enhancing the **social impact** of the Judicial system **focusing on priority areas of national and social development;**
5. Enhancing the overall **performance of courts** that face high levels of delay, arrears, quality, and access challenges.

IV. Impact Evaluation

The impact of NJA programmes may be measured against the above mentioned five objectives.

CHAIRMAN, NATIONAL JUDICIAL ACADEMY



Hon'ble Mr. Justice S.H. Kapadia
Chief Justice of India

CHAIRMEN OF NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

(Hon'ble Chief Justice of India is ex-officio Chairman of the Academy)

(since incorporation)

S.No.	Names of Hon'ble Chairmen	From	To
1.	Hon'ble Mr. Justice M.N. Venkatachaliah	17.08.1993	24.10.1994
2.	Hon'ble Mr. Justice A.M. Ahmadi	25.10.1994	24.03.1997
3.	Hon'ble Mr. Justice J.S. Verma	25.03.1997	17.01.1998
4.	Hon'ble Mr. Justice M.M. Punchhi	18.01.1998	09.10.1998
5.	Hon'ble Mr. Justice A.S. Anand	10.10.1998	31.10.2001
6.	Hon'ble Mr. Justice S.P. Bharucha	01.11.2001	05.05.2002
7.	Hon'ble Mr. Justice B.N. Kirpal	06.05.2002	07.11.2002
8.	Hon'ble Mr. Justice G.B. Pattanaik	08.11.2002	18.12.2002
9.	Hon'ble Mr. Justice V.N. Khare	19.12.2002	01.05.2004
10.	Hon'ble Mr. Justice S. Rajendra Babu	02.05.2004	31.05.2004
11.	Hon'ble Mr. Justice R.C. Lahoti	01.06.2004	31.10.2005
12.	Hon'ble Mr. Justice Y.K. Sabharwal	01.11.2005	13.01.2007
13.	Hon'ble Mr. Justice K.G. Balakrishnan	14.01.2007	11.05.2010
14.	Hon'ble Mr. Justice S.H. Kapadia	12.05.2010	Till date

DIRECTORS OF THE ACADEMY

S.No.	Name	From	To
1.	Hon'ble Mr. Justice K.N. Saikia, (Director General)	01.05.1995	30.04.1997
2.	Prof. (Dr.) N.R. Madhava Menon	30.09.2003	24.04.2006
3.	Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal	13.07.2006	07.07. 2011
4.	Prof. (Dr.) K.N Chandrasekharan Pillai	07.07. 2011	Till date



Prof. (Dr.) K.N Chandrasekharan Pillai
Director

REGISTRARS OF THE ACADEMY

S.No.	Name	From	To
1.	Mr. H.I. Husain	08.04.2000	21.04.2001
2.	Mr. R.C. Mishra	25.09.2001	24.09.2004
3.	Mr. Jagdish Baheti	17.02.2005	30.06.2007
4.	Mr. A.M. Saxena (Registrar Administration)	09.09.2008	30.03.2010
5.	Mr. S.P. Srivastava (Registrar Academic Programme)	22.01.2009	Till date



Mr. S.P. Srivastava
Registrar (Academic Programmes)

MEMBER SECRETARIES OF THE ACADEMY

(since incorporation)

S.No.	Name	From	To
1.	Mr. M.S.A. Siddiqui	17.08.1993	26.09.1994
2.	Mr. Chandresh Bhushan	27.09.1994	27.04.1998
3.	Mr. Bhanwar Singh	27.04.1998	26.03.1999
4.	Mr. Lal Chand Bhadoo	27.03.1999	19.01.2003
5.	Mr. J.C.S. Rawat	20.01.2003	28.06.2004
6.	Mr. B.M. Gupta	29.06.2004	25.112005
7.	Mr. V.K. Jain	01.12.2005	12.05.2007
8.	Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal	13.05.2007	07.07. 2011
9.	Prof. (Dr.) K.N Chandrasekharan Pillai	07.07. 2011	Till date

Academic Programmes held at NJA since 2003-2004

Given below is an overview of the academic programmes held since 2003-2004 at the National Judicia Academy. There has been a steady increase in the number of programmes held each academic year parallele with an equal increase in the number of participants in the programmes.

Year	Academic Year (July – June)	Number of Programs	Number of Participants
1	2003-2004	03	211
2	2004-2005	12	570
3	2005-2006	27	771
4	2006-2007	42	1668
5	2007-2008	85 (85 programmes including 12 "One-Off" National Flagship Workshops on Enhancing Timely Justice planned only for this year)	2595 + 876 participants in 12 one-off national workshops Total 3471
6	2008-2009	84 (12 "one-off" National Flagship Workshops not scheduled held this year)	2559
7	2009-2010	102	3553
8	2010-2011	93	3073
9	2011-2012 (August-May)	147	2232

Detailed layout of the Programmes held during the Academic Year 2011-12

S. No	Programme Date	Programme No	Programme Name	No of Participants
Programmes for the District Judiciary				
Goal 1. STRENGTHENING THE JUDICIAL INSTITUTION				
1.a. National Conference of Senior District Judges on Court Management				
1	August 27 -29, 2011	P-425	National Conference of Senior District Judges	26
2	September 10 -12,2011	P-429	National Conference of Senior District Judges	21
3	October 15 -17, 2011	P-435	National Conference of Senior District Judges	21
4	November 12 -14, 2011	P-441	National Conference of Senior District Judges	26
5	February 11 -13, 2012	P-495	National Conference of Senior District Judges	26
6	April 20-22, 2012	P-545	National Conference of Senior District Judges	21
			Total (1.a)	**141**
1.b. National Meetings of State Judicial Academies				
7	October 21-23, 2011	P-437	Development of a National Model Judicial Education Curriculum (Part I): Constitutional Vision of Justice, Jurisprudence; Constitutional Law	22
8	December 2 - 4, 2011	P-463	Development of a National Model Judicial Education Curriculum (Part II): Criminal Justice Administration	17
9	January 6 – 8, 2012	P-467	Development of a National Model Judicial Education Curriculum (Part III): Constitutional Rights And Civil Liberties; Human Rights; Gender; Juvenile Justice; Social Justice; Environmental Protection	17

10	February 3 -5, 2012	P-483	Development of a National Model Judicial Education Curriculum (Part IV): Economic and Commercial Adjudication	13
11	March 23 – 25, 2012	P-511	Development of Judicial Education: Key Issues and Challenges	17
12	May 4 – 8 , 2012	P-547	Training Programme for Faculty of State Judicial Academies	29
			Total (1.b)	**115**
1. c) Training Programme for Member Secretaries of State Legal Services Authorities				
13	December 17 -19, 2011	P-466	Training Programme for Member Secretaries of State Legal Services	46
			Total (1.c)	**46**
Goal 2. ENHANCING THE QUALITY, EFFICIENCY AND TIMELINESS OF ADJUDICATION				
2. National Judicial Workshops on Adjudication Management				
14	August 19 - 22 , 2011	P-424	Adjudication of Cases Involving Women's Rights	25
15	September 2 - 5, 2011	P-428	Adjudication of Criminal Cases	24
16	September 30 - October 3, 2011	P-432	Adjudication of Economic and Commercial Cases	22
17	October 21– 24, 2011	P-436	Adjudication of Anti -Corruption Cases	23
18	January 20 -23, 2012	P-480	Adjudication of Cases Involving Human Rights, Constitutional Rights and Civil Liberties	22
19	April 13 -16, 2012	P-534	Adjudication of Juvenile Justice Cases	23
			Total (2.a)	**139**

Goal 3. ENHANCING INDIVIDUAL CAPACITY OF JUDGES				
3. a) National Orientation Programme for Newly Appointed Additional District Judges				
20	September 2- 5, 2011	P-426	Orientation Programme for Newly Appointed Additional District Judges	23
21	October 14 -17, 2011	P-434	Orientation Programme for Newly Appointed Additional District Judges	23
22	December 9 -12, 2011	P-465	Orientation Programme for Newly Appointed Additional District Judges	27
23	January 13- 16, 2012	P-479	Orientation Programme for Newly Appointed Additional District Judges	25
24	February 17-20, 2012	P-496	Orientation Programme for Newly Appointed Additional District Judges	28
			Total (3.a)	**126**
3. b) National Orientation Programme for Civil Judges				
25	August 19-29, 2011	P-423	Orientation Programme for Civil Judges (Junior Division)	56
26	September 16- 26, 2011	P-431	Orientation Programme for Civil Judges (Junior Division)	51
27	November 4 -14, 2011	P-439	Orientation Programme for Civil Judges (Junior Division)	52
28	December 9 -19, 2011	P-464	Orientation Programme for Civil Judges (Junior Division)	51
29	January 13-23, 2012	P-478	Orientation Programme for Civil Judges (Junior Division)	52
30	February 10 -20, 2012	P-494	Orientation Programme for Civil Judges (Junior Division)	56
			Total (3.b)	**318**

3. c) National Judicial Excellence Enhancement Programme (JEEP)

31	September 8 -13, 2011	P-430	National Judicial Excellence Enhancement Programme (Visit -1)	50
32	March 15-20, 2012	P-510	National Judicial Excellence Enhancement Programme (Visit -2)	45
			Total (3. c)	**95**

Goal 4. ENHANCING THE SOCIAL IMPACT OF THE JUDICIAL SYSTEM

Regional Judicial Conferences on Protection of Human Rights

33	November 25-27, 2011	P-452	Regional Judicial Conference (West Zone)	74
34	January 27 - 29,2012	P-482	Regional Judicial Conference (North Zone)	105
35	February 24 -26, 2012	P-498	Regional Judicial Conference (South Zone)	85
36	March 30 – April1, 2012	P-522	Regional Judicial Conference (East Zone)	94
37	April 27-29, 2012	P-546	Regional Judicial Conference (North Zone)	84
			Total (4 a)	**443**

Goal 5. ENHANCING THE OVERALL PERFORMANCE OF COURTS

Court Excellence Enhancement Project

38	November 18 - 20, 2011	P-442	National Court Excellence Enhancement Project (CEEP 01 to10)	73
39		P-443		
40		P-444		
41		P-445		
42		P-446		
43		P-447		
44		P-448		
45		P-449		
46		P-450		
47		P-451		

48	December 2 - 4, 2011	P-453	National Court Excellence Enhancement Project (CEEP 11 to 20)	56
49		P-454		
50		P-455		
51		P-456		
52		P-457		
53		P-458		
54		P-459		
55		P-460		
56		P-461		
57		P-462		
58	January 6 -8, 2012	P-468	National Court Excellence Enhancement Project (CEEP 21 to 30)	69
59		P-469		
60		P-470		
61		P-471		
62		P-472		
63		P-473		
64		P-474		
65		P-475		
66		P-476		
67		P-477		
68	February 3- 5, 2012	P-484	National Court Excellence Enhancement Project (CEEP 31 to 40)	61
69		P-485		
70		P-486		
71		P-487		
72		P-488		
73		P-489		
74		P-490		
75		P-491		
76		P-492		
77		P-493		

78	March 2- 4, 2012	P-499	National Court Excellence Enhancement Project (CEEP 41 to 50)	60
79		P-500		
80		P-501		
81		P-502		
82		P-503		
83		P-504		
84		P-505		
85		P-506		
86		P-507		
87		P-508		
88	March 23 -25, 2012	P-512	National Court Excellence Enhancement Project (CEEP 51 to 60)	57
89		P-513		
90		P-514		
91		P-515		
92		P-516		
93		P-517		
94		P-518		
95		P-519		
96		P-520		
97		P-521		
98	April 6 -8, 2012	P-523	National Court Excellence Enhancement Project (CEEP 61 to 70)	46
99		P-524		
100		P-525		
101		P-526		
102		P-527		
103		P-528		
104		P-529		
105		P-530		
106		P-531		
107		P-532		

108	April 20-22, 2012	P-535	National Court Excellence Enhancement Project (CEEP 71 to 80)	58
109		P-536		
110		P-537		
111		P-538		
112		P-539		
113		P-540		
114		P-541		
115		P-542		
116		P-543		
117		P-544		
118	May 4-6, 2012	P-548	National Court Excellence Enhancement Project (CEEP 81 to 90)	47
119		P-549		
120		P-550		
121		P-551		
122		P-552		
123		P-553		
124		P-554		
125		P-555		
126		P-556		
127		P-557		
128	May11-13, 2012	P-558	National Court Excellence Enhancement Project (CEEP 91 to 100)	56
129		P-559		
130		P-560		
131		P-561		
132		P-562		
133		P-563		
134		P-564		
135		P-565		
136		P-566		
137		P-567		
			Total (5)	**583**

Programmes for High Court Justices				
STRENGTHENING THE JUDICIAL INSTITUTION				
138	April14-15, 2012	P-533	National Conference on Enhancing Quality, Efficiency and Timeliness of Adjudication: Sharing of Experiences	18
			Total	**18**
ENHANCING INDIVIDUAL CAPACITY OF JUDGES				
139	March16 -18, 2012	P-509	National Conference of Newly Elevated High Court Judges	22
			Total	**22**
ENHANCING THE SOCIAL IMPACT OF THE JUDICIAL SYSTEM				
National Conference of High Court Judges				
140	September 3 - 4, 2011	P-427	Criminal Justice Administration: Issues and Challenges	26
141	October 1 – 2, 2011	P-433	Economic and Commercial Law: Current Issues and Challenges	18
142	November 5 -6, 2011	P-440	Law and Social Change	17
143	January 21 -22, 2012	P-481	Constitutional Rights, Human Rights and Civil Liberties	17
144	February18 -19, 2012	P-497	Contribution of High Courts and the Supreme Court to the Development of Law in 2011	24
			Total	**102**
SPECIAL EVENTS				
145	August 8 -12, 2011	SE-1	Judicial Seminar for Sri Lankan Judges on Recent Developments in Law	30
146	January 4 -8, 2012	SE-2	Orientation Seminar for Judges from Sri Lanka on Recent Developments in Indian Law	30
147	March 24, 2012	SE-3	c)Annual Calendar Meeting	25
			Total	**85**
			Grand Total	**2232**

Brief Report of the Programmes held during 2011-12

For the academic year 2011-2012, NJA commenced its activities from August 8, 2011 and a total of one hundred and forty seven programmes were completed by May 13, 2012 with two thousand two hundred and thirty two participants. The duration of these programmes ranged from two to twelve days. Two Special Events were organized in August 2011 and January 2012 for Judges from Sri Lanka. In the month of November, the Court Excellence Enhancement Programme (CEEP), a first of its kind research project was introduced by the Academy to develop a comprehensive framework for enhancing the excellence of courts by involving all the stake holders of a court i.e. representatives from bench, bar, prosecutors, investigating agency, ministerial staff and civil society. The Annual Calendar Meeting was held in March 2012 to formulate the calendar for 2012-13. The academic programmes at NJA encompass discussions; sharing of experience; site visits; movie screening; interactive sessions with eminent resource persons from judiciary, academia & social policy thinkers.

The 2011-2012 Calendar had the following five goals:

(1) Strengthening institutional framework of the judicial **system;**

(2) Enhancing the quality, efficiency and timeliness of the key **function** of the judicial system (adjudication), targeting the main categories of adjudication;

(3) Enhancing **individual** capacity of judges (core judicial qualities, attitudes, skills and knowledge (QASK);

(4) Enhancing the **social impact** of the Judicial system; and

(5) Enhancing the overall **performance of courts** that face high levels of delay, arrears, quality, and access challenges.

Given below is a brief description of the programmes held in pursuance of the Goals enumerated above:

In pursuance of the **Goal Strengthening the institutional framework of the judicial system,** several programmes were formulated to cover the judges of the High Courts, the District Judiciary; members of the State Judicial Academies and members secretaries of the State Legal Services Authorities .

There were two Conferences of the Justices of the High Courts; six programmes for Senior District Judges and six meetings of the State Judicial Academies and one programme for member secretaries of the State Legal Services Authorities.

The High Court Judges' Conference focused on a range of topics such as: Enhancing the Quality of Adjudication: Court, Case Load and Case Management; Combating Corruption; and Effective Control, Supervision and Inspection of Subordinate Courts. The Conference provided opportunity to the High Court Justices to share experiences with the judges from across the country and also interact with experts from different fields.

The programme for the newly appointed High Court Justices brought together newly elevated High Court judges. The judges could discuss the main challenges faced by the Indian Judiciary and could also deliberate upon the methods to effectively contribute to meeting these challenges. The discussions were facilitated through the Resources Persons including High Court Chief Justices and Supreme Court Judges.

The National Conferences of Senior District Judges on Court Management for Enhancing Quality, Responsiveness and Timeliness of Justice facilitated sharing of experiences and helped the District Judges to identify specific techniques and tools for effective court management that may be adopted by the courts. It also focused on instilling leadership skills and various methods for enhancing public confidence in courts.

A total of six National Conferences of State Judicial Academies were held through the year with one being the Training Programme for Faculty of State Judicial Academies. Five programmes aimed to evolve a standard curriculum at the national level for courses to be run by the State Judicial Academies for the benefit of District Judiciary officers. The new research organization involving the State Judicial Academies and National Judicial Academy was discussed and proposed to facilitate undertaking of research programmes by the State Academies. One Training Programme for Faculty of State Judicial Academies led to a comprehensive discussion on the range of methodologies and pedagogical techniques that may be used for training and education programme for the judges at the national as well as the state level. While the earlier programmes during the course of the year focused on 'what to deliver', the focus of this programme was 'how to deliver?' It

offered an opportunity to the faculty members and representatives of the Academies to take stock of and to have a critical view on the status of judicial education in their Academies. The meeting also considered adopting a new and holistic approach to judicial education to ensure that judicial education at the state academies does not remain restricted to imparting training on procedural law or to organizing occasional refresher programmes for providing case law updates to the judges. Special emphasis was laid on the necessity of adopting inter-disciplinary approaches in judicial education.

One progamme for Member Secretaries of State Legal Services Authorities held in collaboration with NALSA focused on the different dimensions of Right to Access to justice and need for Free Legal Aid, and the importance of the Role of Legal Services Authorities in making Justice Accessible to the Masses, and threw light on the Constitutional promise of Legal Aid.

Working towards fulfillment of goal two: **Enhancing the quality, efficiency and timeliness of adjudication** National Judicial Workshops on Adjudication Management were organized, wherein a total of six porgrammes carried forward the objectives of this series of programmes. These programmes were aimed at strengthening the quality of judicial management in specific areas of adjudication, cutting across various knowledge and skill requirements. The programmes covered aspects such as the social background of the main type of adjudication; relevant court and case management methods, substantive and procedural laws judging and decision making skills and evaluation of quality and timeliness and the standards to be met by courts. The programme was attended by Judges presiding over Sessions Courts. During 2011-12, AMPs were conducted for cases involving Women's Rights; Criminal Cases; Economic & Commercial Cases; Anti-Corruption Cases; Human Rights and Civil Liberties and Juvenile Justice Cases.

For **Enhancing the individual capacity of judges (core judicial qualities, attitudes, skills and knowledge)** the third goal, the Academy conducted the Orientation programmes for newly appointed Additional District Judges and Civil Judges and the National Judicial Excellence Enhancement Programme (JEEP). These three sets of programmes looked at the key issues and challenges faced by the judiciary, the ways and means to protect the constitutional rights of the public, the new challenges in criminal justice administration system, civil litigation and ways to increase the public confidence in the courts.

The cluster on **Enhancing the Social Impact of the Judicial System** which furthered goal four had protection of Human Rights as its core topic. NJA organized five Regional Conferences in this academic year. Since its inception the three days Regional Judicial Conference is held in association with the concerned High Court and SJAs in the four zones.

The National Conferences of High Court Judges, held through September, 2011 to February, 2012 were also organized incorporating the objectives of Goal 4. The various topics that were the central point of discussion during each of the five conferences were: Issues and Challenges in Criminal Justice Administration; Current Issues and Challenges in Economic and Commercial Law; Law and Social Change; Human Rights and Civil Liberties and the Contribution of High Courts and the Supreme Court to the Development of Law in 2011.

An important highlight of NJA's 2011-2012 calendar was the new category of programme: **CEEP - the Court Excellence Enhancement Projec**t- which helped in furthering goal 5 of **Enhancing the Overall Performance of Courts.** A first of its kind research project covering hundred courts from across the country that face high levels of delay, arrears, quality and access challenges; it brought together under one roof various duty holders of these Courts –bench, bar, ministerial staff, prosecutors, civil society and police and facilitated exchange of ideas. Apart from these, members from the best practice courts were also invited to share their experiences. These Conferences in fact helped in increasing the NJA's outreach to different stakeholders involved in the judicial system.

The objective of National Judicial Academy in introducing this new programme was to develop a comprehensive framework for enhancing the excellence of courts that involves all the stakeholders of a court. The programme helped to develop an agenda of action required to enhance the excellence after identifying the common national challenges in enhancing court excellence across the country.

Delayed justice delivery is one of the reasons for the reduced public trust and confidence and in order to instill public trust and confidence all the stakeholders should work together in the administration of justice. Justice delivery must be expeditious, efficient and efficaciously done. Hence, a concerted effort was made under the leadership of the presiding officers of each court i) to identify the problems they are facing in the court and ii) to find solutions to these problems by

way of developing an action plan for one year.

The critical areas which were identified in the stakeholders discussions included infrastructure and resource constraints, training, factors causing delay in Trial Process, Coordination with stakeholders, Access to Court(including access to information); culture of the court (conduct of various stakeholders towards others (the Presiding Officer; Bar; Ministerial Staff; Public Prosecutor; Social Activist (in view of litigant)Police; Monitoring and Supervision Mechanisms; Role of Court and Performance Assessment Public Accountability Mechanisms (tools available to public for claiming their rights). These areas are instrumental in the functioning of the courts and should be considered for addressing the concerns of court performance and excellence.

The court wise discussion focused on issues and challenges under the following - Production of Accused/Witnesses; Court/Trial Processes; Court/Case Management; Judicial System Management; Infrastructure; Role of Presiding Officer/Judge; Bar; Police; Prosecution; Ministerial Staff; Social Issues/Peoples Concerns by Social Activist.
The court wise Action Plan was developed by the respective courts and participants agreed to take steps and implement the same in their respective courts.
Following are the key listings in the plan:

- Identifying old cases and then giving priority to render justice for which a monthly and quarterly plan will be prepared with consultation of Bar and Prosecution.
- Take steps to implement the draft monthly plan. Prepare monthly targeted case list which is to be circulated to local bar beforehand so that targeted cases are disposed of as per list. Time bound schedule to be fixed.
- Only such number of cases shall be fixed for evidence which is physically possible to be taken up.
- Dispose off cases as much as possible on a daily basis. Counsels will be directed to be present on time in the court and conclude within permissible limit of time.
- Advance intimation of trial schedule to the police.
- Will not be permitted to produce FIR without seized articles if any and charge sheet will not be accepted without complete address with contact number of accused/witnesses if any and age of accused.

- Effort will be made to establish a police cell in civil court complex for collecting summons and processes issued by the courts and to return service of summons and execution of processes.
- Presiding Officer should be firm in not adjourning the cases; Avoid adjournments for cross examination of witnesses and to ensure that adjournment are not preferred on the dates when targeted cases are fixed, except in unavoidable and unforeseen circumstances.
- Examination of witnesses as per schedule fixed. Identifying cases to be referred to the Lok Adalats and actively participate in those Lok Adalats.
- Poor litigants shall be referred to legal aid committee whereby appointing appropriate advocate to deal with their case.
- The Presiding Officer shall maintain punctuality, integrity, polite behaviour, transparency, impartiality and be an upright-role model. He should be a team leader among all the 6 stake holders. He must encourage his staff positively and should carry out his work with honesty, sincerity and punctuality.
- Use technology in court proceedings and court management.
- Develop infrastructure for accommodating women and aged litigants and others.
  Enhance the library facilities.

These programmes made every stakeholder aware of his duties. The discussions, it is hoped, have helped them to share best practices.

Details of the number of Participants to CEEP 2011-12

Sno	CEEP	Programme	Presiding Officer	Public Prosecutor	Ministerial Staff	Police Officer	Advocates	Social Activist	Rep SJA	Total Partic-ipants
I.	I-10	P 442 - 451 Nov 18-20, 2011	13	9	11	11	13	8	8	**73**
II.	11-20	P 453- 462 Dec 2 - 4, 2011	8	10	9	9	9	5	6	**56**
III.	21-30	P 468- 477 Jan 6 -8, 2012	12	9	10	12	13	8	5	**69**
IV.	31-40	P 484 - 493 Feb 3 - 5, 2012	12	8	9	6	10	11	5	**61**
V.	41-50	P 499 - 508 March 2- 4, 2012	12	8	10	7	12	8	3	**60**
VI.	51-60	P 512- 521 Mar. 23- 25,2012	13	7	9	9	12	6	1	**57**
VII.	61-70	P 523 - 532 April 6-8, 2012	13	7	6	4	8	8	0	**46**
VIII.	71-80	P 535 - 544 April 20-22,2012	13	7	8	8	12	10	0	**58**
IX.	81-90	P 548- 557 May 4-6, 2012	11	6	9	8	8	5	0	**47**
X.	91- 100	P 558- 567 May 11- 13, 2012	12	9	9	8	10	8	0	**56**
Total			**119**	**80**	**90**	**82**	**107**	**77**	**28**	**583**

		Court Excellence Enhancement Project									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
		Chief Judicial Magistrate's Court of									
1	**Uttar Pradesh**	Sidharath Nagar	Lakhimpur	Jaunpur	Lakhimpur	Kanshiram Nagar	Muzaffar Nagar	Gonda	Budaun	Bhadoi	Sultanpur
2	**Andhra Pradesh**	Hyderabad	Secundrabad	Visakha-patnam	Chitoor	Mahabubnagar	Kadapa	Nalgonda	Anantpur	Vizianagaram	Warangal
3	**Maharashtra**	Mumbai		Mumbai	Pune	Chandrapur	Thane	Nagpur	Jalgaon	Gondia	Solapur
4	**West Bengal**	Asansol	Alipore	Barasat	Howrah	Hooghly	Nadia	Medinipur	Purlia	Bankura	Mekliganj
5	**Chhatisgarh**	Drug	Raipur	Bilaspur	Raigarh	Korba	Jagdalpur	Janjgir	Bailkunthpur, Korea	Bemetara	Surajpur
6	**Gujrat**	Anand		Patan	Junagadh	Kutch	Mahesana	Valsad	Palanpur	Bhavnagar	Rajkot
7	**Jharkhand**	Bokaro	Simdega	Giridih	Dumka	Ranchi	Jamshedpur	Hazaribagh	Dalton Ganj	Godda	Garhwa
8	**Kerala**	Thiruvanan-thapuram		Kalpetta			Thrissur	Ernakulam	Kozhikode		Alappuzha
9	**Madhya Pradesh**	Rewa	Sagar	Satna	Bhopal	Jabalpur	Damoh	Singrauli	Dhar	Katni	Ashok Nagar
10	**Chennai**	Egmore (Chennai)		Kumbakonam	Cuddalore	Coimbatore	Dharampuri	Sampath Nagar	Kanyakumari	Karur	Egmore
11	**Orissa**	Cuttack	Puri	Berhampur	Jeypore	Khurda	Bhawani-Patna		Sambalpur		Jajpur
12	**Bihar**	Patna	Muzaffarpur	Bhagalpur	Darbhanga	Purnia	Gaya	Munger	Champaran	Motihari	
13	**Rajasthan**	Jaipur	Ajmer	Jodhpur	Udaipur	Bikaner	Kota	Bhilwara	Sriganga Nagar	Madhopur	Hanuman-garh

Special Events

As already mentioned, two programmes were organized in August 2011 and January, 2012 for a group of judges from Sri Lanka. The main objective of the five day academic programme for the 31 judges was to discuss the current issues and recent developments in selected areas of law.

The Annual Meeting of Chief Justices and High Court Judges in Charge of Education for the development of the Calendar of the National Judicial Academy for the academic session July 2012- May 2013 was held at NJA, Bhopal on March 24, 2012.

ADMINISTRATION AND STAFF

In a period of nine years, NJA has already become a note worthy institution for judicial education, research on court management and justice administration and policy development. The central reason for the stupendous growth of the NJA has been the support which the institution has received from its administration. Given below is a bird's eye view of the administrative structure of the NJA:

1. MEMBERS OF THE NJA SOCIETY:

(as on 31st March, 2012)

S/N	Designation	Name
1	The Chief Justice of India _(ex officio Chairman	Hon'ble Mr. Justice S.H. Kapadia
2	Two puisne Judges of the Supreme Court of India	1) Hon'ble Mr Justice Altamas Kabir 2) Hon'ble Mr. Justice D. K. Jain
3	Chief Justice of a High Court	Hon'ble Mr Justice Syed Rafat Alam Chief Justice, High Court of Allahabad
4	Director, National Judicial Academy (ex-officio Secretary of the Society).	Prof. (Dr.) K.N. Chandrasekharan Pillai
5	One Judge of another High Court	Hon'ble Mr. Justice A.K. Sikri, Judge, Delhi High Co
6	Two Law Academics	1) Director, NLIU, Bhopal *(ex* officio) 2) Dean Faculty of Law, Delhi University (ex officio)
7	ex officio members: (a) Minister for Law, Govt of India (b) Chairman, Bar Council of India	 Mr. Salman Kurshid Mr. Ashok Parija
8	Secretary to the Government of India, Department of Justice	Mr. Devendra Kumar Sikri
9	Secretary to the Government of India, Department of Legal Affairs	Mr D.R. Meena
10	Secretary to the Government of India, Department of Personnel and Training	Mr. P.K. Misra
11	Sectetary to the Government of India, Department of Expenditure	Shri Sumit Bose
12	Secretary General of the Supreme Court of India	Mr. A.I.S.Cheema

2. GENERAL BODY

The General Body comprises of the members of the Society (as listed above).

3. GOVERNING COUNCIL

The administration, management and control of the Society is vested in the Governing Council which consists o the following:-

(as on 31st March, 2012

S/N	Designation	Name
1.	The Chief Justice of India (ex officio Chairman)	Hon'ble Mr. Justice S.H. Kapadia
2.	Member Judges, Supreme Court of India	1) Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir 2) Hon'ble Mr. Justice D.K.Jain
3.	Director. NJA (ex-officio Member. Convenor)	Prof (Dr.) K.N. Chandrasekharan Pillal
4.	Secretary to the Government of India, Department of Justice, Ministry of Law & Justice	Mr Devendra Kurnar Sikri
5	Secretary to the Government of India, Department of Expenditure, Ministry of Finance	Shri Sumit Bose
6	Secretary to the Government of India, Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice	Mr. D.R. Meena
7	Secretary General, Supreme Court of India	Mr. A.I.S. Cheema

4. ACADEMIC COUNCIL

An Academic Council, comprising of the Chief Justice of India (ex-officio Chairman of the Academy) & two Senior-most Judges of the Supreme Court and other nominated members (nominated by the Chairman) of the Supreme Court, has been constituted, by the Governing Council vide its Resolution dated 18th November, 2003. The Council has been enlarged by the Chairman with the approval of the Governing Council vide its Resolution dated 7th February, 2006 and consists of the following members as on 31st March 2012:

S/N	Name	Designation
1.	Hon'ble Mr. Justice S. H. Kapadia, Chairman	The Chief Justice of India
2.	i. Hon'ble Mr.Justice Altamas Kabir; ii.Hon'ble Mr. Justice Dalveer Bhandari iii. Hon'ble Mr. Justice Deepak Verma ;	Judges of the Supreme Court of India
3.	Prof. (Dr.) K.N. Chandrasekharan Pillai Coordinator	Director, NJA
4.	Hon'ble Mr. Justice M. Jagannadha Rao	Former Judge, Supreme Court of India
5	Hon'ble Mr. Justice A.K. Sikri	Judge, Delhi High Court
6	Hon'ble Mr. Justice V.S. Aggarwal	Former Judge, Delhi High Court
7.	Mr. Gopal Subramanium	Former Solicitor General of India.
8.	i. Mr. Fali S. Nariman ii. Mr. K.K. Venugopal iii. Mr. P.P. Rao	Senior Advocates, Supreme Court of India
9.	Mr. A.I.S.Cheema	Secretary General, Supreme Court of India
10.	Director, Indian Law Institute	(ex-officio)
11.	Dr. S. K. Jain	A Judge from Delhi Higher Judicial Services

5. EXECUTIVE COMMITTEE

An Executive Committee, comprising of Chief Justice of India (ex-officio Chairman of NJA) and three Senior Most Judges of Supreme Court has been constituted by the Governing Council vide its Resolution dated 18th November, 2003 for continuing supervision in programmes and administration. The composition of the Executive Committee as on 31st March 2012 is as under:-

S/N	Designation	Name
1.	The Chief Justice of India (ex officio Chairman of the Academy)	Hon'ble Mr. Justice S.H. Kapadia
2.	Three Senior most Judges of the Supreme Court of India	a) Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir b) Hon'ble Justice Mr. Dalveer Bhandari c) Hon'ble Mr. Justice D.K. Jain
3.	Director, NJA (Coordinator)	Prof. (Dr.) K.N. Chandrasekharan Pillai

6. OFFFICERS OF NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

ADMINISTRATION

The Director of the Society is the Principal Executive Officer of the Society appointed by the Chairman with the approval of the Government of India.

The administration of the Academy is looked after by the Director with assistance from two Registrars and other officers.

ADMINISTRATIVE OFFICERS

(as on 31st March, 2012)

Sr. No.	Name of Post	Name of the Officer	Details of Posts		
			Sanctioned	Existing	Vacant
1.	Director	Prof. (Dr.) K.N.Chandrasekharan Pillai	1	1	-
2.	Registrar (Adminstration)	-	1	-	1
3.	Chief Accounts Officer	Mr. Avinash Choudhary	1	1	-
4.	Administrative Officer	Mr. Kuriakose Mathew	1	1	-
5.	Maintenance Engineer	Mr Ajay Saini	1	1	-
6.	Deputy Librarian	-	1	-	1
7.	Manager (Event Management)	Mr. Cheten Nehete	1	1	-
8.	Manager (Hospitality)	Ms. Ankita Nigam	1	1	-
9.	Computer System Administrator	Mr. Amzad Khan	1	1	-
10.	Manager (Documentation & Communication and PR)	Mrs.Sangeeta M. Rasaily Mishra	1	1	-

ACADEMIC

For every academic programme, a team of very distinguished faculty members are invited from different parts of India who stay with the participants on campus during the programme period and interact with them.

The Academy has the following members in its faculty:

FACULTY

(as on 31st March, 2012)

S/N	Name of Post	Name of the Officer	Sanctioned post	Existing Strength	No. of vacant Post
1.	Director	Prof. (Dr.) K.N. Chandrasekharan Pillai	1	1	-
2.	Additional Director	-	1	-	1
3.	Registrar (Academic Programmes)	Mr. S. P. Srivastava	1	1	-
4	Professor	-	3	-	3
5	Assistant Professor	Ms. Nidhi Gupta Dr. Silla Ramsundar Dr.Dayanand Murthy Dr.Sheena Shukkur Mr. K.P. Rama Rao Mr. C. Ramesh Kumar	6	6	-
6	Research Fellow	Mr. Siddhartha Sharma Mr. Neeraj Tiwari	6	2	4
7	Law Associate	Mr.Rajesh Suman Ms.Garima Tiwari (upto January 23, 2012) Ms. Shruti Jane Eusebius	6	2	4

7. INFRASTRUCTURE AND SUPPORT SYSTEMS:

Located on a hillock on the outskirts of the City overlooking the famous upper lake of Bhopal, the Academy provides a panoramic view of the city and its surroundings. The campus of the Academy is spread over 62 acres with a built up area of 28,000 sq. metres. With lush green surroundings, unpolluted air and natural scenery, the Academy provides an ideal setting for study, reflection, research and recreation. Therefore, the Academy with its state-of-the-art judicial education facility can rightfully claim to be the most modern and well equipped centre for education and research work relating to the judicial establishment in the country.

A brief description of the infra-structural facilities is given below:

(A) The Campus has the following centrally air-conditioned buildings:

(i) VIP Guest House No.1 (144 self-contained suites with all attached facilities at four levels);

(ii) VIP Guest House No. 2 (12 Suites with 5-Star facilities);

(iii) Management Block (Office Rooms for Director, Registrar and other Officers/Staff);

(iv) Six Seminar Rooms, 10 rooms for faculty and a conference hall;

(v) Library (Gyan Ganga) & Research Centre (Gyan Manthan);

(vi) Auditorium-cum-Convention Hall;

(vii) Recreation Complex;

(viii) Executive Dining Hall with attached kitchen facilities.

(B) Residential Facilities:

i) VIP Guest House No.1:

Stepping down on four levels, the hostel rooms open out to a terrace garden for each room at every level. This Guest House has a total of 144 well furnished rooms, and is provided with provision for double

occupancy, the rooms here have attached facilities including a telephone. A modern kitchen with latest kitchen equipment and a large dining hall, waiting lounge, reception, doctor's room and other amenities are part of the Guest House Building. With a Lift to facilitate movement of the guests through all the levels, the rooms are an ideal place to go back after an invigorating academic session.

ii) V.I.P. Guest House No. 2:

The Guest House has twelve well furnished suites for the visiting dignitaries with a Waiting Lounge, a Modern Kitchen and a Dining Hall.

iii) For Officers and Employees of the Academy:

(a) Bungalows for Director/Addl. Director: The Academy has two fully furnished Bungalows, each designated for the Director and the Addl. Director of the Academy.

(b) Row Houses: The Academy has twelve independent Row Houses; of which eight have 3-bedroom and four have 2-bedrooms, for its Officers.

(c) Staff Quarters: The Academy has a total of thirty-four staff quarters for various categories of its staff.

(C) Infrastructure for Academic & Research Activities:

(i) Six Seminar rooms: Six Seminar Rooms with a seating capacity for 30 to 40 persons have been constructed and furnished with latest audio visual equipments for presentation, inter-active sessions, and teaching etc.

(ii) Auditorium-cum-Convention Hall: It has a seating capacity for 281 persons and is equipped with the latest audio visual equipments for holding Conferences & Seminars.

(iii) Faculty Rooms: For providing suitable chambers and secretarial services to the members of faculty, ten rooms with cabins for the Secretarial Staff have been constructed and fully furnished in the Academic Block of the Academy. There is a separate Conference Hall for the members of faculty for facilitating discussions amongst the members of the faculty

(D) Library (Gyan Ganga

National Judicial Academy has a reasonably good library with books, journals, magazines, research publications, manuscripts, reports and other documents related to the judiciary and Law. It was started in 2004 in an area of 1412sq.meter devoted solely for this purpose. In a period of just about seven years, the Library has acquired 20,000 volumes, which include both national & international publications.

The Library also provides online accessibility to Manupatra, S.C.C Grand Jurix, EPW, West Law, Hein Online & JSTOR. Five thousand resource materials of the programmes held previously is available for ready reference here.

Named the Gyan Ganga, it is manned by two Library Assistants. It is open for use of the participants from 9.00 am to 9.00 pm. The entire Library with internet connectivity has nine work stations to facilitate the participants. The Library has all facilities including a documentation centre, news paper & magazine section, reading room and a conference hall.

Details of the facilities at Gyan Ganga (Library):

(i) Reading Room: The reading room is fully furnished for display of latest journals and publications etc. with seating facility for 66 persons.

(ii) Compactors for law books: The basement of the Library block has Compactors for safe storage of 75,000 law books.

(iii) Documentation Centre: Library has a separate section for documentation work with latest photocopiers, scanners and computers.

We are in the process of revamping the Library system.

(E) **Recreation Centre:** The Centre is functional with various state of the art facilities i.e. Swimming Pool, Steam Bath, Lawn Tennis Court, Billiards, Gym etc.

(F) **Water Supply System:** The Campus has a dedicated Water Supply System with its own Filter Plant and other ancillaries to provide uninterrupted water supply to the Academy.

(G) **Electricity Supply System:** Similarly, to provide uninterrupted electric supply to the Academy, the Academy has made special arrangement of electric supply through a dedicated 33 KV feeder from MPSEB and a stand-by generator of 500 KV. capacity.

(H) **Security:** The security of the Campus is managed by Baaz Security services which employ nearly 57 security personnel to provide round-the-clock security.

GOVERNANCE OF NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

The Governing Council at its meeting held on August 2, 2011 took the following important decisions:

- Approved and Passed the Accounts of the Society for the year 2010-2011.
- Approved and passed the Annual Budget of the Society for the year 2011-2012, except addition of new Budget head "staff welfare expenses".
- Approved the Annual report of the Academy for the year 2010-11.
- Resolved to nominate a committee with Director, NJA and representatives of Department of Justice and Expenditure, Government of India, as members to assess the staff requirement of Academy and also to suggest the modalities to be followed for regularization of staff. Further, the Committee will formulate rules and regulations following the Government of India rules for the staff. It will also suggest areas where staff on regular basis are required and where services could be outsourced. The Committee shall also examine the options for security arrangements of Academy campus and submit its recommendations. The recommendations of the Committee shall be placed in the next Governing Council meeting.
- Resolved to accord administrative and financial sanction for an estimated expenditure for the services provided for Security; Transportation; Cleaning of Buildings & Roads and Housekeeping of Guest Houses; Catering; Photocopying, Printing and Binding work for a period of two years.
- Resolved to authorize the Director to make payments for all the above said services availed by the Academy as per actual services and approved unit rates

The General Body at its meeting held on August 2, 2011 took the following important decisions:

- Approved the Accounts of the Society for the year 2010-2011.
- Approved and passed the Annual Budget of the Society for the year 2011-2012, except addition of new Budget head "staff welfare expenses".
- Approved the Annual Report of the Academy for the year 2010-11.
- Information on the action taken report on audit observation in respect of reconciliation of fixed assets to be given to the concerned authority. The remaining Capital Grant-in-Aid with the Academy to be returned to Government of India and for future needs Government of India may be requested for grant on timely basis.
- The facilities of NJA be made available to Officers working in Regulatory Agencies for orientation. Resolved that NJA may accommodate such programmes in its regular programmes, subject to feasibility of time and resources, if such proposals with all research inputs are sent to it by such Agencies.

The Academic Council approved the calendar for 2011-12 for 147 progammes under various programme types.

Progress Report on the implementation of

NATIONAL JUDICIAL EDUCATION STRATEGY

NJES has been implemented since January, 2007 and its implementation has now completed five full academic years (2007-08; 2008-09; 2009-10, 2010-11, 2011-12)

Set out below is a matrix reporting the progress in the implementation of NJES.

A. ASSESSMENT OF PROGRESS IN ACHIEVING NJES KEY GOALS AND OBJECTIVES

	NJES GOAL/OBJECTIVE	PROGRESS
1	**National Judicial Education must focus on enhancing the delivery of timely justice.** (1) Reduction of delays and arrears will need to be pursued through education and training on (i) use of information and communication technology (ICT); (ii) use of modern management systems for court and case management; (iii) strengthening core judicial knowledge and skills; and (iv) promotion of ADR methods (mediation, conciliation, arbitration or Lok Adalat). (2) The capacity of the judiciary to respond to priority areas of justice will be enhanced through (i) broadening judges' perspectives on justice issues in areas of greatest demand for justice and sensitizing them to the need for effective justice delivery; and (ii) developing the ability of judges to use new and innovative approaches to effectively respond to the demand for justice delivery within the existing legal framework.	Progress is satisfactory. (1) Main focus of NJA programmes is explicitly now on enhancing delivery of timely justice in terms of delay and arrears reduction as well as on enhancing quality and responsiveness of justice. (2) NJA has developed a detailed framework for reducing delay and arrears and enhancing quality and responsiveness of justice (called "Planning and Management for Timely Justice").

	NJES GOAL/OBJECTIVE	PROGRESS
	(3) The 117 th Report of the Law Commission of India dated November 1986 ("Training of Judicial Officers") noted the inadequacy of practical training for judges because this will "sustain past practice without any change or without any effort to to ne it to the mores of the day" (para 2.6). This Law Commission Report went on to say: The basic aim of [judicial] training is to equip the trainees not only with tools to execute their work, but to endow them with vision as to what is expected of the system they serve. What is meant by justice? What is decision making process? What are the goals of the Constitution? What is the direction in which law must move? What does the dictum justice according to law imply?	(3) The calendar for a given year is formulated during the annual calendar meeting in consultation with Judges of the High Courts in charge of Judicial Education. The programmes cover all aspects as laid do wn in the Law Commission Report.
2	**Scaling up of NJA programmes** : All 13,000 judges across the country should receive NJA training for at least one week every year (2% of their annual time), focused on issues of national priority. Focus on 5,000 -6,000 CJM/district level and above. Currently High Courts have indicated that, due to institutional constraints, some 2500 or so judges may be sent to NJA each year.	Satisfactory progress. Number of judges participating in NJA programmes as well as number of programmes has increased four -fold to about 3000 judges and 100 programmes per year. At the current level a judge may expect to come to NJA once in 4 years or so.

	NJES GOAL/OBJECTIVE	PROGRESS
	On an average a judge may come to NJA once in about 15 years. High Court judges' programmes were not being routinely carried out. NJA needs to cover judges at all tiers from across the country.	Monthly conferences of High Court judges being held with some 250 High Court judges attending these conferences each year. With the introduction of junior division orientation programmes, NJA today covers judges of all tiers.
3	**Distinguishing roles of NJA and State Judicial Academies (SJA) and avoiding duplication of effort.** The main comparative advantage of NJA is its ability to bring a national perspective to judicial education and training, inculcate *a* national outlook amongst judges at all levels and focus on key issues of national priority that cut across states.	Satisfactory (1)NJA programmes are focusing on issues of national priority. (2)NJA calendar is now routinely developed at a meeting of High Courts ("Annual Calendar Meeting") to avoid duplication with SJAs . (3)Monthly meeting of SJAs is held to facilitate coordination with NJA and amongst SJAs .
4	**Support and Encourage SJAs**	Satisfactory progress. (1) 5 (monthly) programmes held with SJAs this year to help develop judicial education at the State level; These meetings systemically focused on development of National curric ulum for judicial education. (2) Training of Trainer porgramme was organized for the faculty of SJAs to equip them better to achieve the objectives of judicial education. (3)Monthly Regional programmes being held in various parts of the country in collaboration with SJAs

5	**Programme Types:** To meet these education needs, NJA will need deliver four types of education/training programs: i. Programs Teaching Tools and Techniques for arrears and delay reduction ; ii. Programs providing Core Judicial Skills and Knowledge/ Judicial Method Development ; iii. Programs Broadening Judges' Perspectives on Priority Areas of Justice Demand ; and iv. New and Emerging Areas.	Satisfactory progress. NJA conducted five types of programmes on (1) Strengthening institutional framework of the judicial system; (2) Enhancing the quality, efficiency and timeliness of the key function of the judicial system (adjudication), targeting the main categories of adjudication; (3) Enhancing individual capacity of judges (core judicial qualities, attitudes, skills and knowledge (QASK); (4) Enhancing the social impact of the Judicial system; and (5) Enhancing the overall performance of courts that face high levels of delay, arrears, quality, and access challenges.
6	**Judicial Reform and Policy Development/Court Statistics:** NJA will establish a small unit that will undertake systematic research work on strengthening judicial administration through judicial reform for the advancement of strategic goals and objectives. As a part of this, NJA will establish a court statistics project which will develop norms and policies for collecting and analyzing court statistics for the consideration of the Supreme Court and also prepare periodical analysis of court statistics. NJA will also carry out an active research program focused on the strategic goals.	Satisfactory progress in developing analytical measures on judicial reform and judicial statistics. Unit/project yet to be established for periodical analysis of court statistics . Research programmes are to be initiated.

	NJES GOAL/OBJECTIVE	PROGRESS
7	Conceptualize Judicial Education distinct from Legal Education	Satisfactory progress (see below)
	Five Key Judicial Education Goals: Goal 1: Providing basic knowledge (SJAs) Filling information gaps on statutes and case law, including their interpretation (SJAs) Goal 2: Providing advanced knowledge including in new/ emerging areas (SJAs and NJA) Goal 3: Improving the methodologies and processes by which judges reach judgments ("judicial method") i.e., judicial reform at the court level (SJAs and NJA) Goal 4: Strengthening Philosophy/ Perspective Raising social commitment of judges to the justice goals behind statutes/case law and their resolve to achieve just outcomes (SJAs and NJA) Goal 5: Strengthening judicial ethics and character building of judges/ building national outlook (SJAs and NJA)	Satisfactory progress in realigning syllabus to meet these roles as assigned to NJA

	NJES GOAL/OBJECTIVE	PROGRESS
8	Establishing a Clear Strategic Goal for Judicial Education **("why"?):**	Satisfactory progress
9	Clear Identification of Beneficiaries/Target Groups and Targeting of Programs **("who"? "when"?):**	Satisfactory progress. New programmes started for High Court judges, district judges, junior judges, as well as for functionally-based groups of judges. Programmes for stakeholders other than judges also initiated. This academic year the Court Excellence Enhancement Programme was introduced, which brought together under one roof various duty holders of the Court –Bench, Bar, Ministerial staff, Prosecutors , members of Civil society and Police and facilitated exchange of ideas.
10	Developing Curricula and New Programs **("what"?)**	Satisfactory progress. New curriculum and number of new programmes developed .
11	**Dissemination of NJA programmes** through video-conferencing/web-streaming links and through posting material on the NJA web site)	Progress not satisfactory due to lack of adequate staff
12	**Impact Evaluation**	Satisfactory progress in implementing course evaluation and developing a new framework for evaluation of impact
13	**Improving Pedagogy and Delivery Methodology ("how?")**	Satisfactory progress. Use of simulations; discussions; experiential learning, field visits, audio visual aids etc.
14	**Development of Judicial Sciences through a "Judicial University "** which could conduct degree and diploma courses and confer LL.M. degrees to judicial officers	Work yet to begin A proposal is being made to have a link with a National Law University as a first step .

	NJES GOAL/OBJECTIVE	PROGRESS
	through distance education (initially in collaboration with a National Law University). As a judicial university NJA could also offer a six month diploma program on ADR as well as on mediation, a short certificate course on mediation, prepare CDs on subjects of importance to judges and offer opportunities to do doctoral research on judicial topics.	
15	**Quality Control:** NJA should establish appropriate mechanisms for quality control of NJA educational programs that are independent and carried out by domain experts.	Not yet done
16	**Coordination with E -Committ ee:** Given the emphasis on arrears and delay reduction, the need to educate on greater use of technology by courts as well as in delivering judicial education, close coordination with the E-Committee will be required. The E -Committee may provide guidance on matters relating to the use of technology in courts also to ensure that judicial education remains fully consistent with the technological solutions coming from the E -Committee.	Satisfactory progress.
17	**Mechanism for Better Targeting of Judicial** Educati on: NJA will develop for consideration of State High Courts and the Supreme Court a suggested mechanism to ensure that judicial education (including	Not yet done

	NJES GOAL/OBJECTIVE	PROGRESS
	selection of trainees) is appropriately matched to judges' needs in terms of their responsibilities.	
18	**Resource Material**	Quality significantly improved; dissemination also improved.
19	**Faculty**	Despite several attempts at recruitment senior positions are still lying vacant viz. posts of Additional Director, Registrar (Academic Programmes) and three Professors. Four posts of Research Fellows and four Law Associates still vacant.

The goals and targets of NJES remain relevant. Overall there has been satisfactory progress in implementing NJES. In the last five years since the implementation of NJES a number of new ideas and programmes have been developed at NJA. There are a number of areas in which implementation needs to be further strengthened. The main areas include the following:

(1) Publications;
(2) Recommendations and Discussion papers for Policy Development to Strengthen the Judicial System (including Planning and Management for Timely Justice);
(3) Dissemination of Advanced Knowledge on Key/Selected Areas of Law with focus on Supreme Court jurisprudence;
(4) Research into the Judicial System and Development of Judicial Statistics;
(5) Strengthening Academic and Administrative staff capacity as well as internal policies and procedures;
(6) Completing needed additions of infrastructure;
(7) Increasing international collaboration.

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the National Judicial Academy, Bhopal for the year ended 31 March 2012.

We have audited the attached Balance Sheet of **National Judicial Academy (NJA), Bhopal** as at 31 March 2012, and the Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The Audit has been entrusted for the period up to 2012-13. These financial statements are the responsibility of the NJA's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.

(iii) In our opinion, proper books of account and other relevant records have been maintained by the NJA Bhopal, in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that :-

A Grant –in-aid

During the year 2011-12, the NJA received grant-in-aid (Non Plan) of ₹ 6.78 crore from Government of India. In addition, it had unspent balance of ₹ 4.14 crore from previous year. Thus, out of the total available funds of ₹ 10.92 crore, an amount of ₹ 7.59 crore has been utilized by the NJA during the year, leaving unspent balance of ₹ 3.33 crore at the end of the year.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and the Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the National Judicial Academy, Bhopal as at 31 March 2012; and

(b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India



Director General of Audit

Place: Gwalior

Dated 2.2013

Annexure

1. Adequacy of Internal control system :-

The Academy has not yet framed the Rules and Regulations (Service Rule, Finance Rules and Purchase Rules) for management and administration of the Academy as required under its memorandum of Association.

2. Adequacy of Internal Audit system:-

Internal audit of the Academy is being conducted by office of the Controller of Accounts, Ministry of Law and Justice, New Delhi.

3. System of Physical Verification of Assets:-

Physical verification of assets has been conducted during the year.

4. System of Physical Verification of Inventories:-

The physical verification of inventories has been conducted during the year.

5. Regularity in payment of statutory dues:-

No irregularity in payment of statutory dues was noticed during Audit.

Audit Officer /AMG-II

National Judicial Academy

Reply to Audit Observations

Audit Para No.	Audit Observation	Reply to Audit Observation
A. Grant-in-aid		
	During the year 2011-12, the NJA received grant-in-aid (Non Plan) of ₹6.78 crore from Government of India. In addition, it had unspent balance of ₹4.14 crore from previous year. Thus, out of the total available funds of ₹10.92 crore, an amount of ₹7.59 crore has been utilized by the NJA during the year, leaving unspent balance of ₹3.33 crore at the end of the year.	Budget Estimates for the year 2012-13 have been revised by the Academy after taking into account the unspent grant available with the Academy in the line of letter no. L-19020/6/2012-Jus dated 09.08.2012 issued by the Ministry of Law and Justice, Department of Justice. Revised Estimates for 2012-13 were sent by the Academy to the Department of Justice, New Delhi vide letter no. NJA/Acctt.&Audit/14/2746 dated 08.09.2012. Balance amount of grant –in-aid ₹3.33 crores have been fully utilized by the Academy during the year 2012-13 and utilization certificate was sent to the Department of Justice.
Annexure		
1. Adequacy of Internal Control System :-		
	The Academy has not yet framed the Rules and Regulations (Service Rule, Finance Rules and Purchase Rules) for management and administration of the Academy as required under its memorandum of Association.	A Committee was constituted by the Governing Council at its meeting held on 2nd August, 2011 to formulate rules and regulations following the Government of India rules for the staff. The draft service Rules have been prepared by the committee and process of finalisation of the same is in progess. The Academy scrupulously follows General Financial Rules (GFR)-2005 as applicable in respect of day-to-day affairs of the Academy.

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

Balance Sheet

As on 31st March, 2012

(Amount in ₹)

Particulars	Schedule	Current Year 2011-12	Previous Year 2010-11
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CAPITAL FUND	1	12 16 55 527.29	11 20 82 196.29
EARMARKED FUND	2	0.00	2 23 09 562.00
CURRENT LIABILITIES & PROVISION	3	1 23 45 413.75	81 63 238.00
Total		**13 40 00 941.04**	**14 25 54 996.29**
ASSETS			
FIXED ASSETS	4		
(a) Created out of Government Grant (At Nominal Cost)		1 800.00	1 800.00
(b) Other Fixed Assets (At Written Down Value)		7 01 785.00	7 96 789.00
CURRENT ASSETS ADVANCES AND DEPOSITS	5	13 32 97 356.04	14 17 56 407.29
Total		**13 40 00 941.04**	**14 25 54 996.29**

Significant Accounting Policies and Notes 9

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. K.N.Chandrasekharan Pillai)
Director

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
Income and Expenditure Account
For the year ended on 31st March, 2012

(Amount in ₹)

Particulars	Schedule	Current Year 2011-12	Previous Year 2010-11
A. Income			
Non-Plan Revenue Grant-in-Aid		6 78 42 000.00	9 72 00 000.00
Interest earned on Bank Deposits & FDRs	6	91 02 216.75	48 67 272.49
Lodging & Boarding charges		47 05 601.00	66 24 500.00
Registration fees		8 57 000.00	13 17 000.00
Rent and Electricity charges from Post Office & Bank		60 427.00	55 900.00
Sale of NJA Publications		45 419.00	72 882.00
Electricity,Water and Cable charges recovered		2 90 066.00	2 25 185.00
Tender Fees		60 500.00	51 000.00
Miscellaneous Income		34 105.00	80 619.00
Performance Security Forfeited		0.00	39 060.00
Security Deposit Forfeited		0.00	1 63 731.00
Academic Programmes-Sri Lankan Judges		12 97 401.00	7 50 626.00
Academic Programme-CAT		0.00	2 74 425.00
Regional Programme (West Zone)		2 74 856.00	0.00
Total-A		**8 45 69 591.75**	**11 17 22 200.49**
Expenditure			
Establishment Expenses	7	2 89 89 626.00	2 40 71 366.00
Other Administrative Expenses	8	4 29 27 203.75	4 93 75 397.49
Depreciation	4	95 004.00	1 08 728.00
Total-B		**7 20 11 833.75**	**7 35 55 491.49**
A-B		**12557758.00**	**38166709.00**
Less: Prior Period Expenses		32 15 236.00	8 16 386.00
Add: Prior Period Adjustment		2 06 229.00	2 60 100.00
Add: Prior Period Income		24 580.00	0.00
Balance being excess of Income over Expenditure transferred to Capital Fund.		**9573331.00**	**37090223.00**

Significant Accounting Policies and Notes 9

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. K.N.Chandrasekharan Pillai)
Director

NATIONAL JUDICIAL ACADEMY

Receipts & Payments Account

For the year ended on 31st March, 2012

Receipts	(Amount in ₹)		Payments	(Amount in ₹)	
Particulars	Current Year 2011-12	Previous Year 2010-11	Particulars	Current Year 2011-12	Previous Year 2010-11
To Opening Balances			**By Expenses**		
a) Cash-in-hand	0.00	0.00	a) Establishment expenses	26011354.00	21768641.00
b) Cash-at -bank :			b) Administrative Expenses	36775230.75	46640502.99
I) In Savings Deposits	14910856.74	50516356.55	**By Expenditure on Fixed Assets: (out of Capital Grant-in-Aid)**		
II) In Current Deposit	514420.00	393625.00	a) Purchase of Fixed Assets	79050.00	472851.00
II) In Fixed Deposits	70000000.00	105761000.00	b) Library Books	37936.00	1985506.00
c) NJA New Pension Scheme	121439.00	96658.00	By refund of Capital Grant-in-Aid	22192576.00	51200000.00
To Non Plan Revenue Grant-in- Aid recieved From Govt. of India	35800000.00	44700000.00	By Security Deposit With MP MKVVco. Ltd.	0.00	13300.00
To Revenue Grant-in-Aid received out of budget provision 2010-11	52500000.00	0.00	By Income Tax (TDS) deposited	1766911.00	1466013.00
To Interest received on			By VAT deposited	391762.00	584041.00
a) Savings Deposits with Bank	916544.00	1120741.00	By Professional Tax	180280.00	146320.00
b) Fixed Deposits with bank	7239367.00	5277215.00	By Salary Deductions Paid	2619947.00	1901141.00
c) Security Deposit with MPSEB	96743.75	96583.99	By Other Liabilities	1713.00	128215.00
d) Interest on NJA new pension scheme	4955.00	3085.00	By Refund of Retantion Money	1004543.00	0.00
e) others	152.00	0.00	By Sundry Creditors	297464.00	1350404.00
To Registration fees	850000.00	1220000.00	By Audit Fee payable	59782.00	0.00
To Lodging & Boarding Charges	4683101.00	6367200.00	By Refund of Performance Secuirty	2500.00	0.00
To Sale of NJA Publication	45419.00	72882.00	By Prior Period Expenses/Adjustments	3136638.00	914136.00
To Tender Fees	60500.00	51000.00	By Prepaid Expenses	745290.00	597731.00
To Academic Programme-CAT	0.00	274425.00	By Tax Deducted by MP MKVVCo. Ltd.	0.00	4215.00
To Academic Programmes- Sri Lankan Judges	1353551.00	750626.00	By Expenses Payable	2387455.00	6127896.00
To Regional Programme (West Zone)	274856.00	0.00	By Payment of Withheld Money	122973.00	0.00
To Rent & Electricity charges from PO/Bank	56860.00	55900.00	By Salary Payable	1652925.00	1581384.00
To Sundry Receivable	246600.00	73450.00	**By Closing Balance**		
To Kothari Photostate & Typing Centre	0.00	26198.19	**a) Cash in Hand**	0.00	0.00
To TDS refund received	14848.00	0.00	**b) Cash at Bank :**		
To Security Deposit Forfeited	0.00	156731.00	I) In Savings Deposit	11051967.49	14910856.74
To Security Received	50000.00	16696.00	II) In Current Deposit	570732.00	514420.00
To Miscellaneous Income	30386.00	57029.00	III) In Fixed Deposits	85000000.00	70000000.00
To Prior Period Income	24580.00	0.00	IV) In NJA New Pension Scheme	148754.00	121439.00
To Kerala Judicial Academy	190700.00	0.00			
To Recoveries / Deductions					
a) TDS on Salary	1282844.00	869054.00			
b) TDS on contractors/Others	469431.00	510150.00			
c) VAT Deducted	376030.00	490317.00			
d) Salary Deductions	2463743.00	1820932.00			
e) Performance Security	15940.75	21718.00			
f) Withheld money	204270.00	449762.00			
h) Stale Cheques A/c	62544.00	0.00			
i) Retention Money	909923.00	805742.00			
j) Cable, Water and Electricity charges	265319.00	205920.00			
k) NJA New Pension Scheme	22360.00	21696.00			
m) Professional Tax	179500.00	146320.00			
Total	**196237783.24**	**222429012.73**	**Total**	**196237783.24**	**222429012.73**

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. K.N.Chandrasekharan Pillai)
Director

National Judicial Academy

Schedules forming part of balance sheet as on 31 st March, 2012

Schedule-1

Capital Fund

(Amount in ₹)

Particulars	Current Year 2011-12	Previous Year 2010-11
At the beginning of the year	112082196.29	74991973.29
Add : Surplus during the year as per Income and Expenditure Account.	9573331.00	37090223.00
Balance at the year end	**121655527.29**	**112082196.29**

Schedule-2

Earmarked Fund

(Amount in ₹)

	Current Year 2011-12	Previous Year 2010-11
a) Opening balance of the fund for construction and other activities	2 23 09 562.00	7 33 78 042.00
Add :1. Interest on FDR	-	26 22 458.00
2. Proceeds from Photocopy Machine		4 000.00
Total (A)	2 23 09 562.00	7 60 04 500.00
Less : (I) Building	0.00	0.00
(II) Library Books	37 936.00	20 02 887.00
(III) Other Assets	79 050.00	4 92 051.00
(III) Returned to Government of India	2 21 92 576.00	5 12 00 000.00
Total (B)	2 23 09 562.00	5 36 94 938.00
Balance Grant carried forward to next year (A-B)	**0.00**	**2 23 09 562.00**

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. K.N.Chandrasekharan Pillai)
Director

National Judicial Academy

Schedules forming part of balance sheet as on 31 st March, 2012

Schedule-3

Current Liabilities and provisions

(Amount in ₹)

Particulars	Current Year 2011-12	Previous Year 2010-11
(A) Current Liabilities		
Sundry Creditors	594757.00	606533.00
1. Salary Deductions		
GPF/CPF	47302.00	15215.00
VPF	0.00	15000.00
Interest on HBL	7000.00	1000.00
Professional Tax	0.00	780.00
SLI	250.00	250.00
SGE/GIS	1700.00	3820.00
Staff Welfare Fund	15.00	15.00
Tier - I Employees Contribution	941.00	913.00
CMTD Railway	1000.00	1000.00
Chief Justice(A.P.) Relief fund	120.00	0.00
GLI-AP	3000.00	0.00
GSLI	14971.00	0.00
L.I.P.	1033.00	0.00
2. Other Liabilities		
Audit Fee Payable	30450.00	59782.00
NJA new pension scheme	148754.00	121439.00
Performance Securities	18065.75	4625.00
Payable to others	56275.00	0.00
Staff Paybles	1412.00	1656.00
Stale Cheques Account	173949.00	111405.00
Security Received	797880.00	747880.00
Withheld Money	687559.00	606262.00
Retention Money	1554482.00	1849102.00
3. Statutory Liabilities		
PF payble	187220.00	145813.00
VAT Payable	0.00	15732.00
TDS Payable	0.00	14636.00
Total (A)	**4328135.75**	**4122858.00**
(B) Provisions		
Salary Payable	2326910.00	1651425.00
Expenses Payable	5690368.00	2388955.00
Total (B)	**8017278.00**	**4040380.00**
Total (A+B)	**12345413.75**	**8163238.00**

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. K.N.Chandrasekharan Pillai)
Director

National Judicial Academy

Schedules forming part of balance sheet as on 31st March, 2012

Schedule-4

Fixed Assets

Acquired/ Created out of capital grant

S. No.	Description	Rate of Depreciation (%)	Gross Block						Deduction from Grants			Book Value	
			Cost as at the beginning of the year	Additions during the year upto 30.09.2011	Additions during the year after 30.09.2011	Adjustments During the Year		Cost at the year end	As at the beginning of the year(After adjustment made during the year)	During of the Year	As at the year end	Nominal Cost at the end of current Year	Nominal Cost at the end of previous year
						Addition	Deduction						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7-8	10	11	12	13 =9-12	14
A. Fixed Assets													
1	Building		542359815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542359815.00	542359715.00	0.00	542359715.00	100.00	100.00
2	Furniture & Fixtures												
A.	F/F VIP Guest House		5845487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5845487.00	5845387.00	0.00	5845387.00	100.00	100.00
B.	Interior work of Auditorium		7118473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7118473.00	7118373.00	0.00	7118373.00	100.00	100.00
C.	Hostel Furniture		20851031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20851031.00	20850931.00	0.00	20850931.00	100.00	100.00
D.	Furniture & Fixtures (Other)		9539662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9539662.00	9539562.00	0.00	9539562.00	100.00	100.00
3	Elecrical Installation												
A.	Air Conditioning Plant		40004017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40004017.00	40003917.00	0.00	40003917.00	100.00	100.00
B.	Audio Visual System		6188923.00	0.00	0.00	0.00	148948.00	6039975.00	6039875.00	0.00	6039875.00	100.00	100.00
C.	Electric Installations (Other)		45118091.00	79050.00	0.00	0.00	0.00	45197141.00	45117991.00	79050.00	45197041.00	100.00	100.00
D.	Solar Water Heating System		1575135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1575135.00	1575035.00	0.00	1575035.00	100.00	100.00
4	Water Supply System		9259620.00	0.00	0.00	148948.00	0.00	9408568.00	9408468.00	0.00	9408468.00	100.00	100.00
5	Office Equipment												
A.	EPABX		2060000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2060000.00	2059900.00		2059900.00	100.00	100.00
B.	Office Equipment (Other)		356252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356252.00	356152.00	0.00	356152.00	100.00	100.00
6	Computer		16879894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16879894.00	16879894.00	0.00	16879894.00	100.00	100.00
7	TV		449000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449000.00	448900.00	0.00	448900.00	100.00	100.00
8	Kitchen Equipments		6336613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6336613.00	6336513.00	0.00	6336513.00	100.00	100.00
9	Gymnasium Equipments		880000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880000.00	879900.00	0.00	879900.00	100.00	100.00
10	Vehicle		34462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34462.00	34362.00	0.00	34362.00	100.00	100.00
11	Library Books		14382967.00	37936.00	0.00	0.00	0.00	14420903.00	14382867.00	37936.00	14420803.00	100.00	100.00
	Total		729239542.00	116986.00	0.00	148948.00	148948.00	729356528.00	729237742.00	116986.00	729354728.00	1800.00	1800.00

Acquired/ Created out of own funds

S. No.	Description	Rate of Depreciation (%)	Gross Block						Depreciation					Net Block	
			Cost as at the beginning of the year	Additions during the year before 30.09.2008	Additions during the year after 30.09.2008	Adjustments During the Year		Cost at the year end	As at the beginning of the year	On Assets sold during the year	For the year on Opening Balance	On Addition during the year	Total up to the year end	As at the current year end	As at the previous year end
						Addition	Deduction								
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7-8	10	11	12	13	14=10-11+12+13	15=9-14	16
1	Vehicle	15%	1211796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1211796.00	919833.00	0.00	43794.00	0.00	963627.00	248169.00	291963.00
2	Overhead Projector	15%	21893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21893.00	14875.00	0.00	1053.00	0.00	15928.00	5965.00	7018.00
3	Photocopier	15%	38838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38838.00	33538.00	0.00	795.00	0.00	34333.00	4505.00	5300.00
4	Electric Installation	10%	135840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135840.00	81767.00	0.00	5407.00	0.00	87174.00	48666.00	54073.00
5	Computer	60%	362636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362636.00	362413.00	0.00	134.00	0.00	362547.00	89.00	223.00
6	Furniture & Fixtures	10%	758041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758041.00	319829.00	0.00	43821.00	0.00	363650.00	394391.00	438212.00
Total			2529044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2529044.00	1732255.00	0.00	95004.00	0.00	1827259.00	701785.00	796789.00
GRAND TOTAL			731768586.00	116986.00	0.00	148948.00	148948.00	731885572.00	730969997.00	116986.00				703585.00	798589.00

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. K.N.Chandrasekharan Pillai)
Director

National Judicial Academy

Schedules forming part of balance sheet as on 31 st March, 2012

Schedule-5

Current Assets , Advances & Deposits

(Amount in ₹)

Particulars	Current Year 2011-12	Previous Year 2010-11
(A) Current Assets		
1. Sundry Receivables	*571573.00*	*853173.00*
2. Revenue Grant-in-Aid (receivable)	*32042000.00*	*52500000.00*
3. Cash and Bank Balance		
a. Cash in Hand	*0.00*	*0.00*
b.. Balances with Scheduled Bank		
in Current Account	570732.00	514420.00
in Saving Bank Account	11051967.49	14910856.74
In Saving Bank Account (NJA New Pension Scheme)	148754.00	121439.00
in Fixed Deposit Account	85000000.00	70000000.00
Total (A)	**129385026.49**	**138899888.74**
(B) Advances & Deposits		
1. Advances and Deposits		
Advances to State Judicial Academies	0.00	1527.00
Security deposite with MPSEB	60298.55	60298.55
Security deposite with others	7500.00	7500.00
Prepaid Expenses	745290.00	597731.00
TDS by Bank & MPSEB	340594.00	274963.00
Deposits with Others	37800.00	37800.00
2. Accrued Income		
Accrued Interest on FDR	2717280.00	1876699.00
Other Accrued Income	3567.00	0.00
Total (B)	**3912329.55**	**2856518.55**
Total (A+B)	**133297356.04**	**141756407.29**

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. K.N.Chandrasekharan Pillai)
Director

National Judicial Academy

Schedules forming part of Balance Sheet as on 31 st March, 2012

Schedule-6

Interest Earned

(Amount in ₹)

Particulars	Current Year 2011-12	Previous Year 2010-11
On term deposit with scheduled bank	8079948.00	6263589.00
Less : Interest charged to Earmarked Fund.	0.00	(2622458.00)
On security deposit with MPSEB	105572.75	105400.49
On savings deposit with scheduled bank	916544.00	1120741.00
On Other (TDS)	152.00	0.00
Total	**9102216.75**	**4867272.49**

Schedule-7

Establishment Expenses

(Amount in ₹)

Particulars	Note No.	Current Year 2011-12	Previous Year 2010-11
Honorarium- Resource Persons		1130900.00	1252800.00
Leave Salary & Pension Contribution	1	80674.00	77428.00
L.T.C. EXPENSES		787.00	29762.00
New Pension Scheme NJA Contribution		11208.00	9962.00
P F Contribution of NJA staff	2	2442419.00	1609219.00
Ad-hoc Bonus	4	206089.00	197456.00
Salary and allowances	2	24917355.00	20596469.00
Staff Welfare Expenses	2	65911.00	59312.00
Tuition Fees		62768.00	148290.00
Uniform Expenses		10730.00	90668.00
Gratuity	3	60785.00	0.00
Total		**28989626.00**	**24071366.00**

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. K.N.Chandrasekharan Pillai)
Director

Note : -

1 Leave Salary & Pension Contribution was paid in respect of Administrative Officer, who is posted in NJA on deputation from Railway Department.

2 Increase in salary and allowances, P.F. contribution and staff welfare expenses due to increase in staff strength during the year 2011-12. The staff strength as on 31st March, 2012 was 88 & on 31st March, 2011 was 83.

3 Gratuity was paid to an ex-staff member of the Academy according to the payment of Gratuity Act 1972.

4 Ad-hoc Bonus was paid to 60 staff members of the Academy according to Office Memorandum no. 7/24/2007/E-III(A) dated 14.09.2011 issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi.

National Judicial Academy

Schedules forming part of Balance Sheet as on 31 st March, 2012

Schedule-8

Other Administrative Expenses

(Amount In ₹)

Particulars	Note No.	Current Year 2011-12	Previous Year 2010-11
Advertisement Expenses	1	232114.00	114260.00
Audit fees	2	30450.00	29891.00
Bank Charges		9307.00	9792.00
Cable Laying work		0.00	134108.00
Cable Charges	3	216000.00	207000.00
Catering Expenses		5127624.00	6240063.00
Professional Charges		0.00	28627.00
Electricity Expenses		8394482.75	9085753.49
Maintenance of Garden	4	3050000.00	2046060.00
Gym Instructor Fee	5	82750.00	79200.00
Guest House Expenses		258945.00	364197.00
Housekeeping Services	4	1519898.00	1011040.00
Laundry Services	4	468439.00	322085.00
Library Expenses		806244.00	873536.00
Loss on sale of Photo Copier Machines		0.00	50087.00
Medical expenses / Services		928493.00	1120842.00
Newspaper & Magzine		90628.00	98170.00
Office Expenses		34501.00	34813.00
Other Training Expenses		37576.00	36551.00
Paricipants Bags		258877.00	357500.00
Preparation of background reading material		387188.00	1537191.00
PA & Sound System		356582.00	493591.00
Postage & Stamps		97315.00	214878.00
Printing and Stationery expenses		557044.00	805451.00
Regional Programmes Expenses		239880.00	2260888.00
Security Expenses	4	5485781.00	3656883.00
Transportation Expenses		3129518.00	3884598.00
Telephone & Internet Expenses		808828.00	829217.00
Traveling Expenses		7015549.00	9840127.00
Photography Expenses		103485.00	114812.00
Vehicle Running & Maintenance		179707.00	179677.00
Water Supply Arrangement		533038.00	546677.00
Yoga Teacher Fee		153088.00	179400.00
Operation, Repair & Maintenance		2534094.00	2788852.00
Total		42927203.75	49375397.49

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. K.N.Chandrasekharan Pillai)
Director

National Judicial Academy

Schedules forming part of Balance Sheet as on 31 st March, 2012

Notes Pertaining to Schedule- 8

1 Advertisement expenses includes ₹1,44,022/- pertains to bid notification published for "Providing and Facilitating photocoping printing and binding services".

2 Due to change in rate of Service Tax from 10% to 12%.

3 Due to revision of monthly cable charges from Rs. 15,000/- to Rs. 18,000/- per month W.e.f. 1.7.10.

4 Increase in Expenses on Maintenance of Garden, Housekeeping Services Laundry Services due to increase in cost/ bid value of the above services which were received after open tender process.

5 Gym instructor fee increased due to Regional Conference (Western Region) was organized at NJA premises.

National Judicial Academy

Schedules forming part of Balance Sheet as on 31st March, 2012

Schedule-9

Significant Accounting Policies and Notes Forming part of Balance Sheet and Income & Expenditure Account.

A. ACCOUNTING POLICIES

1 The final accounts have been prepared in the standard formats formulated and prescribed by the Government of India, Ministry of finance for all Central Autonomous Organizations.

2 The financial statements are prepared on the accrual method of accounting and on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated.

3 **Fixed Assets :**
3.1 Fixed assets acquired/ created out of own fund are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.
3.2 The cost of Fixed Assets created/ acquired out of Grant is adjusted against the received grant and the assets acquired out of Grants are stated in the Balance Sheet at Nominal Cost.

4 **Depreciation :**
4.1 Depreciation on assets created out of own fund has been provided on written down value method as per rates specified in the Income Tax Act 1961.
4.2 No depreciation is being provided on assets created/ acquired out of capital grant and carried in the balance sheet at Nominal cost
4.3 Assets costing ₹ 5000/- or less each are fully provided.

5 **Government Grants :**
5.1 The Capital Grants received for creation/acquisition of Specific Assets is reduced, by the cost of created/ acquired Assets. Asset so acquired is stated at Nominal Cost.

6 **Interest :**
The interest earned on Capital Grants are recognized as Capital receipts and are credited to the capital grant account .The Interest earned on all other grants inclusive the revenue grant is recognized as the society's income at the time of accrual.

B. NOTES ON ACCOUNTS :

1 The Capital Grants received for creation/acquisition of Specific Assets is adjusted, to the extent used/ applied, from the cost of created / acquired Assets. The unutilized Capital Grant is carried. As per the consistent Accounting policy, no separate Capital reserve is created in respect of and to the extent of capital grant so utilized, nor any depreciation provided on such assets. The aggregate cost of assets so created/ acquired upto 31.03.12 was as under :

Particulars	As on 31.03.2012 (₹)	As on 31.03.2011 (₹)
(I) Building	542359815.00	542359815.00
(II) Library Books	14420903.00	14382967.00
(III) Furniture & Fixture	43354653.00	43492439.00
(IV) Computer	16879994.00	16879994.00
(V) Electrical Installation	92816268.00	92748380.00
(VI) Water Supply System	9408569.00	9259620.00
(VII) Office Equipment	2416252.00	2416252.00
(IX) Kitchen Equipment	6336613.00	6336613.00
(X) Gymnasium Equipment	880000.00	880000.00
(XI) TV	449000.00	449000.00
(XII) Vehicle	34462.00	34462.00
TOTAL	729356528.00	729239542.00

2 The total no. of contratual staff working with NJA on 31st March, 2012 was 77 and 01 temporary employee. Out of which 11 staff members have completed service of 5 years and covered under the purview of the Payment of Gratuity Act 1972. No provision has been made during the year on account of Gratuity.

3 Revenue Grant-in-Aid amounting to ₹3,20,42,000/- was sanctioned by the Government of India Minitry of Law and Justice, Department of Justice vide letter no. J-12014/12/2009-JR dated 28th February, 2012 and cheque bearing no. 877261 dated 09.3.2012 was received by the Academy on 02nd April, 2012. Therefore above Grant-in-Aid was considered as Income in the Income & Expenditure Account according to accrual basis of accounting system.

4 Revision of Rent of Shops letout to Bank and Post Office is under consideration and not finalised till the date of preparation of Annual Accounts. Therefore, no provision has been made in the Book of accounts for proposed revised rent.

5 Government of Madhya Pradesh, Housing & Environmental Department alloted 62 Acres Land to the Academy for construction of Building of the Academy vide letter no. 3/43/32 dated 18.7.94.

6 Previous years figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to make them comparable.

(Avinash Choudhary)
Chief Accounts Officer

(Prof. K.N.Chandrasekharan Pillai)
Director


NATIONAL JUDICIAL ACADEMY
धर्मेण धार्यते लोकः



राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

वार्षिक प्रतिवेदन
(2011–2012)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

वार्षिक प्रतिवेदन (2011–2012)

विषय–वस्तु

1.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का परिचय	70
2.	राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति (एन.जे.ई.एस.) (अवलोकन)	71–73
3.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष	74
4.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के संचालक	75
5.	रजिस्ट्रार	76
6.	सदस्य–सचिव	76
7.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में 2003–04 से हुए शैक्षणिक कार्यक्रम	77
8.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की कार्यक्रम सूची 2011–12	78–85
9.	शैक्षणिक कार्यक्रम 2011–12 की रिर्पोट	86–96
10.	प्रशासन व कर्मचारीबृंद	96
.	i. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी समिति के सदस्य	97
.	ii. शासी परिषद	98
.	iii शैक्षणिक परिषद	99
.	iv कार्यकारी समिति	100
	v राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अधिकारीगण	101–102
11.	आधारभूत संरचना एवं सहायक प्रणालियाँ	103–106
12.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का शासन	107–108
13.	एन.जे.ई.एस. प्रगति प्रतिवेदन	109–121
14.	अंकेक्षण प्रतिवेदन	122

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए एक परिचय

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने 1996 में अपना शैक्षिणिक कार्यक्रम शुरू किया, तब से न्यायिक शिक्षा के माध्यम से अनुसंधान और नीति निर्माण के प्रशासन को मजबूत बनाने के अकादमी के उद्देश्य के साथ आयोजित कार्यक्रमों की संख्या और प्रकार में लगातार वृद्धि हुई है। 211 प्रतिभागियों के साथ सन् 2003–04 के सत्र के दौरान केवल तीन कार्यक्रमों के साथ शुरू हुई तद्उपरांत प्रतिभागियों और कार्यक्रमों की संख्या धीरे–धीरे सन् 2011–12 के सत्र के दौरान 2,232 प्रतिभागियों के साथ 147 कार्यक्रम के लिये आयोजित रही है। नौ साल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने 18,108 प्रतिभागियों को सम्मिलित कर 595 कार्यक्रमों को पूरा किया है।

जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय स्तर पर नए और कार्यक्रम लागू करने के लिए एवं मौजूदा कार्यक्रमों को निखारने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने जागरूक काम किया गया है, 2020 तक भारतीय न्यायापालिका को एक जीवंत संस्था बनाने के प्रयासों में योगदान करने का एक घोषित उद्देश्य के साथ कार्यक्रमों में राज्य न्यायिक अकादमियों के अधिकारियों की भूमिका सुनिश्चित की गई है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने न्यायिक शिक्षा को न्यायालय प्रबंधन और न्याय प्रशासन और नीति निर्माण पर शोध को बढ़ावा देने में काफी प्रगति हासिल की है। यह रणनीति विलंब तथा बकायों में कमी के द्वारा समयबद्ध न्याय को बढ़ावा देने तथा न्याय की गुणवत्ता तथा जवावदेही में वृद्धि करना न्यायिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निर्धारित करती है।

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की शैक्षणिक परिषद् ने अक्टूबर 2006 में राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति (एन.जे.ई.एस.) अपनाई। सितम्बर 2006 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा रणनीति का विकास किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा

पहली बार एक स्पष्ट रूपरेखा राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा के लिये राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति के तहत् स्थापित की गई। यह रणनीति विलम्ब तथा बकायों के कमी के द्वारा समयबद्ध न्याय को बढावा देने तथा न्याय की गुणवत्ता तथा जबावदेही में वृद्धि करना, न्यायिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निर्धारित करती है, इस रणनीति का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा के उच्च मापदण्डों को प्रत्येक न्यायाधीश प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। इसी रणनीति के तहत् पहली बार राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा के लिये राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा वार्षिक कैलेण्डर विकसित किया और इसके मूल्याकंन के लिए सभी उच्च न्यायालयों की भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जब से इस रणनीति को अपनाया गया है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी अपने क्रियाकलापों एवं गतिविधियों का संचालन इसी नीति के तहत् कर रहा है। वर्ष 2009 एवं 2010 में राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति से शैक्षणिक परिषद को अवगत कराया गया है।

निम्नलिखित लेख में एन.जे.ई.एस. का एक सिंहावलोकन एवं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के क्रियाकलापों/संचालित रूपरेखा।

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति (जुलाई 2011) – एक समीक्षा

I. **दृष्टि :** न्यायिक शिक्षा समयबद्ध न्याय विलम्ब तथा बकायों में कमी को बढ़ावा देती है और न्याय की गुणवत्ता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है।

इस संदर्भ में ''न्याय'' का अर्थ है संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप आचरण।

I. मिशनः न्यायिक अकादमियों का केन्द्रीय मिशन न्यायिक शिक्षा अनुसंधान तथा नीति निर्माण के द्वारा न्यायिक प्रणाली की उत्कृष्टता में वृद्धि करना है जिससे समयबद्ध न्याय को बढ़ावा मिले। इसके लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण पर भारत के 117 वे विधि आयोग के अनुसार न्यायिक अकादमियों को :–

(अ) न्यायाधीशों को अपने कार्य के निष्पादन के लिए उपकरणों से सुज्जित करना। अपने काम करने के लिए उपकरणों के साथ न्यायधीशों को लैस करना चाहिए।

(ख) उन्हें यह दृष्टि प्रदान करना कि जिस व्यवस्था में वे सेवा देते है उससें क्या अपेक्षित है। न्यायपालिका की बदली हुई संवैधानिक भूमिका के संदर्भ में, न्यायिक शिक्षा को न्याय निर्णयन में संवैधानिक मूल्यों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।

II. रणनीति : –

अ. प्रमुख मुद्दों पर एक साझा राष्ट्रीय दृष्टि विकसित करना तथा उसका प्रसार करने में सहायक होगा।

1. न्यायिक प्रणाली की अपेक्षायें।
2. आर.ओ.के.एम.एम.ए. ढांचे (नीचे देखे) पर आधारित ''न्यायिक प्रणाली की उत्कृष्टता''
3. ''न्याय के संवैधानिक दृष्टि'' जो निर्णय में मार्गदर्शन दे।
4. न्यायालयों के ''सामाजिक प्रभाव'' को मापने के लिए एक ढ़ांचा।
5. गुणवत्ता रूपरेखा।
6. निगरानी संकेतक।

ब. पाँच प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा वितरण करना।

1. न्यायिक प्रणाली के संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए।
2. न्याय निर्णयन में मुख्य श्रेणियों को लक्षित करने, गुणवत्ता, कार्यकुशलता और न्यायिक प्रणाली (न्यायनिर्णयन) के मुख्य आयोजनों की समयबद्धता को बढ़ाने।
3. न्यायाधीशों को व्यक्तिगत रूप से सृदृढ़ करने के लिए (उनके गुणों मनोभावों कौशल तथा ज्ञान की वृद्धि) (QASK)
4. राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित करते हुये न्यायिक प्रणाली के सामाजिक प्रभाव में वृद्धि करने के लिए।
5. अदालतों के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाना एवं देरी, बकाया, गुणवत्ता और उपयोग की चुनौतियों का सामना करना।

IV. प्रभाव मूल्याकंन :–

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कार्यक्रमों के प्रभाव को पांच उद्देश्यों के विरूद्ध मापा जा सकता है। शैक्षणिक वर्ष अगस्त 2011– मई 2012 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का विस्तृत लेआऊट।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष

(भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति न्यायिक अकादमी के पदेन अध्यक्ष हैं)

(समावेशन से)

क्रमांक	माननीय अध्यक्षों के नाम	से	तक
1	माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. एन. वैंकटचिल्लैयाह	17.08.1993	24.10.1994
2	माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. एम. अहमदी	25.10.1994	24.03.1997
3	माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. एस. वर्मा	25.03.1997	17.01.1998
4	माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.एम. पुंछी	18.01.1998	09.10.1998
5	माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. एस. आनंद	10.10.1998	31.10.2001
6	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. पी. भरूचा	01.11.2001	05.05.2002
7	माननीय न्यायमूर्ति श्री बी. एन. कृपाल	06.05.2002	07.11.2002
8	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. बी. पटनायक	08.11.2002	18.12.2002
9	माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. एन. खरे	19.12.2002	01.05.2004
10	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. राजेंद्र बाबू	02.05.2004	31.05.2004
11	माननीय न्यायमूति श्री आर. सी. लाहोटी	01.06.2004	31.10.2005
12	माननीय न्यायमूर्ति श्री वाय. के. सबरवाल	01.11.2005	13.01.2007
13	माननीय न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालकृष्णन	14.01.2007	11.05.2010
14	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एच. कपाडिया	12.05.2010	आज दिनांक तक

अकादमी के निदेशक

क्रमांक	नाम	से	तक
1	माननीय न्यायमूर्ति श्री के. एन. सैकिया, (महानिदेशक)	01.05.1995	30.04.1997
2	प्रोफेसर (डॉ.) एन. आर. माधवा मेनन	30.09.2003	24.04.2006
3	प्रोफेसर (डॉ.) जी. मोहन गोपाल	13.07.2006	07.07.2011
4	प्रो0 डॉ. के. एन. चन्द्रशेखरन पिल्लैई	07.07.2011	आज दिनांक तक

अकादमी के रजिस्ट्रार

क्रमांक	नाम	से	तक
1	श्री एच. आई. हुसैन	08.04.2000	21.04.2001
2	श्री आर.सी. मिश्रा	25.09.2001	24.09.2004
3	श्री जगदीश बहेती	17.02.2005	30.06.2007
4	श्री ए. एम. सक्सेना (प्रशासन)	09.09.2008	30.03.2010
5	श्री एस. पी. श्रीवास्तव (शैक्षणिक कार्यक्रम)	22.01.2009	आज दिनांक तक

अकादमी के सदस्य.सचिव

(समावेशन से)

क्रमांक	नाम	से	तक
1	श्री एम. एस. ए. सिद्दिकी	17.08.1993	26.09.1994
2	श्री चंद्रेश भूषण	27.09.1994	27.04.1998
3	श्री भंवर सिंह	27.04.1998	26.03.1999
4	श्री लाल चंद भादू	27.03.1999	19.01.2003
5	श्री जे.सी.एस. रावत	20.01.2003	28.06.2004
6	श्री बी.एम. गुप्ता	29.06.2004	25.11.2005
7	श्री वी.के. जैन	01.12.2005	12.05.2007
8	प्रोफेसर (डॉ.) जी. मोहन गोपाल	13.05.2007	07.07.2011
9	प्रो0 डॉ. के. एन. चन्द्रशेखरन पिल्लैई	07.07.2011	आज दिनांक तक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में 2003–04 से हुए शैक्षणिक कार्यक्रम

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में 2003–04 से हुए शैक्षणिक कार्यक्रमों की रूपरेखा निम्नलिखित है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों की संख्या में स्थायी वृद्धि कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या में समानतरू वृद्धि के समांतर रही है।

वर्ष	शैक्षणिक वर्ष (जुलाई–जून)	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2003–2004	03	211
2	2004–2005	12	570
3	2005–2006	27	771
4	2006–2007	42	1668
5	2007–2008	85 (समयबद्ध न्याय में विकास पर केवल इस वर्ष हेतु प्रस्तावित 85 कार्यक्रम 12 समवेत राष्ट्रीय उत्कृष्टता कार्यशालाओं सहित)	12 समवेत राष्ट्रीय कार्यशालाओं में 2595 + 876 प्रतिभागीगण कुल 3471
6	2008–2009	84 (12 अनअधिसूचित समवेत राष्ट्रीय उत्कृष्टता कार्यशालाएँ/इस वर्ष आयोजित)	2559
7	2009–2010	102	3553
8	2010–2011	93	3073
9	2011–2012 (अगस्त– मई)	147	2232

वर्ष 2011–12 में आयोजित शैक्षणिक कार्यक्रमों का विवरण
जिले न्यायालय के लिए कार्यक्रम
लक्ष्य 1 – न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

1 अ. न्यायालय प्ररण भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन				
क्रमांक	कार्यक्रम की तारीख	कार्यक्रम क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
1.	27–29 अगस्त 2011	P-425	न्यायालय प्रकरण का भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	26
2.	10–12 सिम्तबर 2011	P-429	न्यायालय प्रकरण का भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	21
3.	15–17 अक्टूबर 2011	P-435	न्यायालय प्रकरण का भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	21
4.	12–14 नवम्बर 2011	P-441	न्यायालय प्रकरण का भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	26
5.	11–13 फरवरी 2012	P-495	न्यायालय प्रकरण का भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	26
6.	20–22 अप्रैल 2012	P-545	न्यायालय प्रकरण का भार तथा प्रकरण प्रबंधन पर प्रधान जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	21
	कुल			**141**
1.(ब) राज्य न्यायिक अकादमियों की राष्ट्रीय बैठको				
7.	21–23 अक्टूबर 2011	P-437	न्याय के संवैधानिक दृष्टि, न्यायशास्त्र संवैधानिक कानूनः एक राष्ट्रीय मॉडल न्यायिक शिक्षा पाठ्यक्रम (भाग–I) का विकास	22
8.	2–4 दिसम्बर 2011	P-463	आपराधिक न्याय प्रशासनः एक राष्ट्रीय मॉडल न्याययिक शिक्षा पाठ्यक्रम मय (भाग–II) का विकास	17
9.	6–8 जनवरी 2012	P-467	संवैधानिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता, मानव अधिकार, लिंग, किशोर न्याय, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षणः एक राष्ट्रीय मॉडल न्यायिक शिक्षा पाठ्यक्रम (भाग–III) का विकास	17

10.	3–5 फरवरी 2012	P-483	आर्थिक और वाणिज्यिक न्यायनिर्णयन एक राष्ट्रीय मॉडल न्यायिक शिक्षा पाठ्यक्रम (भाग–IV) का विकास	13
11.	23–25 मार्च 2012	P-511	न्यायिक शिक्षा का विकासः प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों	17
12.	4–8 मई 2012	P-547	राज्य न्यायिक अकादमियों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	29
			कुल 1 (ब)	**115**
1 (स) राज्य कानूनी सेवा के अधिकारियों के सदस्य सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम				
13.	17–19 दिसम्बर 2011	P-466	राज्य विधिक सेवा के सदस्य सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	46
	कुल 1 (स)			**46**
लक्ष्य 2 गुणवत्ता, कार्यकुशला और न्यायनिर्णयन की समय बद्धता को बढ़ाने				
2. न्यायनिर्णयन प्रबंधन पर राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशालाओं				
14.	19–22 अगस्त 2011	P-424	महिलाओं के अधिकार से जुड़े मामलों का न्यायनिर्णयन	25
15.	2–5 सितम्बर 2011	P-428	आपराधिक मामलों का न्यायनिर्णयन	24
16.	30 सितम्बर – 3 अक्टूबर 2011	P-432	आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों का न्यायनिर्णयन	22
17.	21–24 अक्टूबर 2011	P-436	भ्रष्टाचार विरोधी मामलों का न्यायनिर्णयन	23
18.	20–23 जनवरी 2012	P-480	मानव अधिकार, संवैधानिक अधिकारों और नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों का न्यायनिर्णयन	22
19.	13–16 अप्रैल 2012	P-534	किशोर न्याय मामलों का न्यायनिर्णयन	23
	कुल (2 अ)			**139**
लक्ष्य 3. न्यायाधीशों की व्यक्गित रूप से सुदृढ़ करने				
3 (अ) नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम				
20.	2–5 सितम्बर 2011	P-426	नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	23

21.	14–17 अक्टूबर 2011	P-434	नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	23
22.	9–12 दिसम्बर 2011	P-465	नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	27
23.	13–16 जनवरी 2012	P-479	नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	25
24.	17–20 फरवरी 2012	P-496	नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	28
	कुल (3 अ)			**126**
3 (ब) सिविल जजों के लिए राष्ट्रीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम				
25.	19–29 अगस्त 2011	P-423	सिविल न्यायाधीशों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (जूनियर डिवीजन)	56
26.	16–26 सितम्बर 2011	P-431	सिविल न्यायाधीशों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (जूनियर डिवीजन)	51
27.	4–14 नवम्बर 2011	P-439	सिविल न्यायाधीशों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (जूनियर डिवीजन)	52
28.	9–19 दिसम्बर 2011	P-464	सिविल न्यायाधीशों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (जूनियर डिवीजन)	51
29.	13–23 जनवरी 2012	P-478	सिविल न्यायाधीशों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (जूनियर डिवीजन)	52
30.	10–20 फरवरी 2012	P-494	सिविल न्यायाधीशों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (जूनियर डिवीजन)	56
	कुल 3(ब)			**318**
3 (स) राष्ट्रीय न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (JEEP) (जे.ई.ई.पी.)				
31.	8–13 सितम्बर 2011	P-430	राष्ट्रीय न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (यात्रा–1)	50
32.	15–20 मार्च 2012	P-510	राष्ट्रीय न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (यात्रा–2)	45
	कुल 3(स)			**95**

लक्ष्य 4 न्याय प्रणाली का सामाजिक प्रभाव बढ़ाने				
मानव अधिकारों के संरक्षण पर क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलनों				
33.	25–27 नवम्बर 2011	P-452	क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलन (पश्चिम क्षेत्र)	74
34.	27–29 जनवरी 2012	P-482	क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलन (उत्तर क्षेत्र)	105
35.	24–26 फरवरी 2012	P-498	क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलन (दक्षिण क्षेत्र)	85
36.	30मार्च–1 अप्रैल 2012	P-522	क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलन (पूर्वी क्षेत्र)	94
37.	27–29 अप्रैल 2012	P-546	क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलन (उत्तर क्षेत्र)	85
	कुल 4(अ)			**443**
लक्ष्य 5 अदालतों के समग्र प्रदर्शनों को बढ़ाने				
अदालत उत्कृष्टता वृद्धि परियोजना				
38.	18–20 नवम्बर, 2011	P-442	राष्ट्रीय अदालत उत्कृष्टता वृद्धि परियोजना (CEEP) (सी.ई.ई.प. 01 से 10)	73
39.		P-443		
40. P-444				
41. P-445				
42. P-446				
43. P-447				
44. P-448				
45. P-449				
46. P-450				
47. P-451				
48.	2–4 दिसम्बर, 2011	P-453	राष्ट्रीय अदालत उत्कृष्टता वृद्धि परियोजना (CEEP) (सी.ई.ई.प. 11 से 20)	56
49.		P-454		
50. P-455				
51. P-456				
52. P-457				
53. P-458				
54. P-459				
55. P-460				
56. P-461				
57. P-462				

58.	6–8 जनवरी, 2012	P-468	राष्ट्रीय अदालत उत्कृष्टता वृद्धि परियोजना (CEEP) (सी.ई.ई.प. 21 से 30)	69
59.		P-469		
60.		P-470		
61.		P-471		
62.		P-472		
63.		P-473		
64.		P-474		
65.		P-475		
66.		P-476		
67.		P-477		
68.	3–5 फरवरी, 2012	P-484	राष्ट्रीय अदालत उत्कृष्टता वृद्धि परियोजना (CEEP) (सी.ई.ई.प. 31 से 40)	61
69.		P-485		
70.		P-486		
71.		P-487		
72.		P-488		
73.		P-489		
74.		P-490		
75.		P-491		
76.		P-492		
77.		P-493		
78.	2–4 मार्च 2012	P-499	राष्ट्रीय अदालत उत्कृष्टता वृद्धि परियोजना (CEEP) (सी.ई.ई.प. 41 से 50)	60
79.		P-500		
80.		P-501		
81.		P-502		
82.		P-503		
83.		P-504		
84.		P-505		
85.		P-506		

86.		P-507		
87.		P-508		
88.	23–25 मार्च, 2012	P-512	राष्ट्रीय अदालत उत्कृष्टता वृद्धि परियोजना (CEEP) (सी.ई.ई.प. 51 से 60)	57
89.		P-513		
90.		P-514		
91.		P-515		
92.		P-516		
93.		P-517		
94.		P-518		
95.		P-519		
96.		P-520		
97.		P-521		
98.	6–8 अप्रैल 2012	P-523	राष्ट्रीय अदालत उत्कृष्टता वृद्धि परियोजना (CEEP) (सी.ई.ई.प. 61 से 70)	46
99.		P-524		
100.		P-525		
101.		P-526		
102		P-527		
103.		P-528		
104.		P-529		
105.		P-530		
106.		P-531		
107.		P-532		
108.	20–22 अप्रैल 2012	P-535	राष्ट्रीय अदालत उत्कृष्टता वृद्धि परियोजना (CEEP) (सी.ई.ई.प. 71 से 80)	58
109.		P-536		
110.		P-537		
111.		P-538		
112.		P-539		
113.		P-540		

114.		P-541		
115.		P-542		
116.		P-543		
117.		P-544		
118.	4–6 मई, 2012	P-548	राष्ट्रीय अदालत उत्कृष्टता वृद्धि परियोजना (CEEP) (सी.ई.ई.प. 81 से 90)	47
119.		P-549		
120.		P-550		
121.		P-551		
122.		P-552		
123.		P-553		
124.		P-554		
125.		P-555		
126.		P-556		
127.		P-557		
128.	11–13 मई, 2012	P-558	राष्ट्रीय अदालत उत्कृष्टता वृद्धि परियोजना (CEEP) (सी.ई.ई.प. 91 से 100)	56
129.		P-559		
130.		P-560		
131.		P-561		
132.		P-562		
133.		P-563		
134.		P-564		
135.		P-565		
136.		P-566		
137.		P-567		
	कुल			**583**

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कार्यक्रम				
न्यायिक संस्था को मजबूत बनाने				
138.	14–15 अप्रैल 2012	P-533	न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता बढ़ाने, दक्षता और समयबद्धता पर राष्ट्रीय सम्मेलनः अनुभवों का साक्ष्य	18
	सम्पूर्ण			**18**
न्यायाधीशों की व्यक्तिगत क्षमता में वृद्धि				
139.	16–18 मार्च, 2012	P-509	मान. उच्च न्यायालय के नव नियुक्त न्यायधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन	22
	सम्पूर्ण			**22**
न्यायिक प्रणाली का सामाजिक प्रभाव बढ़ाने				
उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के राष्ट्रीय सम्मेलन				
140.	3–4 सितम्बर, 2011	P-427	आपराधिक न्याय प्रशासनः मुद्दो और चुनौतियों	26
141.	1–2 अक्टूबर 2011	P-433	आर्थिक और वाणिज्यिक कानूनः वर्तमान मुद्दो और चुनौतियों	18
142.	5–6 नवम्बर, 2011	P-440	कानून और सामाजिक परिवर्तन	17
143.	21–22 जनवरी, 2012	P-481	संवैधानिक अधिकार, मानव अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताओ	17
144.	18–19 फरवरी, 2012	P-497	2011 में कानून के विकास के लिए उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय का योगदान	24
	सम्पूर्ण			**102**
विशेष घटनाओं				
145.	8–12 अगस्त, 2011	SE-1	भारतीय विधि में नवीनतम विकास पर श्रीलंका के न्यायाधीशों हेतु न्यायिक संगोष्ठी	30
146.	4–8 जनवरी, 2012	SE-2	भारतीय विधि में नवीनतम विकास पर श्रीलंका के न्यायाधीशों हेतु न्यायिक संगोष्ठी	30
147.	24 मार्च 2012	SE-3	वार्षिक कैलेण्डर बैठक	25
			सम्पूर्ण	**85**
कुल				**2232**

वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा संचालित किए गए कार्यक्रमों की रिपोर्ट :–

वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने अगस्त 8, 2011 से 2232 लोगों की भागीदारी में एक सौ सैतालीस कार्यक्रमों का आयोजन किया जो कि 13 मई 2012 को पूर्ण कर लिया गया। इन कार्यक्रमों की अवधि दो से बारह दिनों तक रखी गई। श्रीलंका के न्यायाधीशों के लिए अगस्त 2011 और जनवरी 2012 में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गये। नवम्बर महीने में, अकादमी द्वारा बार, अभियोजन पक्ष, जांच एजेंसी, अनुसचिवीय कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा न्यायालय उत्कृष्टता बृद्धि के लिए एक ढांचा विकसित किया गया। वर्ष 2012–13 का वार्षिक कैलेण्डर तैयार करने के लिए मार्च 2012 में वार्षिक कैलेण्डर बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में न्याय प्रशासन तथा उच्च न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति पर उच्च न्यायालयों के न्याधिपतियों का अनुभव बांटना, साइट का दौरा, फिल्म स्क्रीनिंग एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।

वर्ष 2011–2012 के वार्षिक कैलेण्डर में निम्नलिखित पांच लक्ष्य थेः–

1. न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।
2. न्याय निर्णयन की गुणवत्ता, कार्यकुशलता एवं न्याय प्रणाली समयबद्धता में बृद्धि और न्यायिक प्रणाली (अधिनिर्णय) के मुख्य आयोजन की समयवद्धता को बढ़ाने।
3. न्यायाधीशों की व्यक्तिगत रूप में सुदृढ़ बनाना (उनके गुणों, मनोभावों, कौशल तथा ज्ञान में वृद्धि करना)
4. न्यायिक प्रणाली का सामाजिक प्रभाव में वृद्धि।
5. विलम्ब तथा बकाया में कमी के लिए न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना तथा प्रणाली की गुणवत्ता तथा जवाबदेही को बढ़ाना।

निम्नलिखित ऊपर बताए गए लक्ष्यों के अनुसरण में आयोजित कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण हैः–

राज्य न्यायिक अकादमियों और कानूनी सेवाओं के अधिकारियों एवं सदस्य सचिवों, न्यायिक प्रणाली के संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लक्ष्य के अनुसरण में कई कार्यक्रमों में उच्च न्यायालयों, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों को सम्मिलित करने के लिए तैयार थे।

माननीय न्यायमूर्तिगण, उच्च न्यायालयों की दो संगोष्ठी, वरिष्ठ जिला न्यायाधीशों व राज्य न्यायिक अकादमियों की छः छः संगोष्ठी तथा राज्य विधिक सेवा अधिकारियों के सचिवों की एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

अधीनस्थ न्यायालयों के लिए और प्रभावी नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निरीक्षण, भ्रष्टाचार निवारण, अदालत में मामले भार और मामला प्रबंधनः न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता वृद्धिः उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्मेलन में एक जैसे विषयों की सीमा पर ध्यान केन्द्रित किया। सम्मेलन में देश भर से न्यायाधीशों के साथ अनुभवों को साझा और भी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने के लिए उच्च न्यायलय के न्यायाधीशों के लिए अवसर प्रदान किया।

नवनियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कार्यक्रम में नव उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शामिल किया गया। न्यायाधीश भारतीय न्यायालय के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं और प्रभावी ढंग से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए योगदान के तरीकों पर विचार कर सकते हैं। चर्चाओं में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों सहित संसाधनों के माध्यम से व्यक्तियों की मदद कर रहे थे।

गुणवत्ता, जवाबदेही और अनुभवों का न्याय मदद की बटवांरे की समयबद्धता को बढ़ाने के लिए और न्यायालय प्रबंधन पर वरिष्ठ जिला न्यायाधीशों के राष्ट्रीय सम्मेलन में जिला न्यायाधीशों का अनुभव अन्य न्यायालयों द्वारा अपनाया जा सकता है कि प्रभावी न्यायालय प्रबंधन के लिए विशेष तकनीक और उपकरणों की पहचान करने में मदद की। यहाँ भी न्यायालयों में जनता का विश्वास बढ़ाने एवं नेतृत्व कौशल बढ़ाने के विभिन्न तरीकों पर जोर दिया।

राज्य न्यायिक अकादमियों के छह राष्ट्रीय सम्मेलनों के कुल एक राज्य न्यायिक अकादमियों के संकाय सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उनके लिए यह वर्ष के मध्य में आयोजित किया गया। राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक पाठ्यक्रम विकसित करने के उद्देश्य से जिला न्यायालय अधिकारियों के लाभ के लिए पांच कार्यक्रम आयोजित किये गए। राज्य न्यायिक अकादमियों और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से जुड़े नए अनुसंधान संगठन पर चर्चा की गई और राज्य अकादमियों द्वारा अनुसंधान कार्यक्रमों के उपक्रम की सुविधा के लिए उन्हें प्रस्तावित किया गया था। राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों के साथ ही राज्य स्तर के न्यायाधीशों के लिए भी प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जा सकता है कि तरीकों और शैक्षणिक तकनीकों की सीमा पर एक व्यापक चर्चा करने के लिए नेतृत्व राज्य न्यायिक अकादमियों के शिक्षा के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम। वर्ष शुरूआत में कार्यक्रम 'क्या प्रदाय किया जाये' पर केन्द्रित किया गया, जबकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य 'कैसे प्रदाय किया जाय ?' था जिसका जायजा लेने के लिए और उनके अकादमियों में न्यायिक शिक्षा की स्थिति पर एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। अकादमियों के संकाय सदस्यों और प्रतिनिधियों के लिए एक अवसर की पेशकश की गई। बैठक में यह भी कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक शिक्षा के लिए एक नए और समग्र दृष्टिकोण अपनाने पर विचार राज्य शिक्षा में शैक्षिक प्रक्रियात्मक विधि पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए या न्यायाधीशों के मामले अद्यतन विधि उपलब्ध कराने के लिए पुनःचर्चा कार्यक्रमों के आयोजन तक ही सीमित न रह जाए। विशेष जोर न्यायिक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर रखा गया था।

न्याय के लिए और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए जरूरत के अधिकार के विभिन्न आयामों पर केन्द्रित NALSA के सहयोग से आयोजित राज्य कानूनी सेवा के अधिकारियों के सदस्य सचिवों के लिए कार्यक्रम और जनता को न्याय सुलभ बनाने में कानूनी सेवाओं के अधिकारियों की भूमिका का महत्व, और कानूनी सहायता के संवैधानिक वादों पर प्रकाश डाला।

लक्ष्य दो की पूर्ति की दिशा में काम कर रहे हैः गुणवत्ता, कार्यकुशलता और न्यायनिर्णयन प्रबंधन पर न्यायनिर्णयन राष्ट्रीय न्यायिक कार्यशालाओं की समय बद्धता बढ़ाने का अयोजन किया गया छह कार्यक्रमों की कुल कार्यक्रमों की इस श्रृखंला के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया। इन कार्यक्रमों में विभिन्न ज्ञान और कौशल की आवश्यकताओं को पार करने, न्यायनिर्णयन के विशिष्ट क्षेत्रों में न्यायिक प्रबंधन की गुणवत्ता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रमों में इस तरह के न्यायनिर्णयन के मुख्य प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि के रूप में पहलुओं को सम्मिलित किया, प्रासंगिक न्यायालय और मामला प्रबंधन के तरीको, ठोस और प्रक्रियात्मक कानूनों को पहचाने और निर्णय कौशल और गुणवत्ता और समयबद्धता और न्यायालयों से मुलाकात की मानको का मूल्याकंन कर रही थी। सत्र न्यायालयों की अध्यक्षता में न्यायाधीशों ने भाग लिया।

वर्ष 2011–12 के दौरान, महिलाओं के अधिकार से जुड़े मामलों के लिए, आपराधिक मामलों आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलो, भ्रष्टाचार विरोधी मामलों, मानव अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता और किशोर न्याय मामलों के लिए AMPS आयोजित की गई। न्यायाधीशों की व्यक्तिगत क्षमता (मुख्य न्यायिक गुण, व्यवहार, कौशल और ज्ञान) तीसरे लक्ष्य को बढ़ाने के लिए, अकादमी में नवनियुक्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और सिविल न्यायाधीशों और राष्ट्रीय न्यायिक उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम (जीप) के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में इन तीन तरीकों न्यायालय, तरीके और जनता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के साधनों के द्वारा सामना करना पड़ा महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों को देखा, आपराधिक न्याय प्रशासन प्रणाली, नागरिक मुकदमेबाजी और में जनता के विश्वास को बढ़ाने के तरीकों में नई चुनौतियाँ पर चर्चा की गई।

आगे लक्ष्य चार में अपने प्रमुख विषय के रूप में मानव अधिकारों का संरक्षण जो न्याय प्रणाली का सामाजिक प्रभाव बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने इस शैक्षणिक वर्ष में पॉच क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया। अपनी स्थापना के बाद से तीन दिवसीय क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलन चार क्षेत्रों में संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य न्यायिक अकादमी के सहयोग से आयोजित किया जाता है।

सितम्बर 2011– फरवरी 2012 के मध्य में आयोजित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के राष्ट्रीय सम्मेलनों में लक्ष्य 4 के उद्देश्यों को शामिल करने का आयोजन किया गया। पांच सम्मेलनों में से विभिन्न आपराधिक न्याय प्रशासन के मुद्दो और चुनौतियों, आर्थिक और वाणिज्यिक कानून में वर्तमान मुद्दों और चुनौतियों, कानून और सामाजिक परिवर्तन, मानव अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता और वर्ष 2011 में कानून के विकास के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का योगदान में चर्चा के केन्द्रीय बिंदु थे।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के वर्ष 2011–2012 के कैलेण्डर का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस नई श्रेणी में समाहित किया गया। सी.ई.ई.पी. के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद की योजना है, जो न्यायालय उत्कृष्टता बृद्धि उच्च विलम्ब के स्तर, बकाया, गुणवत्ता और उपयोग की चुनौतियों का सामना करना है कि देश भर से सौ न्यायालयों को शामिल करते हुए अपनी तरह के अनुसंधान परियोजना, यह पहली योजना है जिसमें कि विभिन्न कर्त्तव्य धारकों, बार, अनुसचिवीय कर्मचारी, अभियोजाकों को एक साथ लाया गया, नागरिक समाज और पुलिस और विचारों की मदद की विनिमय को बेंच के एक ही छत के नीचे लाया गया। इसके अलावा इनका सबसे अच्छा अभ्यास न्यायालयों के सदस्यों को भी अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। वास्तव में इन सम्मेलनों न्याय प्रणाली में शामिल विभिन्न हितधारकों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की पहुंच बढ़ाने में मदद की।

न्याय वितरण के लिए जनता के विश्वास और सभी हितधारकों को न्याय के प्रशासन में एक साथ काम करना चाहिए। विश्वास पैदा करने के लिए, जनता के कम विश्वास और आत्मविश्वास के लिए न्याय प्रदान करने, शीघ्र कुशल और निश्चितता के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। इसलिए, एक ठोस प्रयास से एक वर्ष के लिए एक कार्य योजना को विकसित करने के माध्यम से इन समस्याओं के समाधान खोजने के लिए वे प्रयास कर रहे है। समस्याओं की पहचान करने के लिए प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के नेतृत्व में कार्य किया जाना था।

दूसरों के प्रति विभिन्न हितधारकों के संचालन न्यायालय की संस्कृति, हितधारकों के विचार विमर्श में पहचान की गई है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया और संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण, परीक्षण प्रक्रिया में विलम्ब के कारण कारकों, हितधारकों के समन्वय, न्यायालय (सूचना के लिए उपयोग सहित) के लिए उपयोग, पीठासीन अधिकारी, बार, अनुसचिवीय कर्मचारी, सरकारी अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्त्ता (वादी को ध्यान में रखते हुए) पुलिस, निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र, अदालत और प्रदर्शन मूल्याकंन सार्वजनिक जवाबदेही तंत्र (अपने अधिकार का दावा करने के लिए जनता के लिए उपलब्ध उपकरण) की भूमिका इन क्षेत्रों न्यायालयों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अदालत के प्रदर्शन और उत्कृष्टता की समस्याओं के समाधान के विचार किया जाना चाहिए।

न्यायालय/परीक्षण प्रक्रियाओं, न्यायालय/मामले प्रबंधन, न्यायिक प्रणाली प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, अधिकारियों/न्यायाधीश की अध्यक्षता की भूमिका, अधिवक्ता गण की भूमिका पुलिस, अभियोजन पक्ष, अदालत वार चर्चा अभियुक्त/गवाह के निम्न उत्पादन के तहत मुद्दों और चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित अनुसचिवीय कर्मचारीः सामाजिक मुद्दों/सामाजिक कार्यकर्त्ता जो जनता से सम्बन्धित हैं, अदालत वार कार्ययोजना कदम उठाने और उनके संबंधित न्यायालयों में ही लागू करने पर सहमत हुए, एवं संबंधित न्यायालयों और प्रतिभागियों द्वारा विकसित किया गया था।

- पुराने मामलों की पहचान करने और फिर एक मासिक और त्रैमासिक योजना पट्टी और अभियोजन पक्ष के समक्ष से तैयार किया जाएगा, जिसके लिए न्याय दान तैयार करने के लिए प्राथमिकता दे रही है।
- मसौदा मासिक योजना को लागू करने के लिए कदम उठाए जाए, पहले तो लक्षित मामलों की सूची के अनुसार मामलों को निपटारा किया जाए, कि स्थानीय बार में परिचालित किया है जो मासिक लक्षित मामले सूची में तैयार समयबद्ध कार्यक्रम तय किया जाना है।
- इस तरह के प्रकरणों की संख्या सुनिश्चित हो, जो प्रमाणों के लिये भौतिक रूप से उपयोग में लाना संभव होगा।
- दैनिक आधार पर जितना संभव मामलों को निपटाने की सलाह न्यायालय में समय पर उपस्थित होने के लिए समय की स्वीकार्य सीमा के भीतर समाप्त करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
- पुलिस को अग्रिम परीक्षण के निर्धारित समय से सूचना दी जाए।
- किसी भी और आरोप पत्र अभियुक्त/गवाहों के सम्पर्क नम्बर अभियुक्त, का पूरा पता और उम्र के बिना स्वीकार नही किया जाएगा उसे जप्त लेख बिना एफ.आई.आर. का उत्पादन करने की अनुमति नहीं होगी।
- प्रयास न्यायालयों द्वारा जारी किये जाने वाले, सम्मन और प्रक्रियाओं को एकत्रित करने के लिए सिविल कोर्ट परिसर में एक पुलिस सेल स्थापित करने के लिए और सम्मन और प्रक्रियाओं के निष्पादन की सेवाओं को वापस करने के लिए प्रयास किए जायेगें।
- पीठासीन अधिकारी द्वारा मामलों को स्थगित नहीं होना चाहिए, गवाहों की जिरह के लिए स्थगन से बचने और लक्षित मामलों में स्थगन अपरिहार्य और अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर, मामले स्थगित नही किये जाने चाहिए।

- तय कार्यक्रम के अनुसार मामले लोक अदालतों में भेजे जाए और सक्रिय रूप में उन लोक अदालतों में भाग लिया जाना चाहिए।
- उनके मामलों से निपटने के लिए उचित वकील की नियुक्ति जिससे गरीब वादी कानूनी सहायता समिति को भेजा जाए।
- पीठासीन अधिकारी समय की पाबंदी, निष्ठा, पुलिस व्यवहार, पारदर्शिता, निष्पक्षता बनाए रखने और एक ईमानदार, आदर्श प्रस्तुत किया जाएगा। वह सभी 6 हितधारकों के बीच में एक दल के नेता होना चाहिए। वह सकारात्मक रूप से अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और ईमानदारी, समय की पाबंदी के साथ अपने काम के लिए समर्पित होना चाहिए।
- अदालत की कार्यवाही और अदालत के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।
- मिलनसार महिलाओं और वृद्ध वादियों और दूसरों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास।
- पुस्ताकालय की सुविधा बढ़ाने के लिए।

इन कार्यक्रमों में प्रत्येक हितधारक को अपने कर्त्तव्यों के लिए अवगत कराया। चर्चाओं के साथ यह आशा भी की गई कि इससे उनकी सहायता होगी इसे व्यवहार में लाना है।

प्रतिभागियों की संख्या का ब्यौरा 2011–12 CEEP को

क्र0	सी.ई.ई.पी. CEEP	सी.ई.ई.पी. CEEP	कार्यक्रम	पीठासीन अधिकारी	सरकारी अभियोजक	अनुसचिवीय कर्मचारी	पुलिस अधिकारी	अधिवक्ताओं	प्रतिनिधि SJA	कुल प्रतिभागिओं
		कार्यक्रम	पीठासीन अधिकारी	सरकारी अभियोजक	अनुसचिवीय कर्मचारी	पुलिस अधिकारी	अधिवक्ताओं	सामाजिक कार्यकर्त्ता	प्रतिनिधि SJA	कुल प्रतियोगिताओं
I	1-10	P-442 – 451 Nov. 18-20, 2011	13	9	11	11	13	8	8	73
II	11-20	P-453-462 Dec., 2-4, 2011	8	10	9	9	9	5	6	56
III	21-30	P-468-477 Jan. 6-8, 2012	12	9	10	12	13	8	5	69
IV	31-40	P-484-493 Feb.,3-5, 2012	12	8	9	6	10	11	5	61
V	41-50	P-499-508 March 2-4, 2012	12	8	10	7	12	8	3	60
VI	51-60	P-512-521 March, 2-6, 2012	13	7	9	9	12	6	1	57
VII	61-70	P-523-532 April 6-8, 2012	13	7	6	4	8	8	0	46
VIII	71-80	P-535-544 April20-22, 2012	13	7	8	8	12	10	0	58
IX	81-90	P-548-557 May 4-6, 2012	11	6	9	8	8	5	0	47
X	91-100	P-558-567 May 11-13, 2012	12	9	9	8	10	8	0	56
	Total		**119**	**80**	**90**	**82**	**107**	**77**	**28**	**583**

CEEP में प्रतिभागियों के रूप में CJM की अदालतों की सूची

CEEP											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में									
1	उत्तरप्रदेश	सिद्धार्थ नगर	लखीमपुर	जौनपुर	लखीमपुर	कांशीराम नगर	मुजफ्फर नगर	गोंडा	बुद्धौन	भदौई	सुल्तानपुर
2	आंध्रप्रदेश	हैदराबाद	सिंकदराबाद	विशाखा पट्टम	चित्तौर	महबूब नगर	कड़प्पा	नलगोंडा	अनंतपुर	विजयनगर	बरंगल
3	महाराष्ट्र	मुंबई	–	मुंबई	पुणे	चंद्रपुर	थाणे	नागपुर	जलगांव	गोदिंया	सोलापुर
4	पश्चिम बंगाल	असनसोल	टलीपोर	बारासात	हावड़ा	हुगली	नादिया	मेढनीपुर	पुर्लिया	बन्कूरा	मेकलीगंज
5	छत्तीसगढ़	दुर्ग	रायपुर	बिलासपुर	रायगढ़	कोरवा	जगदलपुर	झंझगीर	वैकव्हपुर कोरिया	वेमेतारा	सूरजपुर
6	गुजरात	आनंद	–	पाटन	जूनागढ़	कच्छ	महसाना	वलसाड़	पालनपुर	भावनगर	राजकोट
7	झारखंड	बोकारो	सिमदेगा	गिरीडीह	दुमका	रांची	जगशेदपुर	हजारीवाग	डाल्टनगंज	गोड्डा	गढ़वा
8	केरला	तिरूवन्नतपुरम	–	कलपेट्टा	–	–	त्रिशूर	एर्नाकुलम	कोझीकांड	–	आलाप्पुझा
9	मध्यप्रदेश	रीवा	सागर	सतना	भोपाल	जबलपुर	दमोह	सिंगरौली	धार	कटनी	अशोक नगर
10	चेन्नई	एगमोरे चेन्नई	–	कुबांकोनम	कंडलोर	कोयम्बटूर	धरमपुरी	समध नगर	कन्या कुमारी	करूर	एग्नोर
11	उड़ीसा	कटक	पुरी	बुरहानपुर	जेयपोर	खुर्दा	भवानी पटना	–	सांभलपुर	–	जजपुर
12	बिहार	पटना	मुजफ्फरपुर	भागलपुर	दरभंगा	पुर्निया	गया	भंगर	चंपारन	मेतीहरि	–
13	राजस्थान	जयपुर	अजमेर	जोधपुर	उदयपुर	बीकानेर	कोटा	भिलवाड़ा	श्रीगंगा नगर	माधोपुर	हनुमान गढ़

विशेष कार्यक्रम

पहले ही उल्लेख किया गया है कि, दो कार्यक्रमों में श्रीलंका से आए न्यायाधीशों के एक समूह के लिए अगस्त 2011 और जनवरी 2012 में बैठक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 31 न्यायाधीशों के लिए पांच दिन का शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चयनित क्षेत्रों में वर्तमान मुद्दों और हाल के घटनाक्रम के कानून पर चर्चा करना था।

शैक्षणिक सत्र जुलाई 2012–मई 2013 के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कैलेण्डर विकास के लिए शिक्षा के समक्ष मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वार्षिक बैठक मार्च 24, 2012 पर NJA भोपाल में आयोजित की गई।

प्रशासन व कर्मचारी बृंदृ

नौ वर्षों की अवधि में, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, न्यायिक शिक्षा, न्यायालय प्रबंधन और न्यायिक प्रशासन तथा नीतिगत विकास हेतु पूर्व में ही एक उल्लेखनीय संस्थान बन चुका है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी असाधारण विकास का केन्द्रीय करण इसके पश्चात् द्वारा प्राप्त सहयोग रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की प्रशासनिक संरचना का विहंगम दृश्य अधोलिखित है।

1. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के सदस्य :–

(31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार)

क्रमांक	पदनाम	नम
1.	भारत के मुख्य न्यायाधिपति (पदेन अध्यक्ष)	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एच. कपाड़िया
2.	भारत के उच्चतम न्यायालय के दो अवर न्यायधीश	1) माननीय न्यायमूर्ति श्री अल्तमस कबीर 2) माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.के. जैन
3.	उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधिपति	माननीय श्री न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम, मुख्य न्यायधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
4.	संचालक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (सोसायटी के पदेन सचिव)	प्रो0 डॉ. के. एन. चन्द्रशेखरन पिल्लैई
5.	एक और उच्च न्यायालय के एक न्यायधीश	माननीय न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
6.	दो विधि शिक्षक	1) निदेशक, एन.एल.आई.यू., भोपाल (पदेन) 2) विभागाध्यक्ष्ज्ञ विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय पदेन
7.	पदेन सदस्य अ) विधि मंत्री, भारत सरकार ब) अध्यक्ष, भारत के विधिज्ञ परिषद	 श्री सलमान खुर्शीद श्री अशोक पटीजा
8.	भारत सरकार, न्यायविभाग के सचिव	श्री देवेन्द्र कुमार सीकरी
9.	भारत सरकार के विधि कार्य विभाग के सचिव	श्री डी.आर. मीणा
10.	भारत सरकार, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के सचिव	श्रीकेी.मिश्रा
11.	भारत सरकार, व्यय विभाग के सचिव	श्री सुमित बोस
12.	भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव	श्रीआई.एस. चीमा

2 **साधारण सभाः**

शासी परिषद (जैसा कि ऊपर सूची बद्ध) के सदस्य शामिल है ।

3 **संचालन परिषदः**

प्रशासन, प्रबंधन और समिति का नियंत्रण जो निम्न होते हैं, संचालन परिषद में निहित हैंः–

(31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार)

क्रमांक	पदनाम	नाम
1	भारत के मुख्य न्यायाधिपति (पदेन अध्यक्ष)	माननीय न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया
2	सदस्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय	1 माननीय न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर 2 माननीय न्यायमूर्ति डी.के. जैन
3	निदेशक, एन.जे.ए. (पदेन सदस्य, संयोजक)	प्रो. डा. के. एन. चंद्रशेखरन पिल्लई
4	भारत सरकार के सचिव, न्याय विभाग, कानून एंव न्याय मंत्रालय	श्री देवेन्द्र कुमार सीकरी
5.	सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार	श्री सुमित बोस
6.	सचिव, विधि मामले विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार	श्री डी. आर. मीना
7.	भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव	श्री ए.आई.एस. चीमा

4 शैक्षणिक परिषदः–

शासी परिषद द्वारा अपने 18 नवम्बर, 2003 के प्रस्ताव द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश (अकादमी के पदेन अध्यक्ष) तथा सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य नाम निर्देशित सदस्यों (अध्यक्ष द्वारा नामित) से एक शैक्षणिक परिषद का गठन किया गया है। अपने 7 फरवरी, 2006 के प्रस्ताव से, अध्यक्ष द्वारा शासी परिषद की स्वीकृति से परिषद का विस्तार किया गया, जो कि 31 मार्च 2012 तक अधोलिखित सदस्यों द्वारा गठित है।

क्र0	नाम	पदनाम
01	माननीय न्यायमूर्ति एस.एच कपाडिया	भारत के मुख्य न्यायाधिपति
02.	1. माननीय न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर 2. माननीय न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी 3. माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा	भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश
03.	प्रो. डॉ. के. एन. चंद्रशेखरन पिल्लई, संयोजक	निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
04.	माननीय न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव	भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश
05.	माननीय न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी	न्यायधीश, उच्चन्यायलय दिल्ली
06.	माननीय न्यायमूर्ति वी. एस. अग्रवाल	पूर्व न्यायधीश दिल्ली, उच्च न्यायलय दिल्ली
07.	श्री गोपाल सुब्रमनियम	भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल
08.	1. श्री फली एस. नरीमन 2. श्री के. के. वेणूगोपाल 3. श्री पी. पी. रॉव	वरिष्ठ अधिवक्तागण भारतीय उच्चतम न्यायालय
09.	श्री ए. आई. एस. चीमा	भारत के उच्चतम न्यायालाय के महासचिव
10.	निदेशक, भारतीय कानून संस्थान	(पदेन)
11.	डॉ. एस. के. जैन	दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के एक न्यायाधीश

5 कार्यकारिणी समितिः–

शासी परिषद द्वारा अपने 18 नवम्बर, 2003 के प्रस्ताव द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (रा.न्या.अ. के पदेन अध्यक्ष) तथा सर्वोच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों से एक शैक्षणिक परिषद का गठन कार्यक्रमों तथा प्रशासन के सतत् पर्यवेक्षण हेतु किया गया है। 31 मार्च 2012 तक कार्यकारी समिति का संगठन इस प्रकार हैः–

क्र.	पदनाम	नाम
01	भारत के मुख्य न्यायाधिपति (पदेन अध्यक्ष)	माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एच कपाडिया
02.	भारत के उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायधीश	1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अल्तमस कबीर 2. माननीय न्यायमूर्ति श्री दलवीर भंडारी 3. माननीय न्यायमूर्ति श्री डी. के. जैन
03.	निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (संयोजक)	प्रो. डॉ. के. एन. चंद्रशेखरन पिल्लई

6. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अधिकारीगण

प्रशासन

भारत सरकार की स्वीकृति से, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति के निदेशक, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं । अकादमी का प्रशासन, निदेशक द्वारा, दो रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारीगणों की सहायता से संचालित किया जाता है।

प्रशासनिक अधिकारीगण

(31 मार्च , 2012 तक)

क्रमांक	पदनाम	अधिकारी का नाम	पदों का विवरण		
			स्वीकृत	वर्तमान	रिक्त
1	निदेशक	प्रो. डॉ. के. एन. चंद्रशेखरन पिल्लई	1	1	—
2	रजिस्ट्रार (प्रशासन)	—	1	—	1
3	प्रशासनिक अधिकारी	श्री कुरियाकोस मैथ्यू	1	1	—
4	मुख्य लेखा अधिकारी	श्री अविनाश चौधरी	1	1	—
5	अनुरक्षण यंत्री	श्री अजय सैनी	1	—	1
6	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	—	1	1	—
7	प्रबंधक (कार्यक्रम प्रबंधन)	श्री चेतन नेहेते	1	1	—
8	प्रबंधक (अतिथि सत्कार)	सुश्री अंकिता निगम	1	1	—
9	कम्प्यूटर प्रणाली प्रबंधक	श्री अमजद खान	1	1	—
10	प्रबंधक (दस्तावेज व संचार)	संगीता रसायली मिश्रा	1	1	—

शैक्षणिक

प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु, भारत के विभिन्न भागों से अत्यंत विशेषज्ञ संकाय–सदस्यों का दल आंमत्रित किया जाता है जो कार्यक्रम की अवधि के दौरान परिसर में प्रतिभागियों के साथ ठहराता है तथा उनके साथ अंतरचर्चा करता है ।

अकादमी में निम्नलिखित संकाय सदस्य हैं :–

संकाय सदस्य

(31 मार्च, 2012 तक)

क्रमांक	पदनाम	अधिकारी का नाम	स्वीकृत	वर्तमान	रिक्त
1	निदेशक	प्रो. डॉ. के. एन. चंद्रशेखरन पिल्लई	1	1	–
2	अतिरिक्त निदेशक	–	1	–	1
3	रजिस्ट्रार (शैक्षणिक)	श्री एस. पी. श्रीवास्तव	1	1	–
4	प्राध्यापक	–	3	–	3
5	सहायक प्राध्यापक	सुश्री निधि गुप्ता डॉ. सिल्ला रामसुंदर श्री दयानंद मूर्ति डॉ. शीना शुक्कुर श्री के. पी. रामाराव श्री सी. रमेश कुमार	6	6	.
6	अनुसंधान अध्येता	श्री सिद्धार्थ शर्मा श्री नीरज तिवारी	6	2	4
7	विधि सहायक	श्री राजेश सुमन सुश्री गरिमा तिवारी (upto January 23, 2012) सुश्री श्रुति जॉने ईशुविशियस	6	2	4

आधारभूत संरचना एवं सहायक प्रणालियॉ :–

भोपाल की प्रसिद्ध बड़ी झील पर विहंगम दृष्टि के साथ, शहर के बाहरी क्षेत्र की पहाड़ी पर स्थिति अकादमी से शहर तथा इसके आस–पास के क्षेत्र का दृश्य दर्शित होता है। अकादमी का परिसर 28,000 वर्ग मीटर के निर्माण क्षेत्र के साथ 62 एकड़ में फैला है। अपने हरे–भरे परिवेश, अप्रदूषित वायु तथा प्राकृतिक दृश्य के साथ, अकादमी, अनुसंधान व मनोरंजन हेतु एक आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। अतएव, आकदमी अपनी उच्च स्तरीय न्यायिक शिक्षा सुविधाओं के साथ, देश में न्यायकि स्थापना से संबंधित शिक्षा व अनुसंधान कार्य हेतु सर्वाधिक आधुनिक व सुसज्जित केन्द्र होने का दावा अधिकार पूर्वक कर सकती है ।

आधारभूत संरचना का संक्षिप्त– विवरण निम्न लिखित हैं :–

ए) परिसर में निम्नलिखित केन्द्रीय रूप वातानुकूलित भवन हैं:–

1) वी. आई. पी. अतिथिगृह क्रमांक –1 (144 सर्वसुविधा संपन्न कमरे, सभी चार स्तरीय सुविधाओं से युक्त)
2) वी. आई. पी. अतिथिगृह क्रमांक –2 (पांच सितारा सुविधाओं सहित, 12 कमरे)
3) प्रबंधन प्रखंड (निदेशक, रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकरियों/कर्मचारियों हेतु कार्यालय)
4) छः संस्थिवाद (सेमीनार) कक्ष, 10 संकाय कक्ष तथा एक सम्मेलन (कान्फ्रेंस) कक्ष,
5) पुस्तकालय (ज्ञान गंगा) तथा अनुसंधान केन्द्र (ज्ञान मंथन),
6) श्रोता–सह–सभा कक्ष,
7) मनोरंजन प्रक्षेत्र,
8) कार्यकारी अधिकारियों हेतु रसोई सुविधाओं से युक्त भोजन कक्ष।

बी) आवासीय सुविधाएं

1) वी. आई. पी. अतिथिगृह क्रमांक – 1

इस अतिथि गृह में कुल 144 सुसृज्जित कमरे हैं, जिनमें दो व्यक्तियों के ठहरनें का प्रबंध है ये कमरे टेलीफोन की सुविधा सहित अन्य सुविधाओं से युक्त हैं । नवीनतम रसोई के साथ एक आधुनिक रसोई तथा एक वृहत भोजन, प्रतीक्षालय, स्वागत कक्ष, चिकित्सक कक्ष, तथा अन्य सुविधाएँ इस अतिथि गृह भवन के भाग हैं । सभी तलों तक अतिथियों की गतिविधियों की सुविधा हेतु एक लिफ्ट के साथ ये कमरे एक स्फूर्ती दायक शैक्षणिक सत्र के उपरांत वापस जाने हेतु एक आदर्श स्थान ।

2) वी. आई. पी. अतिथिगृह क्रमांक – 2

एक प्रतीक्षालय एक आधुनिक रसोई घर तथा एक भोजन कक्ष के साथ दौरे पर आए उच्च अधिकारियों हेतु सुसज्जित कक्ष इस अतिथि गृह में हैं ।

3) अकादमी के अधिकरियों तथा कर्मचारियों हेतु :

अ) निदेशक/अतिरिक्त निदेशक हेतु बंगले – अकादमी में दो पूर्ण रूप से सुसज्जित बंगले प्रत्येक निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक हेतु हैं ।

ग) श्रृंखलागृह : अकादमी में बारह स्वतंत्र श्रृंखलागृह इसके अधिकारियों हेतु हैं, जिनमें से आठ में तीन शयन कक्ष तथा 4 में दो शयन कक्ष ।

स) कर्मचारी आवासगृह : अकादमी में 34 कर्मचारी आवासगृह अपने विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों हेतु हैं ।

सी) शैक्षणिक व अनुसधान कार्यो हेतु आधारभूत सुविधाएँ :–

अ) छः परिषदकक्षः 30 से 40 व्यक्तियों के बैठनें की क्षमतावाले तथा प्रस्तुतीकरण हेतु नवीनतम दृश्य–श्रव्य उपकरण से सुसज्जित छः परिसंवाद कक्ष अंतर–वाती सत्रों तथा शिक्षण हेतु, निर्मित किए गए हैं ।

ब) श्रोता–सह–सभाकक्ष : इसकी बैठक क्षमता 281 व्यक्तियों हेतु है तथा यह सम्मेलन एवं संगोष्टियों के आयोजन हेतु नवीनतम दृश्य–श्रव्य उपकरणों से लैस है ।

स) संकाय सदस्यों हेतु कक्ष – अकादमी के शैक्षणिक प्रखण्ड में संकाय सदस्यों को उचित कक्षों तथा सचिवीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कोष्ठों सहित दस कक्ष सचिवालयीन कर्मचारियों हेतु निर्मित तथा पूर्ण रूप से सुसृज्जित किए गए हैं। संकाय सदस्यों के मध्य गोष्ठियों की सुविधा हेतु एक पृथक सभा कक्ष हैं ।

डी) पुस्तकालय (ज्ञानगंगा)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, अनुसंधान प्रकाशनों, पांडु लिपियों, प्रतिवेदनों तथा न्यायपालिका एवं विधि से संबंधित अन्य दस्तावेजों सहित एक अत्यंत अच्छा पुस्तकालय है । यह 2004 में, केवल इसी उद्देश्य के लिए समर्पित, 1412 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था । लगभग केवल सात वर्षे की अवधि के अंदर, पुस्तकालय ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों सहित 20 हजार प्रतियॉ अर्जित की हैं।

इस पुस्तकालय में मनुपात्र, एस.सी.सी. ग्रांड ज्यूरिक्स, ई.पी.डब्ल्यू., वेस्ट लॉ, हैन ऑनलाइन एण्ड जे.एस.टी. ओ.आर. तक ऑन लाइन पहुँच की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां पूर्व में आयोजित कार्यक्रमों की पॉच हजार साधन सामग्री त्वरित संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं । ज्ञानगंगा नाम से यह दो पुस्तकालय सहायकों द्वारा प्रबंधित यह प्रतिभागियों के प्रयोग हेतु प्रातः 9 बजे से सांय 9 बजे तक खुली रहती है । इंटरनेट से संयोजित संपूर्ण पुस्तकालय में प्रतिभागियों की सुविधा हेतु 9 कार्य केन्द्र हैं। इस पुस्तकालय में एक दस्तावेज केन्द्र समाचार पत्र तथा पत्रिका अनुभाग, वाचनालय तथा एक सभाकक्ष के साथ सभी तरह की सुविधाएँ हैं।

ज्ञानगंगा (पुस्तकालय) में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :–

अ) **वाचनालय –** वाचनालय 66 व्यक्तियों की बैठक सुविधा के साथ नवीनतम् पत्रों एवं प्रकाशनों के प्रदर्शन हेतु पूर्णरूप से सुसज्जित हैं ।

ब) **विधि पुस्तकों हेतु संग्रहण क्षेत्र–** पुस्तकालय प्रखंड का तहखाना 75 हजार विधि पुस्तकों के सुरक्षित संग्रहण हेतु संग्राहक क्षेत्र हैं ।

स) **दस्तावेजी केन्द्र –** पुस्तकालय में आधुनिकतम, फोटोकॉपियर, स्केनर, तथा कंप्यूटर सहित दस्तावेजीकरण हेतु एक पृथक अनुभाग हैं ।

ई) मनोरंजन केन्द्र

इस केन्द्र में तरनताल, भाप स्नान, लान टैनिस कोर्ट, बिलियर्ड, व्यायामशाला आदि उच्चस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं ।

एफ) जलप्रदाय प्रणाली

अकादमी को निर्वाद जलप्रदाय उपलब्ध कराने हेतु प्रांगण में स्वयं के छन्न संयत्र और अन्य सहायक प्रणालियों के साथ एक समर्पित जलप्रदाय प्रणाली है ।

जी) विद्युत प्रदाय प्रणाली

इसी प्रकार से, आकादमी को निर्वाद विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने हेतु, अकादमी में एम.पी.एस.ई.बी. से एम.पी.सी.बी. द्वारा 33 के.बी.फीडर तथा 500 के.बी. क्षमता वाले जनरेटर के माध्यम से निर्वाद विद्युत प्रदाय हेतु विशेष व्यवस्था की है ।

एच) सुरक्षा

परिसर की सुरक्षा ''बाज सुरक्षा सेवा'' द्वारा प्रबंधित है, जो कि परिसर की 24 घंटे सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु लगभग 57 सुरक्षाकर्मियों को नियोजित करती है ।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का शासन

अगस्त 2, 2011 को आयोजित बैठक में शासी परिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गयेः–

- अनुमोदन और वर्ष 2010–2011 के लिए सोसायटी के खातों को पारित कर दिया ।
- अनुमोदन और नए बजट शीर्ष ''कर्मचारी कल्याण व्यय'' के अलावा 2011–2012 के लिए सोसायटी का वार्षिक बजट पारित कर दिया ।
- वर्ष 2010–2011 के लिए अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी ।
- अकादमी के कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए और कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अनुशरण किया जाना और तरीकों के रूप में सुझाव, निदेशक, एन.जे.ए और न्याय और व्यय विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति को मनोनीत करने का संकल्प लिया, उक्त समिति कर्मचारियों के लिए नियम और विनियमन तैयार करेंगे । यह समिति नियमित आधार पर कर्मचारियों की जहॉ आवश्यकता होती है और सेवाओं को आऊटसोर्स किया जा सकता है, उन क्षेत्रों का सुझाव देगी। समिति अकादमी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विकल्पों की जाँच करने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। समिति की सिफारिशों को अगले शासी परिषद की बैठक में रखा जाएगा ।
- परिवहन, खानपान दो वर्ष की अवधि के लिए फोटो कॉपी मुद्रण और बाहयकारी काम इमारतें और सड़को और अतिथि गृहों की सफाई एवं सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई सेवाओं के अनुमानित व्यय के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का संकल्प लिया ।
- यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सभी प्राप्त सेवाओं का भुगतान वास्तविक सेवाओं एवं अनुमोदित युनिट दर पर करने के लिये संचालक को अधिकृत किया।

अगस्त 2, 2011 पर आयोजित बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लियाः–

- वर्ष 2010–2011 के लिए सोसायटी के खातों को मंजूरी दे दी ।
- अनुमोदन और नए बजट के मुख्य ''कर्मचारी कल्याण खर्च'' के अलावा वर्ष 2010–2011 के लिए सोसायटी के वार्षिक बजट पारित कर दिया ।
- वर्ष 2010–2011 के लिए अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी ।
- स्थायी सम्पत्ती के समाधान विवरण पर लेखा परीक्षण की टिप्पणी एवं की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन सम्बन्धित प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा। शेष पूंजीगत निधी (अनुदान सहायता) जो कि अकादमी के पास शेष है, को भारत सरकार की भविष्य की आवश्यकता के लिये वापस किया जाना है।
- एन.जे.ए. की सेवाओं के उन्मुखीकरण के लिए नियामक एजेंसियों में काम कर रहे अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी । सभी अनुसंधान आदानों के साथ इस तरह के प्रस्ताव ऐसी एजेंसियों द्वारा इसे करने के लिए भेजा जाता है तो एन.जे.ए. समय और संसाधनों की व्यवहार्यता के अधीन अपने नियमित कार्यक्रमों में इस तरह के कार्यक्रमों को समायोजित कर सकते हैं का संकल्प लिया ।

शैक्षणिक परिषद विभिन्न कार्यक्रम प्रकार के तहत 147 कार्यक्रम के लिए 2011–2012 के लिए कैलेडर को मंजूरी दे दी ।

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति (एन.जे.ई.एस.) के कार्यान्वयन की प्रगति प्रतिवेदन–

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति (एन.जे.ई.एस.) जनवरी 2007 से लागू की गई तथा अब इसके प्रवर्तनक पांच शैक्षणिक वर्ष (2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 पूर्ण किये जा चुके है।

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति (एन.जे.ई.एस.) के पवर्तन में प्रगति पर सार प्रतिवेदन नीचे प्रदर्शित है।

अ) राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति के मुख्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रगति का मूल्यांकनः–

क्र.	लक्ष्य / उद्देश्य	प्रगति
1)	**राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा को समयबद्ध न्याय दान के विकास पर केन्द्रित होना चाहिए।** **अ)** सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आई.सी.टी. के प्रयोग **ब)** न्यायलय व प्रकरण प्रबंधन हेतु आधुनिक प्रबंधन प्रणाली के उपयोग **स)** प्रमुख न्यायिक ज्ञान तथा कौशल आवश्यकताओं का सशक्तीकरण एवं **द)** ए.डी.आर विधियों (मध्यस्थता, समझौता, विवेचन या लोक अदालत) के प्रोत्साहन पर शिक्षा व प्रशिक्षण के द्वारा अवलोकित करने की आवश्यकता होगी।	**प्रगति संतोषजनक है ।** 1) अब राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कार्यक्रमों का मुख्य केन्द्र स्पष्ट रूप से विलम्ब तथा अवशेष कार्यों में कमी के द्वारा समयवद्ध न्याय में बृद्धि के साथ ही न्याय की गुणवत्ता तथा अनुक्रिया में वृद्धि का विकास है।

	इस विधि आयोग की रिपोर्ट कहती हैः– (न्यायिक) प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों को न केवल अपने कार्य के कार्यान्वयन के उपकरणों से लैस करना है, बल्कि उन्हें इस बारे में दृष्टि देना है कि उनके द्वारा सेवित व्यवस्था से क्या अपेक्षित है। न्याय से क्या अभिप्रेत है? निर्णयन की प्रक्रिया क्या है? संविधान के लक्ष्य क्या है? वह कौनसी दिशा है जिसमें विधि को गतिशील होना चाहिए? विवक्षित विधि के अनुसार न्यायाधीश निर्णित न्याय क्या है? प्रदान करने के लिए न्याय से क्या मतलब है? निर्णय लेने के प्रक्रिया क्या कर रही है? संविधान के लक्ष्यों को क्या कर रहे हैं? कानून का कदम क्या होगा जिस दिशा में क्या है? कानून के अनुसार उचित न्याय का क्या मतलब है?	
2)	**राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा कार्यक्रमों की वृद्धि :** सारे देश के सभी 13 हजार न्यायाधीशों को राष्ट्रीय प्राथमिकता के मुद्दों पर केन्द्रित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी प्रशिक्षण प्रतिवर्ष कम से कम एक सप्ताह के लिए अपने वार्षिक समय का 2 प्रतिशत, प्राप्त करना चाहिए। 5000 से 6000 सी.जे.एम./जिला स्तर तथा ऊपर के केन्द्र पर केन्द्रित।	**संतोषजनक प्रगति** राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले न्यायाधीशों की संख्या लगभग 3000 न्यायाधीशों व प्रतिवर्ष 100 कार्यक्रमों तक चार गुना बढ़ी है ।

	न्याय की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए न्यायपालिका की क्षमता (प) के न्याय के लिए सबसे बड़ी मांग के क्षेत्रों में न्याय के मुद्दों पर न्यायाधीशों के दृष्टिकोण को विस्तृत बनाने और प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए की जरूरत के लिए उन्हे सुग्राही के माध्यम से बढ़ाया जाएगा, और (ख) के विकास प्रभावी ढंग से मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर न्याय प्रदान करने के लिए मांग का जवाब करने के लिए नए और अभिनव तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए न्यायाधीशों की क्षमता ।	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा विलम्ब तथा अतिशेष में कमी एवं न्याय की गुणवत्ता अनुक्रिया के विकास हेतु एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। जिसे समयबद्ध न्याय हेतु योजना व प्रबंध कहते है।
	इस किसी भी बदलाव के बिना या की संस्कृति को टोन करने के किसी भी प्रयास के बिना पिछले अभ्यास बनाए रखना होगा क्योंकि नबम्बर 1986 को भारत के कानून आयोग की 117 रिपोर्ट (''न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण'') न्यायाधीशों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता का उल्लेख किया (पैरा 2.6) वर्तमान में उच्च न्यायालयों ने संकेत दिया है कि संस्थागत वाध्यताओं के कारण लगभग 2500 न्यायाधीश राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भी भेजे जा सकते हैं।	एक भी वर्ष के लिए कैलेंडर न्यायिक शिक्षा के आरोप में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श से वार्षिक कैलेन्डर बैठक के दौरान तैयार की है । कार्यक्रमों में कानून आयोग की रिपोर्ट में निर्धारित के रूप में सभी पहलुओं को कवर किया । वर्तमान स्तर पर एक न्यायाधीश लगभग 4 वर्षों में एक बार राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए आने की आशा कर सकते है ।

	2006 में औसतन एक न्यायाधीश 15 सालों में एक ही बार राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी आ सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु कार्यक्रम नियमित तौर पर आयोजित नहीं किये जाते थे। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी सम्पूर्ण स्तरों पर देश के सभी स्तरों के न्यायाधीशों को समावेशित करने की आवश्यकता है।	2. , उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मासिक सम्मेलन लगभग 250 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रतिवर्ष उपस्थिति के साथ आयोजित की जा रही है। 3. कनिष्ठ वर्ग दिशा निर्देशन के परिचय के साथ, आज राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी सभी स्तरों के न्यायाधीशों को समावेशित करता है।
3)	**राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों की भूमिकाओं में अंतर तथा प्रयासों के दोहराव का परिवर्जन।** राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को मुख्य तुलनात्मक लाभ, न्यायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण लाने की इसकी साम्थर्य, सभी स्तरों के बीच राष्ट्रीय प्राथमिकता के प्रमुख मुद्दों जो कि राज्यों को अलग करते है पर ध्यान केंद्रित करना है।	**संतोषजनक** 1) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कार्यक्रमों राष्ट्रीय प्राथमिकता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित हो रहे हैं ।

		2) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कैलेंडर में उच्च न्यायालयों की बैठकों का नियमित ब्यौरा वार्षिक कैलेंडर बैठक एस.जे.ए. से दोहराव के परिवर्जन हेतु विकसित किया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी तथा अन्य एस.जे.ए. के बीच सहयोग उपलब्ध कराने हेतु आयोजित की जाती है।
4)	**राज्य न्यायिक अकादमी को सहायता प्रोत्साहन**	**संतोषजनक प्रगति** 1) राज्य स्तर पर न्यायिक शिक्षा के विकास में सहायता हेतु इस वर्ष पांच (मासिक) कार्यक्रम एस. जे.के साथ आयोजित किए गए। 2) प्रशिक्षक कार्यक्रम का प्रशिक्षण उन्हे बेहतर न्यायिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैस करने के लिए राज्य न्यायिक अकादमियों के शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया था । 3) देश में विभिन्न भागों में एस.जे.ए. के साथ संयुक्त रूप से मासिक क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।

5)	**कार्यक्रम के प्रकारः** इन शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को 4 प्रकार के शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम देने की आवश्यकता होगी । i) अधिशेष तथा विलम्ब में कमी हेतु उपाय व तकनीक सिखाने वाले कार्यक्रम। ii) प्रमुख न्यायिक दक्षताऐं तथा ज्ञान न्यायिक विधि विकास उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम। iii) न्याय की मांग वाले प्राथमिकता क्षेत्रों पर न्यायाधीशों के दृष्टिकोण को वृहद बनाने वाले कार्यक्रम। iv) नवीन एवं उदीयमान क्षेत्र।	संतोषजनक प्रगति, NJA पर कार्यक्रमों के पाँच प्रकार का आयोजन 1) न्यायिक प्रणाली के संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने; 2) अधिनिर्णय के मुख्य श्रेणियों को लक्षित करने, गुणवत्ता, कार्यकुशलता और न्यायिक प्रणाली (अधिनिर्णय) के मुख्य समारोह की समयबद्धता को बढ़ाने; 3) जजों की व्यक्तिगत क्षमता (मुख्य न्यायिक गुण, व्यवहार कौशल) और ज्ञान को बढ़ाने (फौज्ञ); 4) न्यायिक प्रणाली का सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने, और 5)उच्च देरी के स्तर, बकाया, गुणवत्ता औरउपयोग की चुनौतियों का सामना करना ह कि अदालतों के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने ।

6)	**न्यायिक सुधार व नीतिगत विकास / न्यायालय सांख्यिकी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी रणनीतिक** लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में विकास हेतु एक छोटी ईकाई स्थापित करेगा जो कि न्यायिक सुधारें। के माध्यम से न्यायिक प्रशासन के सशक्तिकरण पर सुचारू रूप से अनुसंधान कार्य करने हेतु उत्तरदायी होगा। इसके एक भाग के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एक न्यायालय सांख्यिकी परियोजना स्थापित करेगा जो कि उच्चतम न्यायालय के विचार हेतु न्यायालय सांख्यिकी के संग्रहण एवं विश्लेषण हेतु नियम तथा नीतियां विकसित करेगा और न्यायालय सांख्यिकी का सावधिक विश्लेषण भी तैयार करेगा।	न्यायिक सुधार और न्यायिक सांख्यिकी के विश्लेषण कार्य के विकसित में संतोषजनक प्रगति । इकाई परियोजना अभी स्थापित की जानी है। इकाई की तैयारी प्रगति पर है। ऐसी एक इकाई की संसदीय समिति द्वारा भी आवश्यकता प्रकट की गई है।
7)	**विधि शिक्षा से अलग वैचारिक न्यायिक शिक्षा**	**संतोषजनक प्रगति (नीचे देखें)**
	न्यायिक शिक्षा के पांच प्रमुख लक्ष्यः– **लक्ष्य 1:** मूल जानकारी उपलब्ध करना (एस.जे.ए.) कानूनों एवं केस विधियों पर सूचना अंतर को भरना एवं निर्वाचन सहित (एस.जे.ए.) **लक्ष्य 2:** नवीन/उदीयमान क्षेत्रों सहित आधुनिक ज्ञान उपलब्ध कराना (एस.जे.ए. तथा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी)	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को समानुदेशित भूमिकाओं को पूरा करने में पाठ्यक्रम के पुर्नगठन में संतोषजनक प्रगति।

	लक्ष्य 3: न्यायाधीशों द्वारा निर्णय करने में प्रयोग की जाने वाली विधियों तथा प्रक्रियाओं को विकसित करना (न्यायिक विधि) यथा न्यायालय स्तर पर न्यायिक सुधार (एस.जे.ए. तथा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी) **लक्ष्य 4:** कानूनों/केस विधियों के न्याय लक्ष्यों के प्रति न्यायाधीशों की बढ़ती हुई सामाजिक प्रतिबद्धता के दृष्टिकोण/दर्शन का सशक्तिकरण एवं न्यायिक निष्कर्ष प्राप्त करने में उनका संकल्प (एस.जे.ए. तथा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी) **लक्ष्य 5:** न्यायिक नैतिकता और जजों के चरित्र निर्माण को मजबूत बनाने / राष्ट्रीय दृष्टिकोण (SJAs & NJA) निर्माण ।	
8)	न्यायिक शिक्षा हेतु एक स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्य स्थापित करना ("क्यों"?)	**संतोषजनक प्रगति**
9)	हितधारियों/लक्षित वर्गों की स्पष्ट पहचान तथा कार्यक्रमों का उद्देश्य (''कौन?'') (''कब'')	**संतोषजनक प्रगति** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जिला न्यायाधीशों, कनिष्ठ न्यायाधीशों के साथ–साथ कार्य के वर्गो के न्यायाधीशों हेतु नए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।

		न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य भागदारी हेतु कार्यक्रम आरंभ नहीं किया गया। इस शैक्षणिक वर्ष अदालत उत्कृष्टता वृद्धि कार्यक्रम कोर्ट बेंच, बार, अनुसचिवीय कर्मचारी, अभियोजन पक्ष, नागरिक समाज और पुलिस के सदस्यों और विचारों की मदद की मुद्रा का एक ही छत के विभिन्न कर्तव्य धारकों के तहत एक साथ लया है, जो पेश किया गया था ।
10)	(''क्या''?) पाठ्यक्रम और नए कार्यक्रमों को विकसित	**संतोषजनक प्रगति** नवीन पाठ्यक्रम तथा कई नए कार्यक्रम।
11)	**राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कार्यक्रमों** का वीडियों कॉन्फ्रेन्सिग/वेबस्ट्रीमिंग लिंग्स एवं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की वेबसाइट पर सामग्री प्रेषित करने के माध्यम से प्रसार।	पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के कारण प्रगति संतोषजनक नही ।
12)	**प्रभाव मूल्यांकन**	पाठ्यक्रम मूल्यांकन को लागू करने तथा प्रभाव मूल्यांकन के लिए एक नया ढांचा विकसित करने में संतोषजनक प्रगति ।
13)	**अध्यापन और वितरण विधियों में विकास करना (''कैसे''?)**	**संतोषजनक प्रगति** प्रतिरूपणों, चर्चाओं, प्रायोगिक शिक्षण आदि का प्रयोग आरंभ किया गया।

14)	**न्यायिक विश्वविद्यालय के माध्यम से न्यायिक विज्ञान** का विकास जो डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर सके और न्यायिक अधिकारियों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एल.एल.एम. डिग्रियाँ प्रदान कर सकें (प्रारंभ में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से)। न्यायिक विश्वविद्यालय के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ए.डी.आर. जैसे कि मध्यस्थम पर एक छः माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम माध्यस्थम पर एक संक्षिप्त प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर सकता है, न्यायाधीशों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर सी.डी. तैयार कर सकता है तथा न्यायिक मुद्दों पर डॉक्ट्रेट के लिए अनुसंधान के अवसर प्रदान कर सकता है।	**कार्य अभी आरंभ किया जाना है।** एक प्रस्ताव में पहले कदम के रूप में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के साथ एक कड़ी है करने के लिए किया जा रहा है ।
15)	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों जो कि स्वतंत्र है तथा जो इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा संचालित हैं, के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु उचित कार्यप्रणाली स्थापित करनी चाहिए।	अब तक नही किया गया

16)	ई–समिति के साथ समन्वयः बकाया और देरी में कमी, के रूप में न्यायिक शिक्षा देने में अदालतों के रूप में अच्छी तरह से प्रोद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग के बारे में शिक्षित करने की जरूरत पर जोर दिया, ई–समिति के साथ धनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होगी । ई–समिति यह भी कहा कि न्यायिक शिक्षा ई–समिति से आ रही तकनीकी समाधान के साथ पूरी तरह से लगातार बनी हुई है यह सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में प्रोद्योगिकी के उपयोग से संबंधित मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है ।	**संतोषजनक प्रगति**
17)	बेहतर न्यायिक शिक्षा के लक्ष्य हेतु कार्यप्रणालीः राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एक प्रस्तावित कार्यप्रणाली राज्य उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालयों के विचार हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक शिक्षा (प्रशिक्षणार्थियों के चुनाव सहित) न्यायाधीशों की आवश्यकता से उनकी जिम्मेदारियों के संदर्भ में संगत है।	**अभी तक नही किया।**
18)	संसाधन सामग्री	गुणवत्ता प्रभावशील तरीके से बढ़ी है, प्रसार भी बढ़ा है।

19)	संकाय	नए पद सृजितः शासी परिषद द्वारा नई संगठनात्मक संरचना स्वीकृत, सरकार द्वारा स्वीकृति लंबित, संकाय गुणवत्ता में वृद्धि, पूर्ण नया दल गठित, नवीन भर्ती हेतु अनेकों प्रयास किए गए संख्या के संदर्भ में संकाय सदस्य अभी तीन प्रोफेसरों के पद सारवान रूप से अपर्याप्त । अनुसंधान एवं विधिक सहयोगियों के अभी भी चार पद रिक्त है।

राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति के लक्ष्य तथा उद्देश्य प्रासंगिक है। राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति को कार्यान्वित करने में कुल मिलाकर संतोषजनक प्रगति हुई है। राष्ट्रीय न्यायिक शिक्षा रणनीति के कार्यन्वयन के पश्चात् इन पॉच वर्षों में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में बहुत से नए महत्वपूर्ण विचार तथा कार्यक्रमों का विकास हुआ। ऐसे बहुत से क्षेत्र है, जिमें कार्यान्वयन को और अधिक दृढ़ता प्रदान करने की आवश्यकता है। इन मुख्य क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है।

1) प्रकाशन।

2) न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए नीति निर्माण की अनुशंसाए तथा विमर्श प्रपत्र (समयबद्ध न्याय के लिए योजना तथा प्रबंधन सहित)।

3) उच्चतम न्यायालय के न्याय शास्त्र पर केन्द्रित करते हुए विधि के मुख्य/चुने हुए क्षेत्रों में उच्च कोटि के ज्ञान का प्रसार करना।

4) न्यायिक व्यवस्था तथा न्यायिक सांख्यिकी के विकास में अनुसंधान।

5) शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्टाफ क्षमता के साथ ही आंतरिक नीतियों एवं प्रक्रिया का सशक्तिकरण।

6) आधारभूत संरचना के आवश्यक परिवर्तन को पूरा करना।

7) अंतराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अ
के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक ले

(1) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं
धारा 20(1) के अन्तर्गत हमने 31 मार्च 2012 की ि
भोपाल (अकादमी) के तुलन–पत्र और उसी तिथि को
लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का अंकेक्षण किया।
लेखा परीक्षण सौंपा गया है। ये वित्तीय–पत्रक अकादमी
के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय–प

(2) इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मं वर्गीकरण, उचित
अनुरूपता, लेखाकंन प्रमापों एवं प्रकटीकरण मानदंड
महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ समाहित
नियमानुकुलता) एवं कुशलता–सह–कार्य निष्पादन ि
व्यवहारों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ, निरीक्षण, प्रतिवेदन
के माध्यम से पृथक से प्रतिवेदन है।

(3) हमने अपना लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत
है। ये प्रमाप हमें लेखा–परीक्षा योजना एवं संपादन हेतु
कि वित्तीय–पत्रक महत्वपूर्ण अशुद्ध वर्णन से मुक्त है
जाँच, राशियों के सहायक में तथ्य एवं वित्तीय विवरण
इस लेखा परीक्षा मं प्रबंधन द्वारा लेखांकन सिद्धांतों व
वित्तीय पत्रकों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन
सम्मिलित है। हम विश्वास करते है कि हमारे अभिमत
प्रदान करती है।

(4) हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदित करते
(I) हमने उन समस्त सूचनाओं और स्पष्टीकरण
सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी लेखा
थे।
(II) इस प्रतिवेदन के अधीन तुलन–पत्र एवं अ
लेखा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा
है।
(III) हमारे मतानुसार अकादमी ने उचित लेखा
संधारित किए है ऐसा इन पुस्तकों के परीक्षण
(IV) हम पुनः प्रतिवेदित करते है।

ब. अनुदान सहायता

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने भारत सरकार से अनुदान (गैर योजना अंतर्गत) राशि रू. 6.78 करोड़ प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त अकादमी के पास गत वर्षों की अव्ययित राशि रू. 4.14 करोड़ थी। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि रू. 10.92 करोड़ में से राशि रू. 7.59 करोड़ का उपयोग अकादमी के द्वारा वर्ष के दौरान किया गया एवं शेष राशि रू. 3.33 करोड़ अव्ययित राशि के रूप में वर्ष के अंत में शेष थी।

(V) पूर्वगामी परिच्छेद में हमारी टिप्पणी के अधीन हम प्रतिवेदित करते है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अधीन तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों से समानता रखते है।

(VI) मेरे मतानुसार एवं मुझे प्राप्त समस्त सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार इन वित्तीय पत्रकों को लेखांकन नीतियों एवं लेखों पर टिप्पणी एवं उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अन्य तथ्यों को अनुसूची में उल्लिखित के साथ पढ़ने पर भारत में स्वीकार किए गए सामान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में सत्य और ऋजु दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

(अ) जहाँ तक यह 31 मार्च, 2012 को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के कार्यो के तुलन–पत्र से संबंधित है एवं

(ब) जहाँ तक यह तिथि को समाप्त वर्ष क लिए आय एवं व्यय खाते के आधिक्य से संबंधित है।

वास्ते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए

हस्ता/–

स्थान : ग्वालियर
दिनांकः...../02/2013

महानिदेशक (लेखा परीक्षा)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट

1. **आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की उपयुक्तता**
अकादमी ने मेमोरैन्डम ऑफ एसोशिएशन के चाहे अनुसार प्रबंध एवं प्रशासन के लिए नियम एवं विनियम (सेवा नियम, वित्तीय नियम एवं क्रय नियम) अभी तैयार नहीं किये गये हैं। जिससे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है।

2. **आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली की उपयुक्तता**
अकादमी की आन्तरिक लेखा परीक्षा, मुख्य लेखा नियंत्रक, कानून विधि एवं कम्पनी कार्य विभाग मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा की जाती है।

3. **सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
वर्ष के दौरान सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।

4. **माल सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
वर्ष के दौरान माल सूची का भौतिक सत्यापन किया गया।

5. **वैधानिक देयताओं का भुगतान**
वैधानिक देयताओं के भुगतान के सम्बन्ध में अनियमितता नहीं थी।

हस्ता/-

लेखा परीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-।।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

भदभदा रोड, पो.अ. सूरज नगर, भोपाल — 462044

की गई कार्यवाही प्रतिवेदन/लेखा परीक्षण टिप्पणियों के उत्तर

सं.क्रं.	लेखा परीक्षण — टिप्पणियाँ		की गई कार्यवाही प्रतिवेदन/ लेखा परीक्षण टिप्पणियों के उत्तर
अनुदान सहायताः—			
	अकादमी के पास गत वर्षों की अव्ययित अनुदान (गैर योजना अंतर्गत) के रूप में राशि ₹4.14 करोड़ थी। चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के दौरान अनुदान (गैर योजना अंतर्गत) राशि ₹6.78 करोड़ प्राप्त हुई । इस प्रकार अकादमी के पास कुल अनुदान की कुल राशि ₹10.92 करोड उपलब्ध थी, जिसमें से ₹7.59 करोड़ का उपयोग किया गया एवं शेष राशि ₹ 3.33 करोड़ अव्ययित अनुदान के रूप में वर्ष के अंत में शेष थी।		विधि एवं न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग के द्वारा जारी पत्र क्रमांक एल—19020/6/ 2012—जे.यू. स. दिनांक 09.08.2012 के अनुरूप अकादमी के पास उपलब्ध अव्ययित अनुदान को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2012—13 के बजट अनुमान पुनरीक्षित किये गये थे। वर्ष 2012—13 के लिए पुनरीक्षित अनुमान अकादमी के पत्र क्रमांक एन. जे.ए./एका. एण्ड ऑडिट/14/2746 दिनांक 08.09.2012 के द्वारा न्याय विभाग को प्रेषित कर दिये गये थे। अव्ययित अनुदान की राशि ₹ 3.33 करोड़ अकादमी के द्वारा वर्ष 2012—13 में पूर्णतः उपयोग कर ली गई है और उपयोगिता प्रमाण पत्र न्याय विभाग को प्रेषित कर दिये गये है।
अनुसूची			
	1. आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की उपयुक्तताः—		
	अकादमी ने मेमोरैन्डम ऑफ एसोशिएशन के चाहे अनुसार प्रबंध एवं प्रशासन के लिए नियम एवं विनियम (सेवा नियम, वित्तीय नियम एवं क्रय नियम) अभी तैयार नहीं किये गये हैं। जिससे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है।		भारत सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों हेतु नियमों और विनियमों को तैयार करने हेतु शासी परिषद की बैठक दिनांक 02.08.2011 में एक समीति गठित की गई है। समिति ने प्रारूप सेवा नियम तैयार कर लिए है एवं उन्हें अन्तिम रूप प्रदान करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। अकादमी द्वारा निष्ठापूर्वक सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर)—2005 को ध्यान में रखते हुए दिन प्रतिदिन के कामकाज निष्पादित किये जाते है।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

तुलन पत्र

(31 मार्च, 2012 पर)

(राशि रू. में)

	अनुसूची	चालू वर्ष 2011–2012	गत वर्ष 2010–2011
पूँजीगत निधि एवं दायित्व :			
पूँजीगत निधि	1	12 16 55 527.29	11 20 82 196.29
प्रयोजन विशिष्ट निधि	2	0.00	2 23 09 562.00
चालू दायित्व एवं प्रावधान	3	1 23 45 413.75	81 63 238.00
योग –		**13 40 00 941.04**	**14 25 54 996.29**
परिसंपत्तियाँ :			
स्थिर अस्तियाँ			
अ) शासकीय अनुदान से निर्मित (नाम मात्र लागत पर)	4	1 800.00	1 800.00
ब) अन्य स्थिर आस्तियाँ (अपलिखित मूल्य पर)		7 01 785.00	7 96 789.00
चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	5	13 32 97 356.04	14 17 56 407.29
योग –		**13 40 00 941.04**	**14 25 54 996.29**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ	9		

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. के.एन.चन्द्रशेखरन पिल्लई)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

आय एवं व्यय लेखा

(31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए)

(राशि रू. में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2011–2012	गत वर्ष 2010–2011
आय :			
गैर योजना आयगत अनुदान राशि		6 78 42 000.00	9 72 00 000.00
बैंक जमा एवं सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	6	91 02 216.75	48 67 272.49
ठहरने एवं भोजन से प्राप्ति		47 05 601.00	66 24 500.00
पंजीयन शुल्क		8 57 000.00	13 17 000.00
पोस्ट आफिस व बैंक से विद्युत प्रभार एवं किराया प्राप्त		60 427.00	55 900.00
एनजेए पब्लिकेशन का विक्रय		45 419.00	72 882.00
प्राप्त किराया/विद्युत प्रभार		2 90 066.00	2 25 185.00
निविदा शुल्क		60 500.00	51 000.00
विविध आय		34 105.00	80 619.00
कार्य निष्पादन प्रतिभूति जब्त		0.00	39 060.00
प्रतिभूति जमा जब्त		0.00	1 63 731.00
अकादमी कार्यक्रम –श्रीलंका के न्यायाधीश कार्यक्रम		12 97 401.00	7 50 626.00
सी.ए.टी.– आकादमिक प्रोग्राम		0.00	2 74 425.00
क्षेत्रीय प्रोग्राम (वेस्ट जोन)		2 74 856.00	
योग – अ		**8 45 69 591.75**	**11 17 22 200.49**
व्यय :			
स्थापना व्यय	7	2 89 89 626.00	2 40 71 366.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	8	4 29 27 203.75	4 93 75 397.49
ह्रास	4	95 004.00	1 08 728.00
योग – ब		**7 20 11 833.75**	**7 35 55 491.49**

(राशि रू. में)

		चालू वर्ष 2010–2011	गत वर्ष 2009–2010
शेष (अ–ब)		**1 25 57 758.00**	**3 81 66 709.00**
घटाएं– पूर्व समय के व्यय		32 15 236.00	8 16 386.00
जोड़े– पूर्व अवधि समायोजन		2 06 229.00	2 60 100.00
जोड़े– पूर्व अवधि आय		24 580.00	0.00
व्यय पर आय के शेष के आधिक्य में हस्तान्तरित पूंजीगत निधि		**95 73 331.00**	**3 70 90 223.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ	9		

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. के.एन.चन्द्रशेखरन पिल्लई)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
(31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए)

(राशि रू. में)

प्राप्ति			भुगतान		
विवरण	चालू वर्ष 2011–12	गत वर्ष 2010–2011	विवरण	चालू वर्ष 2011–12	गत वर्ष 2010–2011
प्रारंभिक शेष			**व्यय**		
अ. रोकड़ हस्ते	0.00	0.00	अ. स्थापना व्यय	26011354.00	21768641.00
ब. रोकड़ बैंक में		50516356.55	ब. प्रशासनिक व्यय	36775230.75	46640502.99
1. बचत खाते में	14910856.74	393625.00			
2. स्थायी जमा में	514420.00	105761000.00	**पूंजीगत अनुदान की वापसी**		51200000.00
3. सावधि जमा में	70000000.00				
स. एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना	121439.00	96658.00	**स्थिर परिसंपत्तियों एवं जारी पूंजीगत कार्य पर व्यय :**		
भारत शासन से गैर योजना अंतर्गत प्राप्त आयगत अनुदान	35800000.00	0.00	अ. स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीदी	79050.00	472851.00
राजस्व अनुदान सहायता बजट प्रावधान वर्ष 2010–11 के बाहर से प्राप्त	52509000.00	44700000.00	ब. पुस्तकालय हेतु पुस्तके	37936.00	1985506.00
जमा पर प्राप्त ब्याज			पूंजीगत अनुदान की वापसी	22192576.00	
अ) बचत खाते पर	916544.00	1120741.00	म.प्र.वि.वि.क्र.लि. के साथ अमानत राशि जमा	0.00	13300.00
ब) सावधि जमा खाते पर	7239367.00	5277215.00	आयकर (टी.डी.एस.) जमा	1766911.00	1466013.00
स) एमपीएसईबी के साथ प्रतिभूति जमा पर	96743.75	96583.99	जमा/ वेट	391762.00	584041.00
द) एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना पर ब्याज	4955.00	3085.00	वृत्तिकर	180280.00	146320.00
घ) अन्य	152.00	1220000.00	अन्य को भुगतान कटोत्रियों	2619947.00	1901141.00
पंजीयन शुल्क	850000.00	55900.00	अन्य दायित्व	1713.00	128215.00
ठहरने एवं भोजन से प्राप्ति	4683101.00	0.00	रोकी गई राशि (रिटेनशन राशि)	1004543.00	1350404.00
एन.जे.ए. पब्लिशेन का विक्रय	45419.00	57029.00	विविध लेनदार	297464.00	0.00
निविदा शुल्क	60500.00	6367200.00	अंकेक्षण शुल्क	59782.00	0.00
के.प्र.अ.– आकादमिक प्रोग्राम	0.00	72882.00	कार्यनिष्पादन प्रतिभूति	2500.00	0.00
श्रीलंका के न्यायाधीश – आकादमिक प्रोग्राम	1353551.00	51000.00	पूर्व अवधि के व्यय/ समायोजन	3136638.00	914136.00
क्षेत्रीय कार्यक्रम(वेस्ट जोन)	274856.00	274425.00	पुर्वदत्त व्यय	745290.00	597731.00
पोस्ट ऑफिस/बैंक से किराया एवं बिजली शुल्क	56860.00	750626.00	म.प्र.वि.वि.क्र.लि. द्वारा कर की कटोत्री	0.00	4215.00
विविध प्राप्य	246600.00	73450.00	देय खर्चे	2387455.00	6004753.00
कोठारी फोटोस्टेट एवं टायपिंक सेंटर	0.00	0.00	रोकी गई राशि का भुगतान	122973.00	123143.00
टीडीएस राशि वापस जमा	14848.00	26198.19	देय वेतन	1652925.00	1581384.00
जप्त की गई प्रतिभूति जमा	0.00	156731.00	**अंतिम शेष**		
प्रतिभूति जमा	50000.00	16696.00	अ. रोकड़ हस्ते	0.00	0.00
विविध आय	30386.00		ब. रोकड़ बैंक में		
पूर्व अवधि आय	24580.00	0.00	1) बचत जमा खाते में	11051967.49	14910856.74
केरल ज्युडिशियल अकादमी के लिए	190700.00		2) चालू खाते में	570732.00	514420.00
वसूली/ कटौतियाँ			3) मियादी जमा खाते में	85000000.00	70000000.00
अ) वेतन पर आयकर कटौती	1282844.00	869054.00	4) एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना	148754.00	121439.00
ब) ठेकेदारों के भुगतान पर आयकर कटौती	469431.00	510150.00			
स) अन्य वेट कटौती	376030.00	490317.00			
द) वेतन से कटौती	2463743.00	1820932.00			
इ) कार्यनिष्पादन प्रतिभूति	15940.75	21718.00			
उ) रोकी गई राशि	204270.00	0.00			
फ) पुराने धनादेश	62544.00	449762.00			
ग) रोकी गई राशि (रिटेनशन राशि)	909923.00	0.00			
घ) केवल, पानी एवं विद्युत प्रभार	265319.00	0.00			
ड) एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना	22360.00	805742.00			
च) वृत्तिकर	179500.00	205920.00			
		21696.00			
		146320.00			
योग	196237783.24	222429012.73		196237783.24	222429012.73

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. के.एन.चन्द्रशेखरन पिल्लई)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2012 पर तुलनपत्र का हिस्सा है

अनुसूची–1

पूँजीगत निधि

(राशि रू. में)

विवरण		चालू वर्ष 2011–12	गत वर्ष 2010–11
अ. प्रारंभिक शेष		11 20 82 196.29	7 49 91 973.29
घटाएं– (कमी) आधिक्य वर्ष के दौरान आय एवं व्यय लेखा अनुसार		95 73 331.00	3 70 90 223.00
वर्षान्त शेष	(अ)	**121655527.29**	**11 20 82 196. 29**

अनुसूची–2

विशिष्ट प्रयोजन निधि

विवरण	चालू वर्ष 2011–12	गत वर्ष 2010–11
ब. निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापों हेतु पूंजीगत अनुदान	2 23 09 562.00	7 33 78 042.00
जोड़ेगे – सावधि जमा पर ब्याज		26 22 458.00
जोड़ेगे – फोटोकॉपी मशीन		4 000.00
योग (अ)	**2 23 09 562.00**	**7 60 04 500.00**
घटाएं– अकादमी भवन निर्माण पर व्यय	0.00	0.00
लायब्रेरी हेतु किताबें	37 936.00	20 02 887.00
अन्य संपत्ति	79 050.00	4 92 051.00
भारत सरकार को भेजा	2 21 92 576.00	5 12 00 000.00
योग (ब)	**2 23 09 562.00**	**5 36 94 938.00**
योग (अ – ब)	**0.00**	**2 23 09 562.00**

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. के.एन.चन्द्रशेखरन पिल्लई)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2012 पर तुलनपत्र का हिस्सा है

अनुसूची–3

चालू दायित्व एवं प्रावधान

(राशि रू. में)

विवरण	चालू वर्ष 2011–12	गत वर्ष 2010–11
अ. चालू दायित्व :		
विविध लेनदार	5 94 757.00	6 06 533.00
1. वेतन कटौतियाँ		
जी.पी.एफ./सी.पी.एफ./एन.पी.एस.	47 302.00	15 215.00
वी.पी.एफ.	0.00	15 000.00
जी.पी.एफ./एच.बी.एल. अग्रिम	7 000.00	1 000.00
वृत्तिकर	0.00	780.00
एस.एल.आई	250.00	250.00
एस.जी.ई/जी.आई.एस	1 700.00	3 820.00
कर्मचारी कल्याण कोष	15.00	15.00
टियर–1 कर्मचारी का अंशदान	941.00	913.00
सी.एम.टी.डी. रेलवे	1 000.00	1 000.00
मुख्य न्यायाधीश (ए.पी.) राहत कोष	120.00	0.00
जी.एल.आई. ए.पी.	3 000.00	0.00
जी.एस.एल.आई.	14 971.00	0.00
एल.आई.पी.	1 033.00	0.00
2. अन्य दायित्व		
आडिट फीस	30 450.00	59 782.00
एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना	1 48 754.00	1 21 439.00
कार्यनिष्पादन सुरक्षानिधि	18 065.00	4 625.00
अन्य मानदेय भुगतान	56 275.00	0.00
स्टाफ को देय	1 412.00	1 656.00
पुराने धनादेश	1 73 949.00	1 11 405.00
जमा सुरक्षानिधि	7 97 880.00	7 47 880.00
रोकी गई राशि	6 87 559.00	6 06 262.00
रिटेनशन राशि	15 54 482.00	16 49 102.00
3. वैधानिक दायित्व		
भुगतान योग्य भविष्य निधि	1 87 220.00	1 45 813.00
मूल्य वर्धित कर	0.00	15 732.00
देय टी.डी.एस.	0.00	14 636.00
योग– (1+2+3)	43 28 135.75	41 22 858.00
ब. प्रावधान :		
देय वेतन	23 26 910.00	16 51 425.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	56 90 368.00	23 88 955.00
योग– ब	80 17 278.00	40 40 380.00
योग (अ + ब)	1 23 45 413.75	81 63 238.00

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. के.एन.चन्दशेखरन पिल्लई)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूची–4

स्थिर आस्तियाँ

(31 मार्च, 2012 पर)

पूंजी अनुदान से निर्मित आस्तियां

स.क्र.	विवरण	सकल संपत्तियाँ							अनुदान में से कटौतियां			शुद्ध संपत्तियाँ	
		ह्रास की दर प्रतिशत	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्षान्तर्गत बढ़ोत्तरी (30.09.2011 के पूर्व)	वर्षान्तर्गत बढ़ोत्तरी (30.09.2011 के बाद)	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ समायोजन		वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान	वर्ष के अत में योग	वर्ष के अंत में योग	गत वर्ष के अत में योग
						बढ़ोत्तरी	कटौती						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7-8	10	11	12	13=9-12	14
अ) स्थायी संपत्तियां													
1	**भवन**		542359815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542359815.00	542359715.00	0.00	542359715.00	100.00	100.00
2	**फर्नीचर एवं फिक्चर**										0.00		
अ)	फ/फ वीआईपी गेस्ट हाउस		5845487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5845487.00	5845387.00	0.00	5845387.00	100.00	100.00
ब)	आडिटोरियम का अंतरंग कार्य		7118473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7118473.00	7118373.00	0.00	7118373.00	100.00	100.00
स)	होस्टल फर्नीचर		20851031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20851031.00	20850931.00	0.00	20850931.00	100.00	100.00
द)	अन्य फर्नीचर एवं फिक्चर		9539662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9539662.00	9539562.00	0.00	9539562.00	100.00	100.00
3	**विद्युत संस्थापन**										0.00		
अ)	वायु अनुकूलन संयंत्र		40004017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40004017.00	40003917.00	0.00	40003917.00	100.00	100.00
ब)	श्रव्य–दृश्य प्रणाली		6188923.00	0.00	0.00	0.00	148948.00	6039975.00	6039875.00	0.00	6039875.00	100.00	100.00
स)	अन्य विद्युत संस्थापन		45118091.00	79050.00	0.00	0.00	0.00	45197141.00	45117991.00	79050.00	45197041.00	100.00	100.00
द)	सोलर जल वाष्पीकरण प्रणाली		1575135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1575135.00	1575035.00	0.00	1575035.00	100.00	100.00
4	**जलापूर्ति प्रणाली**		9259620.00	0.00	0.00	148948.00	0.00	9408568.00	9408468.00	0.00	9408468.00	100.00	100.00
5	**कार्यालय उपकरण**												
अ)	ई.पी.ए.बी.एक्स		2060000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2060000.00	2059900.00	0.00	2059900.00	100.00	100.00
ब)	अन्य कार्यालय उपकरण		356252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356252.00	356152.00	0.00	356152.00	100.00	100.00
6	कम्प्यूटर		16879994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16879994.00	16879894.00	0.00	16879894.00	100.00	100.00
7	टी.वी.		449000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449000.00	448900.00	0.00	448900.00	100.00	100.00
8	रसोईघर उपकरण		6336613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6336613.00	6336513.00	0.00	6336513.00	100.00	100.00
9	व्यायामशाला उपकरण		880000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880000.00	879900.00	0.00	879900.00	100.00	100.00
10	गाडियां		34462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34462.00	34362.00	0.00	34362.00	100.00	100.00
11	लाईब्रेरी बुक्स-		14,382,967.00	37936.00	0.00	0.00	0.00	14420903.00	14382867.00	37936.00	14420803.00	100.00	100.00
कुल			**729239542.00**	**116986.00**	**0.00**	**148948.00**	**148948.00**	**729356528.00**	**729237742.00**	**116986.00**	**729354728.00**	**1800.00**	**1800.00**

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. के.एन.चन्द्रशेखरन पिल्लई)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूची–4

स्थिर आस्तियाँ

(31 मार्च, 2012 पर)

स्वयं की निधि से निर्मित आस्तियां

स.क्र.	विवरण	सकल संपत्तियाँ							ह्रास					शुद्ध संपत्तियाँ	
		ह्रास की दर प्रतिशत	वर्ष के प्रारंभ में लागत / मूल्यांकन	वर्षान्तर्गत बढ़ोत्तरी (30.09.2010 के पूर्व)	वर्षान्तर्गत बढ़ोत्तरी (30.09.2010 के बाद)	वर्ष के दौरान कटौतियों / समायोजन		वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारंभ में		वर्ष के प्रारंभ में शुरूआती शेष	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के अंत में योग	चालू वर्ष के अंत में	गत वर्ष के अंत में
						बढ़ोत्तरी	कटौती								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7-8	10	11	12	13	14=10-11+12+13	15=9-14	15
अ) स्थायी संपत्तियां															
1	वाहन	15%	1211796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1211796.00	919833.00	0.00	43794.00	0.00	963627.00	248169.00	291963.00
2	ओवरहेड प्रोजेक्टर	15%	21893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21893.00	14875.00	0.00	1053.00	0.00	15928.00	5965.00	7018.00
3	फोटोकापीयर	15%	38838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38838.00	33538.00	0.00	795.00	0.00	34333.00	4505.00	5300.00
4	विद्युत संस्थापन	10%	135840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135840.00	81767.00	0.00	5407.00	0.00	87174.00	48666.00	54073.00
5	कम्प्यूटर	60%	362636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362636.00	362413.00	0.00	134.00	0.00	362547.00	89.00	223.00
6	फर्नीचर व फिक्चर	10%	758041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758041.00	319829.00	0.00	43821.00	0.00	363650.00	394391.00	438212.00
कुल			2529044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2529044.00	1732255.00	0.00	95004.00	0.00	1827259.00	701785.00	796789.00
महायोग			731768586.00	116986.00	0.00	148948.00	148948.00	731885572.00	730969997.00	116986.00				703585.00	798589.00

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. के.एन.चन्द्रशेखरन पिल्लई)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2012 पर तुलनपत्र का हिस्सा है
अनुसूची–5
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

(राशि रू. में)

विवरण	चालू वर्ष 2011–12	गत वर्ष 2010–11
अ. चालू परिसम्पत्तियाँ :		
1. विविध प्राप्ति योग्य	5 71 573.00	8 53 173.00
2. ग्रान्ट–इन–एड	3 20 42 000.00	5 25 00 000.00
3. रोकड़ एवं बैंक शेष		
अ. हस्तगत रोकड़	0.00	0.00
ब. अनुसूचित बैंकों में शेष		
चालू खाते में	5 70 732.00	5 14 420.00
बचत खाते में	1 10 51 967.49	1 49 10 856.74
बचत खाते में (एन.जे.ए. नवीन पेंशन योजना)	1 48 754.00	1 21 439.00
सावधि जमा खातों में	8 50 00 000.00	7 00 00 000.00
योग (अ)	12 93 85 026.49	13 86 99 888.74
ब. अग्रिम एवं जमा		
1. अग्रिम एवं जमा		
राज्य न्यायायिक अकादमियों को अग्रिम	0.00	1 527.00
एम.पी.एस.ई.बी के साथ प्रतिभूति जमा	60 298.55	60 298.55
अन्य के साथ कार्य हेतु जमा	7 500.00	7 500.00
पूर्वदत्त व्यय	7 45 290.00	5 97 731.00
बैक एवं एमपीएसईबी द्वारा टीडीएस	3 40 594.00	2 74 963.00
अन्य के साथ जमा	37 800.00	37 800.00
2. उपार्जित आय		
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज	27 17 280.00	18 76 699.00
अन्य उपार्जित ब्याज	3 567.00	
योग (ब)	39 12 329.55	28 56 518.55
योग (अ + ब)	13 32 97 356.04	14 17 56 407.29

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. के.एन.चन्द्रशेखरन पिल्लई)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिये आय एवं व्यय लेखे का हिस्सा है

अनुसूची–6

अर्जित ब्याज

(राशि रू. में)

अर्जित ब्याज	चालू वर्ष 2011–12	गत वर्ष 2010–11
अनुसूचित बैंक में सावधि जमा पर	80 79 948.00	62 63 589.00
घटाईयें – विशिष्ट प्रयोजन निधि में प्रभारित ब्याज	0.00	- 26 22 458.00
एमपीएसईबी के साथ प्रतिभूति जमा पर	1 05 572.75	1 05 400.49
अनुसूचित बैंक में बचत खातों पर	9 16 544.00	11 20 741.00
अन्य (टीडीएस)	152.00	0.00
योग	**91 02 216.75**	**48 67 272.49**

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिये आय एवं व्यय लेखे का हिस्सा है

अनुसूची – 7

स्थापना व्यय

(राशि रू. में)

विवरण		चालू वर्ष 2011–12	गत वर्ष 2010–11
मानदेय रिर्सोस परशनस्स	1	11 30 900.00	12 52 800.00
अवकाश वेतन एवं पेशंन अंशदान		80 674.00	77 428.00
अवकाश यात्रा रियायत व्यय		787.00	29 762.00
नवीन पेंशन योजना में एनजेए का अंशदान		11 208.00	9 962.00
एनजेए के कर्मचारियों का भविष्य निधि	2	24 42 419.00	16 09 219.00
तदर्थ बोनस	4	2 06 089.00	1 97 456.00
वेतन एवं मजदूरी	2	2 49 17 355.00	2 05 96 469.00
कर्मचारी कल्याण	2	65 911.00	59 312.00
शिक्षण शुल्क		62 768.00	1 48 290.00
वर्दी व अन्य		10 730.00	90 668.00
उपदान	3	60 785.00	
योग		**2 89 89 626.00**	**2 40 71 366.00**

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. के.एन.चन्द्रशेखरन पिल्लई)
निदेशक

नोटः-

1. प्रशासनिक अधिकारी के संबंध में अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान का भुगतान किया गया, जो कि रेल्वे विभाग से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में पदस्थ है।
2. वेतन और भत्ते पी.एफ में वृद्धि वर्ष 2011-12 के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण योगदान और कर्मचारी कल्याण खर्च कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 2012 में 88 थी और 31 मार्च 2011 को कर्मचारियों की संख्या 83 थी।
3. उपदान का भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार अकादमी के एक पूर्व कर्मचारी सदस्य को भुगतान किया गया था।
4. भारत शासन, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 7/24/2007/ई-III(ए) दिनांक 14.09.2011 के अनुसार अकादमी के 60 कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान किया गया।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिये आय एवं व्यय लेखे का हिस्सा है

अनुसूची–8

अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रू. में)

विवरण		चालू वर्ष 2011–12	गत वर्ष 2010–11
विज्ञापन व्यय		2 32 114.00	1 14 260.00
लेखा परीक्षा शुल्क		30 450.00	29 891.00
बैंक प्रभार		9 307.00	9 792.00
केबल लेइंग कार्य		0.00	1 34 108.00
केबल प्रभार		2 16 000.00	2 07 000.00
खानपान व्यय	1	51 27 624.00	62 40 063.00
प्रोफेशनल व्यय	2	0.00	28 627.00
विद्युत व्यय		83 94 482.75	90 85 753.49
रखरखाव एवं मरम्मत (कम्प्यू. एवं कार्या. उपकरण)		30 50 000.00	20 46 060.00
जिम उपदेशक फीस		82 750.00	79 200.00
छात्रावास व्यय	3	2 58 945.00	3 64 197.00
गृह व्यवस्था सेवा	4	15 19 898.00	10 11 040.00
लांड्री व्यय	2	4 68 439.00	3 22 065.00
लाईब्रेरी व्यय	2	8 06 244.00	8 73 536.00
फोटोकॉपी मशीन की बिक्री पर नुकसान		0.00	50 087.00
मेडिकल व्यय एवं सेवी	5	9 28 493.00	11 20 642.00
न्यूजपेपर एवं मेगजीन		90 628.00	98 170.00
कार्यालय व्यय		34 501.00	34 813.00
अन्य प्रशासनिक व्यय		37 576.00	36 551.00
प्रतिभागी बेग	3	2 58 877.00	3 57 500.00
अन्य प्रशिक्षण व्यय		3 87 186.00	15 37 191.00
पी.ए. एवं साउड सिस्टम		3 56 582.00	4 93 591.00
डाक व्यय		97 315.00	2 14 878.00
छपाई एवं लेखन सामग्री व्यय	3	5 57 044.00	8 05 451.00
क्षेत्रीय कार्यक्रम व्यय	6	2 39 880.00	22 60 888.00
सुरक्षानिधि व्यय		54 85 781.00	36 56 883.00
परिवहन व्यय	2	31 29 518.00	38 84 598.00
दूरभाष एवं इंटरनेट व्यय		6 08 628.00	6 29 217.00
यात्रा व्यय	7	70 15 549.00	98 40 127.00
फोटोग्राफी व्यय		1 03 465.00	1 14 812.00
वाहन चालन एवं रखरखाव व्यय		1 79 707.00	1 79 677.00
जल व्यवस्था	8	5 33 038.00	5 46 677.00
योगा उपदेशक फीस	3	1 53 088.00	1 79 400.00
परिचालन एवं रखरखाव	9	25 34 094.00	27 88 652.00
योग		4 29 27 203.75	4 93 75 397.49

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. के.एन.चन्द्रशेखरन पिल्लई)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिये आय एवं व्यय लेखे का हिस्सा है

अनुसूची–8

अन्य प्रशासनिक व्यय

टीप :–

1 विज्ञापन व्यय में राशि रू. 1,44,022/– फोटोकॉपी, प्रिंटिंग एवं बाईडिंग सेवाओ की अधिसूचना प्रकाशित करने से सम्बन्धित राशि सम्मिलित है।

2 सेवा करों की दरों में परिवर्तन 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक होने के कारण।

3 दिनांक 1 जुलाई, 2010 से केबल का मासिक प्रभार रू. 15000/– से रू. 18000/– होने के कारण केबल प्रभार के व्यय में वृद्धि हुई है।

4 उद्यान रख–रखाव सेवा, गृह व्यवस्था सेवा एवं धुलाई सेवाओं के व्ययों में वृद्धि उक्त सेवाओं की लागत, निविदा मूल्य में वृद्धि, के फलस्वरूप हुई है, जो कि खुली निविदा प्रक्रिया के पश्चात् प्राप्त हुई थीं।

5 क्षेत्रीय कार्यक्रम (पश्चिम अंचल क्षेत्रीय न्यायिक कार्यक्रम) एन.जे.ए. परिसर में होने के कारण जिम उपदेशक शुल्क में वृद्धि हुई।

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. के.एन.चन्द्रशेखरन पिल्लई)
निदेशक

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

अनुसूची- 9

तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ

अ. लेखांकन नीतियाँ-

1- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अंतिम खाते भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप जो सभी केन्द्रीय स्वायत्त संस्थाओं के लिए हैं, में तैयार किए गये है।

2- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के वित्तीय विवरण लेखों को उपार्जित पद्धति एवं एतिहासिक लागत चलन के आधार पर तैयार किया गया है, जब तक अन्यथा विवर्णित न हो।

3- स्थायी आस्तियाँ

3.1 स्वयं की निधि से निर्मित/प्राप्त संपत्तियों को प्राप्त करने की लागत जिसमें प्राप्त करने से संबंधित भाड़ा, शुल्क एवं कर तथा प्रत्यक्ष एवं अन्य व्ययों को सम्मलित किया गया है।

3.2 अनुदान से निर्मित/प्राप्त स्थायी आस्तियों की लागत को प्राप्त अनुदान से समायोजित किया गया है और तुलन पत्र में इन्हें नाम मात्र की लागत पर दर्शाया गया है।

4 ह्रास

4.1 स्वय की निधि से निर्मित संपत्तियों पर मूल्यह्रास, अपलिखित मूल्य पद्धति पर आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ठ दरों के अनुसार प्रावधित किया गया है।

4.2 पूँजीगत अनुदान की राशि से निर्मित की गई स्थायी सम्पत्तियों पर ह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है और इन्हें तुलन पत्र में नाम मात्र पर ले जाया गया है।

4.3 रूपये 5000 अथवा उससे कम की संपत्ति लागत को पूर्णतः प्रावधित किया गया है।

5 शासकीय अनुदान

5.1 पूँजीगत अनदान जो संपत्तियों को निर्मित/प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुआ है उसे संपत्तियों को निर्मित/प्राप्त करने की लागत से घटाया गया है एवं अर्जित की गई संपत्तियाँ नाम मात्र की लागत पर दर्शाई गई है।

6 ब्याज

6.1 पूँजीगत अनुदान पर प्राप्त ब्याज पूँजीगत प्राप्ति की तरह दर्शाया गया है और पूँजीगत अनुदान खाते में जमा किया गया है। अन्य समस्त अनुदान पर अर्जित ब्याज एवं आयगत अनुदान अर्जित होने पर समिति की आय की तरह दर्शाया गया है।

ब. लेखों पर टिप्पणियाँ-

1. पूँजीगत अनुदान की राशि से निर्मित की गई स्थायी सम्पत्तियों की लागत, पूँजीगत अनुदान की राशि में से घटाई गई हैं। शेष अनुदान राशि को आगे बढ़ाया गया है। सुसंगत लेखांकन नीतियों के अनुसार, उपयोग किये गये पूंजीगत अनुदान की राशि से पृथक से पूँजी संचय का निर्माण नहीं किया गया हैं, और इन सम्पत्तियों पर ह्रास प्रभारित नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2012 तक निर्मित/प्राप्त संम्पत्तियों की कुल लागत निम्नानुसार हैं:

	विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
(1)	निर्माणाधीन भवन	542359815.00	542359815.00
(2)	ग्रंथालय पुस्तकें	14420903.00	14382967.00
(3)	फर्नीचर	43354653.00	43492439.00
(4)	कम्प्यूटर	16879994.00	16879994.00
(5)	विद्युत संस्थापनाएँ	92816268.00	92748380.00
(6)	जल प्रदाय प्रणाली	9408568.00	9259620.00
(7)	कार्यालयीन उपकरण	2416252.00	2416252.00
(8)	रसोईघर उपकरण	6336613.00	6336613.00
(9)	जिम्नेजियम उपकरण	880000.00	880000.00
(10)	टी.वी	449000.00	449000.00
(11)	वाहन	34462.00	34462.00
	योग	729356528.00	729239542.00

2 31 मार्च, 2012 की स्थिति में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में कुल 77 संविदा कर्मचारी एवं 1 अस्थाई कर्मचारी कार्यरत थे। जिसमें से 11 कर्मचारियों ने 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है और वे उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के दायरे में आते हैं। वर्ष के दौरान उपादान खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3 भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग ने पत्र क्रं. जे–12014/12/2009–जे.आर. दिनांक 28 फरवरी 2012 के द्वारा राशि रू. 3,20,42,000/– का आयगत अनुदान स्वीकृत किया था एवं धनादेश क्रमांक 877261 दिनांक 09.03.2012 अकादमी में 02 अप्रैल, 2012 को प्राप्त हुआ था, इसलिए उपर्युक्त अनुदान उपार्जित आधार पर लेखांकन प्रणाली के अनुरूप आय एवं व्यय खाते में आय मानी गई है।

4 बैंक एवं पोस्ट ऑफिस भवन के किराये की दरों में संशोधन विचाराधीन है। वार्षिक लेखा तैयार होने तक किराये की दरों में संशोधन नहीं हुआ था। इसलिए प्रस्तावित संशोधित किराये के सम्बन्ध में खातों में प्रावधान नहीं किया गया है।

5 मध्यप्रदेश शासन, गृह एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक 3/43/32 दिनांक 18.07.1994 के द्वारा अकादमी को भवन निर्माण हेतु 62 एकड़ जमीन आवंटित की गई है।

6 पूर्व वर्ष के आँकड़े आवश्यकतानुसार पुर्नसंगठित/पुर्नसंरचित किए गए है।

हस्ता/–
(अविनाश चौधरी)
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
(प्रो. के.एन.चन्द्रशेखरन पिल्लई)
निदेशक